

आय-व्ययक

की

संरचना

वर्ष 2019-20



दीर्घकालीन योजना प्रभाग,
राज्य नियोजन संस्थान, 30प्र0
कालाकांकर भवन, लखनऊ

प्राक्कथन


प्रदेश द्वारा अपनी विकास प्राथमिकताओं को क्रियान्वित करने हेतु आय-व्ययक (बजट) एक सशक्त माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है। उत्तर प्रदेश जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था, जहाँ नियोजित विकास प्रक्रिया अपनायी गयी है, में अनेक सामाजिक एवं आर्थिक दायित्वों/कार्यों के निर्वह के संदर्भ में आय-व्ययक की भूमिका और भी महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील हो गयी है। विभिन्न वर्षों में संचालित किये गये विकास कार्यक्रमों के फलस्वरूप व्यय के आकार में उत्तरोत्तर बढ़ोत्तरी हुई है। इसके अतिरिक्त आय-व्ययक बनाते समय प्रस्तावित किये गये व्यय एवं प्राप्तियों के अनुमानों, इनसे सम्बन्धित संशोधित किये गये अनुमानों और उसके वास्तविक परिणाम के मध्य अन्तराल परिवेक्षित होता है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में दीर्घकालीन योजना प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ०प्र० द्वारा "प्रदेश की वर्ष 2019-20 की आय-व्ययक की संरचना" विषयक अध्ययन का सम्पादन किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन में विकासगत तथा विकासेतर व्यय, राजस्व तथा पूंजी व्यय, ऋण एवं इनके प्रतिदान, आय की संरचना तथा प्रवृत्ति का पृथक-पृथक विश्लेषण करने के साथ आय-व्ययक की समग्र स्थिति का भी विवेचन किया गया है। इसके साथ ही, अध्ययन में प्रति व्यक्ति व्यय, प्रति व्यक्ति आय, प्रदेश की विकास दर आदि के सम्बन्ध में प्रदेश के अन्य राज्यों से तुलनात्मक स्थिति पर भी प्रकाश डाला गया है।

संदर्भित अध्ययन प्रभाग के निदेशक, डॉ० आनन्द मिश्र, संयुक्त निदेशक श्री अशोक कुमार के निर्देशन में श्री अरुण चन्द्र, वरिष्ठ शोध अधिकारी, श्री गजराज सिंह, वरिष्ठ शोध अधिकारी, श्री मोहन प्रजापति, अपर सांख्यिकीय अधिकारी एवं टंकण कार्य को कु० दीपांशी डिमरी, कनिष्ठ सहायक द्वारा तैयार करने में किया गया प्रयास सराहनीय है। आशा है कि इस अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष प्रदेश की भावी योजनाओं के वित्तीय प्रबन्धन एवं व्यय सम्बन्धी उपर्युक्त रणनीति निर्धारित करने में सहायक होंगे।

दिनांक: 22.02.2021


(सुरेश चन्द्रा)

अपर मुख्य सचिव,
नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

विषय-सूची

अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	भूमिका, अध्ययन के उद्देश्य एवं अध्ययन विधि	1-2
2.	राज्य की अर्थ व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय संसाधनों की प्रवृत्ति	3-13
3.	आय संरचना एवं प्रवृत्ति	14-34
4.	व्यय संरचना एवं प्रवृत्ति	35-52
5.	विकासगत व्यय एवं विकासेत्तर व्यय	53-62
6.	आय-व्ययक की समग्र स्थिति	63-65
7.	आय-व्ययक प्राविधान एवं वास्तविक व्यय	66-69
8.	निष्कर्ष एवं संस्तुतियां	70-81

अध्याय-1

भूमिका, अध्ययन के उद्देश्य एवं अध्ययन विधि

भूमिका

राज्य के आय-व्ययक के आंकड़े राज्य की वित्तीय स्थिति के दर्पण होते हैं। प्रदेश द्वारा अपनी विकास प्राथमिकताओं के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु किस प्रकार और किन-किन स्रोतों से वित्तीय संसाधन जुटाये जा रहे हैं। यह इस तथ्य की ओर भी संकेत करता है कि वित्तीय संसाधनों की पूर्ति हेतु प्रदेश कहाँ तक बाजार ऋण तथा अन्य ऋणों पर निर्भर करता है और कहाँ तक अपने संसाधनों को सृजित कर पाने के प्रयास में सफल हो पाता है। विगत वर्षों की आय-व्ययक प्रवृत्ति के विश्लेषण से यह भी अभिज्ञानित किया जा सकता है कि योजनाओं के कार्यान्वयन के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में उत्पादक आधार कहाँ तक विकसित हो सका है जो भविष्य में वित्तीय संसाधनों के सृजन में उपयोगी हो सके।

वर्तमान राजस्व में अवशेष (बी०सी०आर०) यह संकेत देता है कि अर्थव्यवस्था में राजस्व प्राप्ति (कर तथा करेतर राजस्व) एवं राजस्व व्यय (विकासेतर व्यय तथा आयोजनेतर विकासगत व्यय) में कहाँ तक आपसी सामन्जस्य है तथा अतिरिक्त संसाधनों के जुटाने में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किस सीमा तक भूमिका अदा की जा सकती है। अतिरिक्त संसाधनों के जुटाने में मितव्ययता तथा कर हेतु किये गये प्रयासों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य की योजनाओं के क्रियान्वयन में केन्द्रीय सहायता का विशेष योगदान होता है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य के आय-व्ययक प्रक्रिया के अन्तर्गत विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाले राजस्व के आंकड़ों के संबंध में जो पूर्वानुमान लगाए गए उनकी वास्तविकता किस स्तर तक सही पायी गयी, उनमें कितना विचलन था और इस विचलन के क्या कारण थे, भविष्य की योजनाओं में आंकड़ों के सम्बन्ध में जो पूर्वानुमान लगाये गये उनकी वास्तविकता किस स्तर तक सही पायी इनका किस प्रकार नियोजन किया जाये जिससे अनुमान और वास्तविकता में कम से कम अन्तराल हो सके।

साथ ही राज्य के आय-व्ययक आंकड़े यह भी संकेत देते हैं कि प्रदेश की ऋणग्रस्तता किस प्रकार बढ़ती जा रही है, ऋण के उपयोग तथा अदायगी की प्रवृत्ति क्या है। इन आंकड़ों के विश्लेषण से राज्य के ऋण-स्रोतों तथा ऋण के परिमाण को युक्तिसंगत बनाने के सम्बन्ध में अपेक्षित नीति बन सकती है। आगामी वर्षों में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करने एवं व्यय संबंधी उपर्युक्त रणनीति तैयार करने हेतु शासन द्वारा राज्य की विगत योजनाओं में व्यय, विभिन्न स्रोतों से हुई आय एवं विकासगत तथा अविकासगत व्यय की समीक्षा की गयी है।

अध्ययन की आवश्यकता

राज्य की आय-व्यय भूमिका के परिप्रेक्ष्य में आगामी वर्षों में योजनाओं के लिये पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करने में तीव्र गति से वृद्धि करके वित्तीय अनुमानों को वास्तविकता के नजदीक पहुँचाना एवं व्यय के नियंत्रण सम्बन्धी उपयुक्त रणनीति तैयार किये जाने के संदर्भ में, वर्ष 2019-20 की आय-व्यय की संरचना में वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण करते हुए, विभिन्न स्रोतों से हुई आय, व्यय की संरचना एवं विकास तथा विकासेतर व्यय की समीक्षा की गई है। इसी संदर्भ में दीर्घकालीन योजना प्रभाग द्वारा यह अध्ययन नियोजन एवं वित्त विभाग के विभिन्न अभिलेखों से उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पादित किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य

अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-

- 1- प्रदेश में राजस्व के विभिन्न स्रोतों, उसकी संरचना तथा प्रवृत्ति को अभिज्ञानित करना।
- 2- राज्य व्यय की संरचना एवं प्रवृत्ति का विश्लेषण करना।
- 3- राज्य आय-व्यय के अनुमानित तथा वास्तविक आंकड़ों के बीच विचलन तथा परिमाण अभिज्ञानित करना।
- 4- उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्राप्त परिणामों के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था के संबंध में संस्तुतियाँ एवं सुझाव प्रस्तुत करना।

अध्ययन की विधि

प्रश्नगत अध्ययन के सम्पादन हेतु प्रदेश की आय-व्यय से वर्ष 2019-20 के आंकड़े प्राप्त करने में वित्त एवं नियोजन विभाग से प्रकाशित विभिन्न अभिलेखों/साहित्य का उपयोग किया गया है। अध्ययन में विस्तृत विश्लेषण आंकड़ों की उपलब्धता पर आधारित है।

अध्याय-2

राज्य की अर्थ व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय संसाधनों की प्रवृत्ति

राज्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों हेतु बजट एवं उनकी विकास प्राथमिकताओं के आधार पर, अन्तर्क्षेत्रीय सहलग्नताओं (इण्टर सेक्टरल लिंकेजेज) एवं परिपूरकताओं (कम्प्लीमेन्टरीज) को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किये जाते हैं। अतः विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि उनमें व्यय निर्धारित बजट के अनुरूप हो। यदि वास्तविक व्यय लक्षित बजट के अनुरूप नहीं होता अर्थात् उसमें कम या अधिक रहता है तो दोनों स्थितियों में अन्तर्क्षेत्रीय परिपूरकताएँ अतृप्त रह जाती हैं जिससे कार्यान्वयन शीलता क्षतिग्रस्त होती है और अंततः विकास प्रक्रिया अवरोधित होती है। लक्षित एवं वास्तविक व्यय के मध्य अन्तराल का आधार जितना अधिक होगा, अर्थव्यवस्था की प्रगति उसी सीमा तक प्रभावित होती है।

उक्त पृष्ठभूमि में यहाँ यह भी उल्लेख करना महत्वपूर्ण हो जाता है कि राज्य की विगत वर्षों में प्रति व्यक्ति राज्य आय की उपलब्धता की न्यूनता तथा प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में बढ़ता अन्तराल प्रदेश के आर्थिक विकास के संदर्भ में प्रतिकूल लक्षण है। प्रति व्यक्ति आय से प्रदेश के सापेक्ष स्थिति का बिगड़ता स्तर राज्य के आर्थिक विकास के लिए विचारणीय तो है ही साथ ही क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने विषयक राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के लिए कड़ी चुनौती भी है। अतः जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करते हुए, तीव्र विकास की आवश्यकता के लिए प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने हेतु राज्य को अपने संसाधन बढ़ाना होगा क्योंकि शेष दो स्रोतों यथा ऋण एवं केन्द्रीय सहायता की अपनी स्पष्ट सीमार्यें हैं।

राज्य आय की प्रवृत्ति

विभिन्न आर्थिक स्रोतों में किये गये कार्य-कलापों का सीधा प्रभाव राज्य के सकल घरेलू उत्पाद पर पड़ता है। किसी प्रदेश की राज्य आय एवं प्रति व्यक्ति आय को आर्थिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण सूचक माना गया है। प्रदेश व देश दोनों की आय में होने वाले बदलावों को इंगित करने हेतु आय में वृद्धि दर ही एक मात्र मापक है जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था हेतु उच्च विकास दर को प्राप्त करने के लिये वांछित गति प्रदान करने में सहायक होगा। इस परिप्रेक्ष्य में इस तथ्य की व्याख्या तर्कसंगत प्रतीत होती है कि विभिन्न योजना अवधि में प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर आय में वृद्धि दर में संतुलन या उतार-चढ़ाव किस सीमा तक रहा है संगत विवरण तालिका संख्या-2.1 में संग्रहीत है।

तालिका-2.1

प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर आय में तुलनात्मक वृद्धि दर


(प्रतिशत)

क्र०सं०	योजना अवधि	निबल राज्य आय (Net Domestic Product) की वार्षिक वृद्धि दर		निबल प्रति व्यक्ति आय की वार्षिक वृद्धि	
		भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश
1.	प्रथम योजना	3.6	2.0	1.7	0.5
2.	द्वितीय योजना	4.0	1.9	1.9	0.3
3.	तृतीय योजना	2.2	1.6	0.0	-0.2
4.	चतुर्थ योजना	3.3	2.3	1.1	0.4
5.	पाँचवीं योजना	5.3	5.7	2.9	3.3
6.	छठी योजना	5.3	8.7	3.1	6.3
7.	सातवीं योजना	5.8	5.7	3.6	3.3
8.	आठवीं योजना	6.8	3.2	4.9	1.4
9.	नवीं योजना	5.6	2.0	3.6	-0.4
10.	दसवीं योजना	7.8	5.2	6.1	3.2
11.	ग्यारहवीं योजना	7.8	6.7	6.3	4.8
12.	बारहवीं योजना (2012-17)	6.7	6.6	5.5	5.0
13.	वर्ष 2017-18	6.4	3.7	5.8	2.4
14.	वर्ष 2018-19	5.7	6.1	4.8	4.4
15.	वर्ष 2019-20	3.9	4.0	3.1	2.2

स्रोत:- राज्य आय अनुमान उत्तर प्रदेश अर्थ एवं संख्या प्रभाग (वर्ष 2011-12 से वर्ष 2018-19)।

निबल प्रति व्यक्ति आय की वार्षिक वृद्धि

(प्रतिशत में)



उपरोक्त तालिका के अनुसार प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में निबल राज्य आय की वृद्धिदर 2.0 प्रतिशत थी जबकि इसके सापेक्ष राष्ट्रीय स्तर पर आय में वृद्धिदर 3.6 प्रतिशत थी। छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में प्रदेश की वृद्धिदर, अब तक की योजना अवधि की तुलना में सबसे अधिक थी जो देश की आय में वृद्धिदर 5.3 प्रतिशत के सापेक्ष प्रदेश की अर्थव्यवस्था में आय की वृद्धिदर 8.7 प्रतिशत थी। प्रदेश की आय में वृद्धिदर की जो प्रवृत्ति पाँचवीं योजना एवं छठी योजना काल में आगणित की गयी थी वह राष्ट्रीय आय की वृद्धिदर से कहीं अधिक थी परन्तु राष्ट्रीय स्तर से आगे रहने की प्रवृत्ति आगामी पंचवर्षीय योजना अवधि में बनायी नहीं रखी जा सकी। बारहवीं योजना में राज्य आय की वृद्धिदर 6.6 प्रतिशत की तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर यह वृद्धिदर 6.7 प्रतिशत आंकलित की गयी जो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त वृद्धि दर से काफी पीछे है। वर्ष 2019-20 में राज्य आय की वृद्धिदर 4.0 प्रतिशत आंकणित की गयी, जो राष्ट्रीय औसत 3.9 प्रतिशत से आगे है। बारहवीं योजना में प्राप्त वार्षिक वृद्धि दर को आगामी वर्षों को यथावत नहीं रख सकें। राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति निबल आय की वार्षिक वृद्धि दर के सापेक्ष प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय छठी योजना में अधिकतम थी। यह वार्षिक वृद्धि दर वर्ष 2019-20 में 2.2 आंकलित होती है।

बजट आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (जी०एस०डी०पी०) 19 लाख 40 हजार 527 करोड़ रुपये है वहीं नये वित्तीय वर्ष 2021-22 में जी०एस०डी०पी० बढ़कर 21 लाख 73 हजार 390 करोड़ रुपये की हो जाएगी। यह धनराशि वर्ष 2020-21 की तुलना में 2 लाख 32 हजार 863 करोड़ रुपये अधिक है।

प्रदेश की अर्थव्यवस्था हेतु उच्च विकास दर को प्राप्त करने के लिए, प्रभावित करने वाले उन कारकों को चिन्हित करने की आवश्यकता ध्वनित होती है जिसको दूर कर उच्च आर्थिक विकास दर को प्राप्त किया जा सके।

नीति निर्माताओं को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि प्रदेश व देश के मध्य आय में वृद्धि दर का जो अन्तराल है उसे आगामी वर्षों में उच्च विकास दर (8.5 प्रतिशत) के लक्ष्य को प्राप्त करके आय वृद्धि दर के इस अन्तराल को न्यूनतम करने का प्रयास किया जाना चाहिए। राज्य आय की वार्षिक दर में वृद्धि या कमी होना प्रत्यक्ष रूप से प्रति व्यक्ति आय को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है।

प्रति व्यक्ति राज्य आय एवं राष्ट्रीय आय

आर्थिक विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान करने में आने वाले अवरोधों को दूर करने हेतु विनियोजन एक आवश्यक शर्त है तदनुसार प्रदेश की आय में वृद्धि दर बढ़ने के साथ प्रति व्यक्ति आय भी बढ़नी चाहिए। प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय की स्थिति वर्ष 2005-06 से वर्ष 2019-20 तक राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कैसी रही है। संगत विवरण तालिका संख्या- 2.2 में दर्शाया गया है-


तालिका-2.2

प्रति व्यक्ति राज्य आय एवं राष्ट्रीय आय

वर्ष	प्रचलित भाव पर प्रति व्यक्ति निबल आय (रु.मे)			राष्ट्रीय स्तर से प्रतिशत अन्तराल
	उत्तर प्रदेश	भारत	अन्तर	
2005-06	14221	27131	12910	47.6
2006-07	16013	31206	15193	48.7
2007-08	17785	35825	18040	50.4
2008-09	20422	40775	20353	49.9
2009-10	23671	46249	22578	48.8
2010-11	26698	54021	27323	50.6
2011-12	32002	63462	31460	49.6
2012-13	35812	70983	35171	49.5
2013-14	40124	79118	38994	49.3
2014-15	42267	86647	44380	51.2
2015-16	47118	94797	47679	50.3
2016-17	52671	103870	51199	49.3
2017-18	56861	115293	58432	50.7
2018-19	62652	126521	63869	50.5
2019-20	65704	134226	68522	51.1

स्रोत:- एनवल प्लान 2013-14, वॉल्यूम-1 (पार्ट-1), राज्य आय अनुमान उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा 2020-21

प्रचलित भाव पर भारत एवं उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति निबल आय (रु.में)



प्रदेश में विनियोग के उचित वातावरण में कमी, अवस्थापना सुविधाओं का अभाव, राज्य में जोतों के आकार में कमी होना, पॉलिसी एवं गवर्नेन्स से सम्बन्धित मुद्दों आदि के कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विकास दर की गति को प्रभावित करते हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि से प्रदेश की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था की विकास दर राष्ट्रीय औसत के सापेक्ष लगातार पीछे होती गयी (तालिका-2.1) जिससे प्रदेश की प्रतिव्यक्ति आय की वृद्धि में गिरावट के संकेत मिलते हैं।

तालिका में प्रस्तुत आंकड़ों से ज्ञात होता है कि प्रचलित भावों पर यद्यपि प्रति व्यक्ति राज्य आय के परिमाण में निरन्तर वृद्धि परिलक्षित होती है तथापि वर्ष 2019-20 में प्रदेश की आय, (रु0 65704) राष्ट्रीय स्तर की आय से लगभग (रु0 134226) आधे से अधिक (51.1 प्रतिशत) हो गयी है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय स्तर पर बिहार को छोड़कर (रु0 46664) अन्य राज्यों जिसमें यथा- झारखण्ड (रु0 79873), छत्तीसगढ़ (रु0 98281), मध्य प्रदेश (रु0 99763) तथा शेष राज्यों की प्रति व्यक्ति आय एक लाख रुपये से अधिक आंकलित होती है।

वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 के मध्य प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय से प्रति व्यक्ति राज्य आय का अन्तराल लगभग 51 प्रतिशत के करीब बना रहा। प्रचलित भावों पर वर्ष 2005-06 में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति राज्य आय का अन्तर रु0 12910 था, जो निरन्तर बढ़ता हुआ वर्ष 2019-20 में रु0 68522 हो गया। राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति उच्च आय वाले प्रमुख राज्यों की तुलना में प्रदेश का स्थान न्यूनतम आंकलित होता है, परन्तु औद्योगीकरण, बुनियादी ढाँचे में सुधार, बढ़ती कारोबारी गतिविधियाँ और अन्य आर्थिक सुधारों के चलते उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत तेजी के साथ बेहतर हो रही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक 'सकल राज्य घरेलू उत्पाद' रु0 21 लाख 73 हजार 390 करोड़ के करीब पहुँच जाने का अनुमान बजट में किया गया है। राज्य की आबादी 23 करोड़ मानी जाए तो इस जी0एस0डी0पी0 से प्रति व्यक्ति आय करीब रु0 94445 हो जाएगी। 05 वर्ष पूर्व वर्ष 2015-16 (रु0 47118) में राज्य में प्रति व्यक्ति आय इन आँकड़ों के दो गुना के करीब पहुँच जाएगी। यह आंकड़े अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन में हो रहे सुधार का संकेत दे रहे हैं।

प्रदेश के परिपेक्ष्य में एक तरफ राज्य आय में कमी एवं दूसरी तरफ बढ़ती हुई जनसंख्या के परिणाम स्वरूप राज्य की प्रति व्यक्ति आय में अत्यधिक कमी रही है। प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर के मध्य प्रति व्यक्ति आय में बढ़ता अन्तराल क्षेत्रीय विषमता को उत्पन्न करता है इसलिए यह आवश्यक है कि बढ़ते हुये अन्तराल को कम करने हेतु प्रति वर्ष विकास की दर को प्रभावित करने वाले उन कारकों को चिन्हित किया जाय जिससे बढ़ते हुये अन्तराल को कम किया जा सके।

राज्य आय की राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी की स्थिति

प्रदेश के “निबल घरेलू उत्पाद” की भागीदारी की स्थिति राष्ट्रीय आय में, प्रदेश का योगदान काफी कम है क्योंकि प्रदेश की आर्थिक विकास दर, सातवीं पंचवर्षीय योजना से लगातार कम रही है (तालिका-2.1)। इस कारण से प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय का अन्तराल लगातार राष्ट्रीय स्तर से बढ़ता जा रहा है। यह प्रवृत्ति संतोषजनक नहीं है। इस प्रवृत्ति को बदलने के लिए विकास पर जोर, संसाधनों का दोहन व परिव्यय का उचित विनियोग वित्तीय अनुशासन के द्वारा किया जा सकता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि भारत की जनसंख्या में प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 16.5 प्रतिशत आगणित होती है। राष्ट्रीय सापेक्ष में वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक प्रदेश का “निबल घरेलू उत्पाद”, वर्ष 2011-12 के भावों पर निबल राज्य आय वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय आय की तुलना में प्रदेश की भागीदारी क्रमशः 8.3 प्रतिशत एवं 8.0 प्रतिशत आंकलित होता है। भारत के सापेक्ष उत्तर प्रदेश की राज्य आय की भागीदारी में गिरावट परिलक्षित होती है। संगत विवरण तालिका- 2.3 में दिया गया है-


तालिका-2.3

राज्य आय की राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी

वर्ष/मद	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद से राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत	8.3	8.3	8.2	7.9	7.9	8.2	8.0	8.0	8.0

स्रोत:- 30प्र0 बजट की रूप रेखा के विभिन्न अंक, वित्त विभाग।

राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद से राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत



वर्ष 2021-22 में राज्य की अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय का विश्लेषण

विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाले संसाधनों की संरचना एवं व्यय के लिए की गयी व्यवस्था का विश्लेषण क्रमशः तालिका-2.4 एवं 2.5 में दिया गया है। तालिका से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2021-22 में राज्य के कुल अनुमानित संसाधनों में राज्य का स्वयं का कर राजस्व 34.5 प्रतिशत, राज्य का करेतर राजस्व 4.7 प्रतिशत, केन्द्रीय करों में राज्यांश 22.1 प्रतिशत तथा केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान 16.2 प्रतिशत है। इस प्रकार कुल संसाधनों में राजस्व प्राप्तियों का अंश 77.5 प्रतिशत है। अवशेष 22.5 प्रतिशत में 14.0 प्रतिशत लोक ऋण, लोक लेखा (शुद्ध) 1.0 तथा ऋण एवं अग्रिम की वसूली 0.4 प्रतिशत है एवं समस्त लेनदेन का शुद्ध परिणाम 0.7 प्रतिशत एवं आकस्मिकता निर्धारित 0.1 प्रतिशत आवंटित होता है।

तालिका-2.4
राज्य के एक रूपये अनुमानित प्राप्तियों का संवितरण

क्रम0सं0	मद	2019-20 (प्रतिशत में)	2020-21 (प्रतिशत में)	2021-22 (प्रतिशत में)
1.	राज्य कर	29.1	32.4	34.5
2.	करेतर राजस्व	6.4	6.1	4.7
3.	केन्द्रीय करों में राज्यांश	31.8	29.8	22.1
4.	केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान	14.2	14.1	16.2
5.	ऋण और अग्रिम की वसूली	1.2	0.4	0.4
6.	लोक लेखा शुद्ध	2.0	11.7	1.0
7.	लोक ऋण	15.2	14.8	14.0
8.	समस्त लेन देन के शुद्ध परिणाम	-	0.7	7.0
9.	आकस्मिक निधि शुद्ध	0.0	0.0	0.1

स्रोत:- वर्ष 2019-20 का वार्षिक वित्तीय विवरण तथा वित्तीय स्थिति की संक्षिप्त समीक्षा के विभिन्न अंक

कुल संवितरण में सरकारी कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर व्यय का अंश 13.7 प्रतिशत, सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर व्यय 13.0 प्रतिशत, ब्याज पर व्यय का अंश 8.1 प्रतिशत तथा पेंशन पर व्यय 12.7 प्रतिशत है। वेतन, पेंशन एवं ब्याज की मदों पर व्यय 47.5 प्रतिशत का अनुमान लगाया गया है। ऋणों के प्रतिदान पर व्यय 5.3 प्रतिशत एवं पूँजीगत परिव्यय, कुल व्यय का 21.1 प्रतिशत है।

कुल संवितरण में सरकारी कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर व्यय का अंश 13.7 प्रतिशत, सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर व्यय 13.0 प्रतिशत, ब्याज पर व्यय का अंश 8.1 प्रतिशत तथा पेंशन पर व्यय 12.7 प्रतिशत है। वेतन, पेंशन एवं ब्याज की मदों पर व्यय 47.5 प्रतिशत का अनुमान लगाया गया है। ऋणों के प्रतिदान पर व्यय 5.3 प्रतिशत एवं पूँजीगत परिव्यय, कुल व्यय का 21.1 प्रतिशत है।

तालिका-2.5 राज्य के एक रुपये अनुमानित व्यय का संवितरण

(प्रतिशत में)

क्रमOसंO	मद	2019-20	2020-21	2021-22
1.	अन्य राजस्व व्यय	16.7	18.0	11.0
2.	पूंजीगत परिव्यय	16.2	16.1	21.1
3.	ऋणों का प्रतिदान	7.4	5.0	5.3
4.	ऋण एवं अग्रिम	0.6	0.3	0.5
5.	वेतन-सरकारी कर्मचारी	13.3	13.9	13.7
6.	वेतन-सहायता प्राप्त संस्थायें	11.2	10.9	13.0
7.	स्थानीय निकायों को समनुदेशन	3.0	3.1	3.0
8.	सब्सिडी	3.1	3.3	3.4
9.	सहायता अनुदान	10.0	9.5	8.2
10.	पेंशन	11.1	12.3	12.7
11.	ब्याज	7.3	7.6	8.1
12.	शुद्ध नकद	0.1	0.0	11.0

स्रोत:- वार्षिक वित्तीय विवरण तथा वित्तीय स्थिति की संक्षिप्त समीक्षा के विभिन्न अंक

बजट पूर्वानुमान में उत्तर प्रदेश की झलक

आर्थिक चुनौतियों के बावजूद अगले तीन वर्षों में राज्य के आर्थिक आंकड़ों में बड़े बदलाव के संकेत अंकित होते हैं। वर्ष 2023-24 में राज्य का बजट लगभग सात लाख करोड़ रुपये हो जाएगा। यह धनराशि वर्तमान बजट से करीब दो लाख करोड़ से अधिक है। वहीं राज्य का सकल घरेलू उत्पाद लगभग सत्तरह लाख करोड़ से बढ़कर 25 लाख करोड़ से अधिक हो जाएगा। यह आंकड़े दर्शा रहे हैं कि राज्य में विकास की गति बनी रहेगी, कर्ज के बोझ भी बजट के मुकाबले कम हो जाएगा। पूर्वानुमान से स्पष्ट है कि तीन वर्ष के अंदर ही राज्य के अनुमानित वार्षिक व्यय (बजट) से अनुमानित कर्ज का ग्राफ नीचे चला जाएगा। अभी तक कर्ज का आंकड़ा राज्य के कुल खर्च से अधिक है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य का कुल व्यय 5.13 लाख करोड़ है जबकि कर्ज 5.16 लाख करोड़ अनुमानित है। वर्ष 2021-22 में कुल वार्षिक व्यय 5.74 लाख करोड़ और

कुल कर्ज भी 5.74 लाख करोड़ के करीब होगा। वर्ष 2022-23 में कुल व्यय से कुल कर्ज का ग्राफ नीचे चला जाएगा।

तालिका-2.6

आर्थिक आंकड़े एक नजर में

(रु० करोड़ में)

मद/वर्ष	2020-21	2023-24
कुल प्राप्ति	500558.53	707733.77
कुल व्यय	512860.72	723702.32
राजकोषीय घाटा	53195.46	73286.94
ऋण ग्रस्तता	516184.45	713251.44
एस०डी०जी०पी०	17,91,263	2509774.00

राज्य की सकल घरेलू उत्पाद में भी बड़ा उछाल तीन वर्षों में देखने को मिलेगा। वर्ष 2020-21 में राज्य की सकल घरेलू उत्पाद (एस०डी०जी०पी०) रु० 1791263 करोड़ है। यह वर्ष 2023-24 में बढ़कर 2509774 करोड़ रुपये हो जाएगा। करीब सात लाख करोड़ रुपये एस०डी०जी०पी० बढ़ जाएगी जो कोविड काल में आर्थिक विकास में उत्पन्न गतिरोध को समाप्त कर देगी।

अध्याय-3

आय संरचना एवं प्रवृत्ति

विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में योजना व्यय प्रमुख रूप से राजस्व व्यवस्था द्वारा सरकार को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराये जाने की सामर्थ्य पर निर्भर करता है। तदुसार सरकार के विकास कार्यक्रमों का आकार काफी सीमा तक आवश्यक संसाधनों को जुटाने की आर्थिक एवं प्रशासनिक क्षमता पर आश्रित रहता है। अतः राज्य सरकार के राजस्व के विभिन्न स्रोतों की संरचना, स्वरूप एवं प्रवृत्ति का विस्तृत परीक्षण आवश्यक है। राज्य के आय के स्रोतों के अन्तर्गत मुख्य रूप से राजस्व लेखा एवं पूँजी लेखा से होने वाली प्राप्तियाँ आती हैं। राजस्व प्राप्तियों में राजस्व कर एवं करेतर राजस्व सम्मिलित हैं। इसी प्रकार पूँजी लेखा के अन्तर्गत ऋणों से प्राप्तियाँ राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ आती हैं। वर्ष 2006-07 से 2020-21 तक की अवधि के मध्य विभिन्न समय बिन्दुओं पर इन स्रोतों से राज्य को हुई आय की प्रवृत्ति तालिका-3.1 में दर्शाया गया है।

राज्य में राजस्व एवं पूँजी लेखा में प्राप्तियाँ वृद्धिमान प्रवृत्ति प्रदर्शित करती हैं। राजस्व लेखा से प्राप्तियाँ वर्ष 2006-07 में रुपये 60599.52 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2019-20 में रुपये 366393.18 करोड़ तथा पूँजी लेखा से संगत प्राप्तियाँ रुपये 12067.14 करोड़ से रुपये 79449.28 करोड़ हो गयी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की अवधि में राजस्व से प्राप्तियाँ ह्रासमान प्रवृत्ति एवं पूँजी लेखा में प्राप्तियाँ वृद्धिमान प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती हैं। इसी प्रकार वर्ष (2006-07) से लेकर वर्ष 2019-20 तक राजस्व लेखा में 6.1 गुना तथा पूँजी लेखा से प्राप्तियाँ लगभग 6.6 गुना की वृद्धि अंकित हुयी है।

तालिका-3.1
आय की संरचना एवं प्रवृत्ति

(करोड़ में)			
वर्ष	राजस्व लेखा	पूंजी लेखा	योग
1	2	3	4
2006-07	60599.52 (83.40)	12067.14 16.60	72666.66 100.00
2007-08	68672.47 (87.82)	9527.31 (12.18)	58199.78 (100.00)
2008-09	77830.73 (81.61)	17538.12 (18.39)	95368.85 (100.00)
2009-10	96420.95 (80.89)	22782.14 (19.11)	119203.09 (100.00)
2010-11	111183.76 (83.56)	21879.25 (16.44)	133063.01 (100.00)
2011-12	130869.70 (86.87)	19785.47 (13.13)	150655.17 (100.00)
2012-13	145903.98 (89.98)	16238.75 (10.02)	162142.73 (100.00)
2013-14	168213.75 (91.57)	1590.02 (8.43)	183703.77 (100.00)
2014-15	193421.61 (84.39)	35782.76 (15.61)	229204.37 (100.00)
2015-16	227075.94 (75.11)	75239.21 (24.89)	302315.15 (100.00)
2016-17	256875.15 (79.08)	67943.86 (20.92)	324819.01 (100.00)
2017-18	278775.45 (85.40)	47652.34 (14.60)	326427.79 (100.00)
2018-19	329977.51 (85.29)	56908.64 (14.71)	386886.15 (100.00)
2019-20	366393.18 (82.18)	79449.28 (17.82)	445842.46 (100.00)
2020-21 (पुनरीक्षित)	306801.66 (76.60)	93702.00 (23.40)	400503.66 (100.00)

स्रोत: - आय-व्ययक की रूपरेखा के विभिन्न अंक।

तालिका से स्पष्ट है कि राज्य की आय संरचना में कुल प्राप्तियाँ (राजस्व+पूँजी) वृद्धिमान प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है। कुल प्राप्तियाँ वर्ष 2006-07 में 72666.66 करोड़ से लगातार बढ़कर वर्ष 2019-20 में ₹0 445842.46 करोड़ की प्राप्तियाँ अंकित हुईं। इस प्रकार कुल प्राप्तियों में लगभग 6 गुने की बढ़ोतरी अंकित हुई है। राज्य की आय स्पष्ट रूप से राजस्व प्राप्तियों पर निर्भर करती है। वर्ष 2019-20 में राजस्व से हुई प्राप्तियाँ कुल प्राप्तियों का लगभग 82 प्रतिशत और शेष 18 प्रतिशत पूँजी लेखा से हुई प्राप्तियाँ अंकित होती है। वर्ष 2006-07 में दोनों के बीच लगभग 5:1 का अनुपात था जिसके बाद के वर्षों में उच्चावचन के साथ यह अनुपात घटकर वर्ष 2019-20 में 4.6:1 का हो गया है। वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 की अवधि में राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण जिसमें नाबार्ड से कर्ज एवं भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम को छोड़कर शेष बाजार कर्ज, अन्य संस्थाओं से कर्ज, राष्ट्रीय सहकारी निगम से कर्ज, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों से प्राप्तियाँ अनुमानित बजट से अधिक रही है। परन्तु वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 की अवधि में तालिका में उल्लिखित सभी मदों में अनुमानित बजट से वास्तविक प्राप्तियाँ कम ही हैं। वर्ष 2019-20 के अनुमानित बजट से बाजार कर्ज एवं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज में वास्तविक प्राप्तियों की अधिकता तथा शेष मदों में गिरावट परलक्षित होती है। पूँजी लेखा में राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण की प्रमुख मदों में वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक की अवधि में वृद्धि/कमि निम्नवत हैं:-

तालिका-3.2

राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण से प्राप्तियाँ

(₹0 करोड़ में)

वर्ष/मद	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
(अ) राज्य सरकार से आन्तरिक ऋण से प्राप्तियाँ					
1- बाजार कर्ज					
आय-व्ययक के अनुमान	23398.44	33245.98	43603.00	49603.00	55831.48
वास्तविक प्राप्तियाँ	30000.00	41050.00	41600.00	46000.00	69703.00
प्रतिशत	28.21	23.47	(-) 4.59	(-) 7.26	24.85
2- नाबार्ड से कर्ज					
आय-व्ययक के अनुमान	2000.00	2200.00	2200.00	5800.00	5800-00
वास्तविक प्राप्तियाँ	1893.45	2000.00	1500.00	4614.74	2731-86
प्रतिशत	(-)5.33	(-) 9.09	(-)31.82	(-) 36.71	(-) 47.10

3- अन्य संस्थाओं के कर्ज					
आय-व्ययक के अनुमान	5570.13	13603.00	494.26	200.00	125.00
वास्तविक प्राप्तियाँ	29749.68	14895.43	277.92	146.56	51.50
प्रतिशत	434.09	(+) 9.50	(-) 43.77	(-) 26.72	(-) 58.80
4- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज					
आय-व्ययक के अनुमान	11.05	12.00	12.00	12.00	12.00
वास्तविक प्राप्तियाँ	25.99	13.51	2.53	11.65	67.69
प्रतिशत	135.20	(+) 12.58	(-) 78.92	(-) 2.92	(+) 464.08
5- भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थापाय अग्रिम					
आय-व्ययक के अनुमान	10000.00	4000.00	10000.00	10000.00	10000.00
वास्तविक प्राप्तियाँ	4498.55	8695.05	2932.95	0.00	0.00
प्रतिशत	(-)55.01	(+)117.38	(-) 70.67	(-)100.00	(-)100.00
6- राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतुभृतियाँ					
आय-व्ययक के अनुमान	5000.00	4500.00	-	-	-
वास्तविक प्राप्तियाँ	7752.-05	0.00	-	-	-
प्रतिशत	55.04	(-)100.00	-	-	-
7- केन्द्र सरकार से कर्ज एवं अग्रिम की वसूली					
आय-व्ययक के अनुमान	-	-	-	-	1500.00
वास्तविक प्राप्तियाँ	-	-	-	-	1254.65
प्रतिशत	-	-	-	-	(-) 16.36
ऋण एवं अग्रिम की वसूली					
आय-व्ययक के अनुमान	-	-	-	-	5681.60
वास्तविक प्राप्तियाँ	-	-	-	-	5640.58
प्रतिशत	-	-	-	-	(-) 0.72

स्रोत: आय-व्ययक की रूपरेखा के विभिन्न अंक

वर्ष 2019-20 में पूँजी लेखे की कुल अनुमानित प्राप्ति ₹0 78950.08 करोड़ के सापेक्ष ₹0 79449.28 करोड़ की वास्तविक प्राप्ति हुयी जोकि अनुमानित प्राप्ति से ₹0 499.20 करोड़ (0.63 प्रतिशत) अधिक धनराशि प्राप्त हुयी है। इसके अतिरिक्त नाबार्ड से कर्ज, अन्य संस्थाओं से कर्ज मद में अनुमान से क्रमशः लगभग 47 प्रतिशत, 59 प्रतिशत, धनराशि कम एवं बाजार से कर्ज लगभग 25 प्रतिशत की धनराशि अधिक प्राप्त हुयी जबकि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज अनुमानित प्राप्ति से 5.6 गुना अधिक की धनराशि प्राप्त हुयी है। केन्द्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम मद में ₹0 1500 करोड़ अनुमान से लगभग ₹0 1255 करोड़ की प्राप्ति अर्थात ₹0 245 करोड़ (लगभग 16 प्रतिशत) की कर्ज कम प्राप्ति हुयी है। ऋण एवं अग्रिम की वसूलियों के मद में ₹0 5682 करोड़ के अनुमान से ₹0 5641 करोड़ (लगभग 0.72 प्रतिशत कम) प्राप्ति हुयी है। समग्र प्राप्तियों को संज्ञान में लेने पर आलोच्य वर्ष में अनुमानित प्राप्ति से कुल ₹0 24842.02 करोड़ की धनराशि कम प्राप्त हुयी है। राजस्व प्राप्तियों में कुल ₹0 25341.22 करोड़ एवं पूँजी लेखों की प्राप्तियों में ₹0 499.20 करोड़ की वृद्धि हुयी है।

प्रदेश में विकासात्मक गतिविधियों को बल दिये जाने के उद्देश्य से संसाधन में वृद्धि के अथक प्रयास किए जा रहे हैं ताकि जनोपयोगी एवं लोकहित से जुड़ी योजनाओं में धन की उपलब्धता बनी रहे। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि तीव्र आर्थिक विकास के निमित्त संसाधनों का जुटाया जाना एवं उसको उत्पादक कार्यों में इसका विनियोजन भी एक आवश्यक शर्त है।

राज्य के विभिन्न मदों से प्राप्तियां

राज्य की राजस्व आय, राज्य के अपने संसाधन तथा केन्द्रीय करों में अंश के आधार पर प्राप्त होती है। राज्य के राजस्व आय के प्रमुख स्रोत राज्य कर, राज्य करेतर राजस्व तथा केन्द्रीय करों के विभाजन अंश में राज्य का अंश तथा केन्द्र से अनुदान सम्मिलित है। दसवीं योजना के अन्त में (वर्ष 2006-07) कर राजस्व एवं केन्द्रीय करों में अंश का लगभग 76 प्रतिशत का योगदान था वहीं वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 की अवधि में यह अंश लगभग 78 प्रतिशत हो गया परन्तु वर्ष 2019-20 की अवधि में इस मद से राज्य को मिलने वाली आय का योगदान लगभग 66 प्रतिशत आगणित होता है। इसी क्रम में करेतर राजस्व दसवीं योजना के अन्त में 24 प्रतिशत से घट कर 11वीं योजना के अन्त में 21 प्रतिशत तथा 12वीं योजना के अन्तिम वर्ष में 24 प्रतिशत एवं वर्ष 2019-20 में इसका योगदान बढ़कर लगभग 34 प्रतिशत आंकलित होता है। विगत वर्ष की तुलना में करेतर राजस्व में लगभग 72 प्रतिशत धनराशि की बढ़ोतरी अंकित होती है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद (G.S.D.P.) में राजस्व प्राप्ति का योगदान वर्ष 2014-15 में 19 प्रतिशत, वर्ष 2015-16 में 20 प्रतिशत, वर्ष 2016-17 में 21 प्रतिशत वर्ष 2017-18 में घटकर 20 प्रतिशत वर्ष 2018-19, एवं वर्ष 2019-20 में इसका योगदान लगभग 22 प्रतिशत बना रहा है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2009-10 को छोड़ कर शेष अन्य वर्षों में राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में हुयी वृद्धि दर के समानुपातिक नहीं थी, जिसका विवरण तालिका-3.3 में दिया गया है।

तालिका-3.3
राजस्व प्राप्तियाँ

(करोड़ ₹ में)

वर्ष	वर्ष													
	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1-राजस्व प्राप्तियाँ (2+3)	60599.52 (100.00)	68672.47 (100.00)	77830.73 (100.00)	96420.95 (100.00)	111183.76 (100.00)	130869.70 (100.00)	145903.98 (100.00)	168213.75 (100.00)	193421.61 (100.00)	227075.94 (100)	256875.15 (100)	278775.45 (100)	329977.51 (100)	366393.18 (100)
2-कर राजस्व एवं केन्द्रीय करों में अंश (अ+ब)	46216.28 (76.3)	54247.06 (79.0)	59564.69 (76.5)	65674.27 (68.1)	84573.90 (76.11)	102964.38 (78.7)	115596.21 (79.2)	129358.77 (76.9)	140795.33 (72.8)	172079.95 (75.78)	195394.21 (76.10)	218332.14 (78.30)	256886.31 (77.85)	240644.13 (65.66)
अ-केन्द्रीय करों में अंश	23218.31 (38.2)	29287.74 (42.5)	30905.72 (39.6)	31796.67 (32.9)	43219.07 (38.9)	50350.95 (38.5)	57497.85 (39.4)	62776.66 (37.3)	66622.35 (34.4)	90973.66 (40.06)	109427.96 (42.60)	120939.14 (43.40)	136766.46 (41.45)	117818.30 (32.16)
ब-राज्य कर तथा शुल्क	22997.97 (38.0)	24959.32 (36.3)	28658.97 (36.8)	33877.60 (35.1)	41354.83 (37.2)	52613.43 (40.2)	58096.36 (39.8)	66562.11 (39.6)	74172.98 (38.3)	81106.29 (35.72)	85966.25 (33.50)	97393.00 (34.90)	120121.85 (36.40)	122825.83 (33.52)
3-करेत्तर राजस्व	14383.24 (23.7)	14425.41 (21.0)	18286.04 (23.5)	30746.68 (31.9)	26609.86 (23.9)	27905.32 (21.3)	30307.77 (20.8)	38854.98 (23.1)	52626.28 (27.2)	54995.99 (24.22)	61480.94 (23.90)	60443.31 (21.70)	73089.20 (22.15)	125749.05 (34.32)
4-राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर	-	13.32	13.34	23.89	15.31	17.70	11.49	15.29	14.99	17.40	13.12	8.53	18.37	11.04
वर्ष	वर्ष													
5-राजस्व प्राप्तियाँ / सकल राज्य घरेलू उत्पाद(प्रचलित भाव पर) प्रतिशत	-	17.93	17.50	18.42	18.52	18.07	17.74	17.89	19.12	20.28	20.84	20.22	22.35	21.68
6-सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर	-	13.9	16.1	17.7	14.7	14.2	13.6	14.3	7.6	10.7	10.1	10.5	7.09	14.45
7-केन्द्रीय करों के अंश में वृद्धि दर	-	26.14	9.25	2.88	35.92	16.50	14.19	9.2	6.1	36.6	20.29	10.52	13.09	-13.85
8-करेत्तर राजस्व में वृद्धि दर	-	0.29	26.62	68.33	(-13.45)	4.87	8.61	28.2	35.4	4.50	11.79	(-1.69)	20.92	72.05

स्रोत:- आय-व्ययक की रूप-रेखा के विभिन्न अंक एवं निवल राज्य घरेलू उत्पाद (बाजार मूल्यों पर) प्रचलित भाव पर वर्ष (2015-16 से 2018-19)

तालिका 3.3 से स्पष्ट है कि वर्ष 2006-07 में केन्द्रीय करों में अंश तथा राज्य के अपने करों एवं शुल्कों से सम्बन्धित आय का योगदान दोनों मदों में 38 प्रतिशत के बराबर था। परन्तु वर्ष 2017-18 में केन्द्रीय करों का अंश में (43 प्रतिशत) अधिकतम अंकित होता है, तत्पश्चात लगातार घटकर यह अंश वर्ष 2019-20 में 32 प्रतिशत का योगदान राजस्व प्राप्ति में ऑकलित होता है। वर्ष 2016-17 से केन्द्रीय करों से राज्य का अंश 109427.96 करोड़ रुपये की धनराशि मिली थी जो नए वित्तीय वर्ष 2021-22 में 17.939 प्रतिशत के आधार पर उससे भी थोड़ा कम (11939.30 करोड़ रुपये) मिलने का अनुमान केन्द्रीय बजट में किया गया है। वर्ष 2017-18 में केन्द्रीय करों में राज्य अंश 120939.14 करोड़ मिले थे। तत्पश्चात लगातार घटकर वर्ष 2019-20 में इसका परिमाण घटकर ₹0 117818.30 ऑकलित होता है। जबकि राज्य कर का योगदान वर्ष 2016-17 से वर्ष 2018-19 तक 34 प्रतिशत से बढ़कर 36 प्रतिशत का आंकलन किया गया है। वर्ष 2019-20 में यह अंश घटकर लगभग 34 प्रतिशत हो गया है। स्पष्टता केन्द्रीय करों में राज्य का अंश तथा राज्य के अपने करों एवं शुल्कों से आय का अंश वर्ष 2006-07 से वर्ष 2019-20 की अवधि में बढ़ोतरी का परिमाण क्रमशः लगभग 5.0 गुना एवं 5.3 गुना रहा। अतः राज्य की समस्याओं एवं विकास की प्रतिबद्धताओं के परिपेक्ष में पर्याप्त संसाधनों हेतु अपने करों तथा शुल्कों से हो रही आय के आकार को बढ़ाना तार्किक भी है और आवश्यक भी।

राज्य के स्वयं के संसाधन

राज्य के कर एवं करेतर राजस्व के महत्ता के सन्दर्भ में इसकी विस्तृत व्याख्या आवश्यक है। राज्य करों एवं शुल्कों में भू-राजस्व, राज्य उत्पाद कर, वाहन कर, स्टाम्प कर, माल और यात्रियों पर कर, मनोरंजन कर, बिजली पर कर एवं आय और व्यय पर अन्य कर सम्मिलित हैं। इसका विस्तृत विवरण तालिका 3.4 में दिया गया है।

तालिका के विवरण से स्पष्ट है कि प्रदेश में राज्य कर तथा शुल्क का अंश, कर राजस्व एवं केन्द्रीय करों के अंश से प्राप्ति से वर्ष 2018-19 में इस मद का अंश लगभग 47 प्रतिशत था जो वर्ष 2019-20 में बढ़कर 51 प्रतिशत हो गया।

बिक्री कर, राज्य आय का महत्वपूर्ण घटक है। प्रश्नगत वर्षों में बिक्री कर से सर्वाधिक आय वर्ष 2011-12 में 63 प्रतिशत थी किन्तु उसके बाद गिरावट के साथ वर्ष 2016-17 में 60

प्रतिशत हो गया फिर भी राज्य को अपने करों से हो रही आय का आधे से अधिक भाग बिक्री कर द्वारा प्राप्त हो रहा है परन्तु यह भाग वर्ष 2019-20 में घटकर मात्र 17 प्रतिशत हो गया। यह भी उल्लेखनीय है कि माह जुलाई, 2017-18 में जी०एस०टी० व्यवस्था लागू हो जाने के फलस्वरूप वस्तु एवं सेवाकर मद में रू० 28602.70 करोड़ अनुमानित प्राप्ति के सापेक्ष रू० 25373.96 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुयी जो स्वयं के कर राजस्व का लगभग 26 प्रतिशत है। वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क में लगभग रू० 704 करोड़ के सापेक्ष रू० 305 करोड़ की प्राप्ति हुयी जो स्वयं के कर राजस्व का मात्र 0.31 प्रतिशत है।

राज्य के स्वयं के संसाधन में आय के रूप में राज्य उत्पाद कर का दूसरा स्थान है। वर्ष 2011-12 से (16 प्रतिशत) इस मद में राज्य के कुल करों से हो रही आय के अंश में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 2019-20 में यह अंश बढ़कर लगभग 22 प्रतिशत हो गया।

प्रदेश के प्रमुख आय के स्रोत में अगला स्थान स्टाम्प कर का है इस मद के अन्तर्गत वर्ष 2006-07 सर्वाधिक आय लगभग 20 प्रतिशत आगणित की गई किन्तु उसके बाद उच्चावचन के साथ वर्ष 2019-20 में घटकर लगभग 13 प्रतिशत हो गया है।

भू-राजस्व से प्रदेश को बहुत अधिक आय नहीं होती है। वर्ष 2010-11 में सर्वाधिक 3 प्रतिशत आय का योगदान था। वर्ष 2014-15 से के मध्य राज्य के कुल करों से हो रही आय के रूप में इस मद से प्राप्ति घटकर लगभग 1.0 प्रतिशत से कम हो गया है परन्तु वर्ष 2019-20 में इसका अंश 0.41 आंकलित होता है।

प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि के कारण आवागमन एवं यातायात की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप मार्गों पर चलने वाली गाड़ियों की संख्या में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है। राज्य परिवहन निगम के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के मध्य उत्तर प्रदेश में सड़क पर चल रही कुल मोटर गाड़ियों की संख्या में 14.2 प्रतिशत, वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के मध्य 10.6 प्रतिशत की वृद्धि तथा वर्ष 2015-16 की अपेक्षा वर्ष 2016-17 में इसके अंश 9.7 प्रतिशत, वर्ष 2017-18 की अपेक्षा वर्ष 2018-19 में सड़क पर चल रहे कुल वाहनों की संख्या में 11.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है एवं प्रदेश में वाहनों की बढ़ती संख्या के सापेक्ष वाहनों से प्राप्त कर में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है। राज्य के स्वयं के संसाधन से प्राप्त कुल कर में वाहन कर का योगदान वर्ष 2010-11 से वर्ष 2015-16 तक इसका अंश 4 से 5 प्रतिशत तथा वर्ष 2016-17 से वर्ष 2017-18 की अवधि में 7 प्रतिशत एवं वर्ष 2019-20 में इसका अंश घटकर 6 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2017-18 के जुलाई माह से इस मद पर प्राप्त होने वाली आय वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर मद में सम्मिलित कर लिया गया है। माल तथा यात्री कर के रूप में वसूली, प्रश्नगत वर्षों में लगातार घट रही है। विगत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2018-19

में इस मद में कर की वसूली लगभग नगण्य हुई है। इस मद से प्राप्त वर्ष 2006-07 में ₹0 108.71 करोड़ थी जो वर्ष 2019-20 में 9.52 करोड़ रुपये हो गई है।

मनोरंजन कर की वसूली में भी प्रदेश में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं की है। वर्ष 2006-07 से लेकर वर्ष 2016-17 तक इस मद से प्राप्तियां मात्र 0.57 प्रतिशत तथा 0.84 प्रतिशत के मध्य वसूली की गई है। माह जुलाई, 2017 में प्रदेश में जी0एस0टी0 व्यवस्था लागू होने से मनोरंजन कर जी0एस0टी0 में समाहित हो गया है। बिजली पर कर और शुल्क में भी आय, वर्ष 2006-13 तक की अवधि में इसका राज्य के करों से प्राप्तियों में योगदान 1 प्रतिशत से भी कम आँगणित की गई है। तत्पश्चात् यह वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 तक की अवधि में यह योगदान लगभग 2 प्रतिशत एवं वर्ष 2018-19 से वर्ष 2019-20 तक की अवधि में इसका योगदान 3 प्रतिशत आँकलित होता है। आय और व्यय पर अन्य कर की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। वर्ष 2009-10 से वर्ष 2016-17 तक मात्र 0.06 प्रतिशत ही वसूली की जा सकी है। इस अवधि इस मद का योगदान लगभग नगण्य है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि माह जुलाई, 2017 से प्रदेश में जी0एस0टी0 लागू हो जाने से इस मद की धनराशि वस्तु एवं सेवा कर में सम्मिलित हो गयी।

तालिका-3.4 से यह भी स्पष्ट है कि “राज्य कर तथा शुल्क” के अन्तर्गत पांच मद यथा वाहन कर, भू-राजस्व, माल और यात्रियों पर कर, बिजली पर कर और शुल्क व आय और व्यय पर अन्य कर पर राज्य के कुल करों से हो रही अधिकतम आय का योगदान का अंश वर्ष 2019-20 में 9.51 प्रतिशत है।

इन मदों पर विशेष ध्यान दे कर राजस्व वसूली की जानी चाहिये कार्यान्वयन के कारणों कारणों का पता लगा कर निदान करना आवश्यक है। यह भी उल्लेखनीय है, राज्य के अपने करों से प्राप्त होने वाली आय में बिक्री कर, स्टाम्प कर तथा राज्य उत्पाद कर का योगदान वर्ष 2006-07 में 93 प्रतिशत था। जो वर्ष 2019-20 में घटकर लगभग 55.15 प्रतिशत हो गया। यहाँ यह भी उल्लेख करना समीचीन प्रतीत होता है कि वर्ष 2006-07 में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) लागू नहीं था।

उपरोक्त तीनों मदों से आय में वृद्धि किये जाने की अपार सम्भावनायें हैं इसलिये इन मदों में आय में वृद्धि किये जाने हेतु कारगर उपाय किये जाने की आवश्यकता है।

तालिका -3.4
राज्य के स्वयं संसाधन

(करोड़ रुपये)

मद/वर्ष	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1-राज्य कर तथा शुल्क	22997.97 (100.00)	24959.32 (100.00)	28658.97 (100.00)	33877.60 (100.00)	41354.83 (100.00)	52613.43 (100.00)
2-बिक्री कर	13278.82 (57.74)	15023.10 (60.19)	17482.05 (61.00)	20825.18 (61.47)	24836.52 (60.06)	33107.34 (60.93)
3-राज्य उत्पाद कर	3551.25 (15.44)	3948.41 (15.82)	4720.01 (16.47)	5666.06 (16.73)	6723.49 (16.27)	8139.20 (15.47)
4-स्टाम्प कर	4513.64 (19.63)	3976.68 (15.93)	4138.27 (15.44)	4562.23 (13.47)	5974.66 (14.45)	7694.41 (14.62)
5-वाहन कर	1017.60 (4.42)	1145.84 (4.59)	1124.66 (3.92)	1403.50 (4.14)	1816.89 (4.39)	2375.86 (4.52)
6-भू राजस्व	187.52 (0.82)	392.53 (1.57)	549.28 (1.92)	663.14 (1.96)	1134.16 (2.74)	490.68 (0.93)
7-माल और यात्रियों पर कर	108.71 (0.48)	109.65 (0.44)	266.49 (0.93)	271.05 (0.80)	241.68 (0.58)	4.81 (0.01)
8-मनोरंजन कर	131.57 (0.57)	137.50 (0.55)	140.59 (0.49)	193.34 (0.57)	244.98 (0.59)	312.47 (0.59)
9-बिजली पर कर और शुल्क	193.92 (0.84)	206.65 (0.83)	216.72 (0.76)	272.16 (0.80)	357.01 (0.86)	458.20 (0.87)
10-आय और व्यय पर अन्य कर	14.91 (0.06)	18.96 (0.08)	20.90 (0.07)	20.94 (0.06)	25.44 (0.06)	30.46 (0.06)
11-राज्य कर तथा शुल्क का कर राजस्व की प्राप्ति से प्रतिशत	49.76	46.01	48.11	51.58	48.90	51.10

स्रोत:-आय-व्ययक की रूपरेखा के विभिन्न अंक।

कमरा:

तालिका -3.4
राज्य के स्वयं संसाधन

(करोड़ रुपये)

मद/वर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1-राज्य कर तथा शुल्क	58098.36 (100.00)	66582.11 (100.00)	74172.98 (100.00)	81106.29 (100.00)	85966.25 (100.00)	97393.00 (100.00)	120121.85 (100.00)	122825.83 (100.00)
2-बिक्री कर	34870.16 (60.02)	39645.45 (59.54)	42934.56 (57.88)	47692.40 (58.80)	51882.88 (60.35)	31112.52 (31.95)	23797.84 (19.81)	20517.14 (16.70)
3-वस्तु एवं सेवा कर	-	-	-	-	-	25373.96 (26.05)	46108.03 (38.38)	47232.41 (38.45)
4-राज्य उत्पाद कर	9782.49 (16.84)	11643.84 (17.49)	13482.57 (18.18)	14083.54 (17.36)	14273.49 (16.60)	17320.27 (17.78)	23926.66 (19.92)	27324.76 (22.25)
5-स्टाम्प कर	8742.17 (15.05)	9520.92 (14.30)	11803.34 (15.91)	12403.72 (15.29)	11564.01 (13.46)	13397.57 (13.76)	15733.03 (13.10)	16069.80 (13.08)
6-वाहन कर	2992.92 (5.15)	3441.41 (5.17)	3797.03 (5.12)	4409.74 (5.44)	5148.36* (6.00)	6403.65 (6.58)	6929.34 (5.77)	7714.87 (6.28)
7-भू राजस्व	804.64 (1.39)	772.00 (1.16)	527.23 (0.71)	505.31 (0.62)	760.04 (0.88)	1336.46 (1.37)	631.24 (0.53)	503.62 (0.41)
8-माल और यात्रियों पर कर	1.04 (0.002)	0.60 (0.0009)	0.55 (0.0007)	0.79 (0.0009)	*	*	0.68 (0.0005)	9.52 (0.008)
9-मनोरंजन कर	385.08 (0.66)	469.82 (0.71)	498.39 (0.67)	622.26 (0.77)	725.79 (0.84)	305.25 (0.31)	15.60 (0.01)	*
10-बिजली पर कर और शुल्क	484.91 (0.83)	1048.50 (1.57)	1085.44 (1.46)	1338.26 (1.65)	1555.83 (1.81)	2124.13 (2.18)	2978.22 (2.48)	3452.50 (2.81)
11-आय और व्यय पर अन्य कर	34.95 (0.06)	39.57 (0.06)	43.87 (0.06)	50.27 (0.06)	55.85 (0.06)	19.19 (0.02)	1.21 (0.001)	1.21 (0.001)
12-राज्य कर तथा शुल्क का कर राजस्व की प्राप्ति से प्रतिशत	49.79	51.47	52.68	47.13	44.00	44.61	36.40	33.52

स्रोत:-आय-व्यय की रूपरेखा के विभिन्न अंक।

करेतर राजस्व

करेतर राजस्व,राज्य की आय का महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसके अन्तर्गत (क) ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश एवं लाभ, (ख) सामान्य सामाजिक एवं आर्थिक सेवायें, तथा (ग) केन्द्रीय सरकार से सहायक अनुदान विषयक मद आते हैं। इनमें से प्रथम दो मद अर्थात् ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश एवं लाभ तथा सामान्य सामाजिक सेवायें एवं आर्थिक सेवायें राज्य के अपने करेतर राजस्व के स्रोत हैं जिसके पांच उपभाग हैं। प्रथम ब्याज प्राप्तियों में विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, कृषकों, स्थानीय निकायों तथा अन्य को दिये गये ऋण पर ब्याज सम्मिलित है। द्वितीय, लाभांश का सम्बन्ध सार्वजनिक उपक्रमों तथा विनियोगों से है। तृतीय, सामान्य प्रशासनिक सेवाओं के अन्तर्गत पुलिस व जेल, लेखन सामग्री तथा मुद्रण, लोक निर्माण कार्य, विविध सामान्य सेवायें तथा अन्य से सम्बन्धित प्राप्तियाँ आती हैं। चतुर्थ, सामाजिक एवं सामुदायिक प्राप्तियों में शिक्षा, चिकित्सा आदि से सम्बन्धित शुल्क एवं उपकर शामिल हैं। पंचम, आर्थिक सेवाओं से सम्बन्धित प्राप्तियों में वन, ग्रामीण तथा लघु उद्योगों, सहकारी समितियों, बहुउद्देश्यी नदी परियोजनाओं, सिंचाई बाढ़ नियंत्रण एवं जल-निकासी परियोजनाओं, विद्युत परियोजनाओं, सड़क तथा परिवहन सेवाओं, दुग्ध विकास आदि से होने वाला राजस्व सम्मिलित है।

सहायक अनुदान तथा अन्य योगदान दूसरा करेतर राजस्व का स्रोत है। जिसमें योजना एवं गैर-योजना अनुदान दोनों हैं। योजना अनुदान में राज्य योजना कार्यक्रमों, केन्द्रीय योजना कार्यक्रमों तथा केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत दिया जाने वाला अनुदान आता है तथा गैर योजना अनुदानों का सम्बन्ध सांविधिक अनुदान, प्राकृतिक आपदाओं तथा अन्य अनुदानों से है।

तालिका-3.5

राज्य के करेत्तर राजस्व एवं केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान
(करोड़ रुपये)

क्र. सं	मद	वर्ष				
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
	करेत्तर राजस्व	14425 (100.00)	18266 (100.00)	30746 (100.00)	26610 (100.00)	27905 (100.00)
1	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	8609 (60)	11499 (63)	17145 (56)	15434 (58)	17760 (64)
2	राज्य करेत्तर राजस्व	5816 (40)	6767 (37)	13601 (44)	11176 (42)	10145 (37)
अ	ब्याज प्राप्तियां	1259*	964	604	689	789
ब	लाभांश एवं लाभ	-	50	27	27	38
स	सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक सेवायें	4557	5753	12970	10460	9318
3	राजस्व प्राप्तियों में कुल अनुदान का प्रतिशत	12.54	14.77	17.78	13.88	13.57

नोट:- *ब्याज प्राप्तियों में, लाभांश एवं लाभ सम्मिलित है। कोष्ठक में संख्या प्रतिशत प्रदर्शित करती है।

स्रोत:- आय-व्ययक की रूप रेखा के विभिन्न अंक।

तालिका-3.5

राज्य के करेतर राजस्व एवं केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(करोड़ रू0)

क्र.सं.	मद	वर्ष							
		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
	करेतर राजस्व	30308 (100.00)	38855 (100.00)	52626 (100.00)	54996.00 (100.00)	61481.00 (100.00)	60443.00 (100.00)	73089.20 (100.00)	125749.05 (100.00)
1.	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	17338 (57)	22405 (58)	32691 (62)	31861.33 (58)	32537.00 (53)	40648.00 (67)	42988.49 (59)	44043.97 (35)
2.	राज्य करेतर राजस्व	12970 (43)	16450 (42)	19935 (38)	23135.00 (42)	28944.00 (47)	19795.00 (33)	30100.71 (41)	81705.08 (65)
अ.	ब्याज प्राप्तियाँ	1186	1620	2303	633.00	1165.00	1093.00	1712.40	1469.44
ब.	लाभांश एवं लाभ	63	5	8	43.00	86.00	31.00	175.48	39.05
स.	सामन्य, सामाजिक एवं आर्थिक सेवायें	11721	14825	17624	22459.00	27693.00	18671.00	28212.78	80196.56
3.	राजस्व प्राप्तिओं में कुल अनुदान का प्रतिशत	11.88	13.30	16.90	14.03	12.67	14.58	22.15	34.32

स्रोत:- आय व्ययक की रूप रेखा के विभिन्न अंक।

तालिका-3.5 से स्पष्ट है कि राजस्व प्राप्तियों में कुल अनुदान का प्रतिशत वर्ष 2009-10 में अधिकतम 18 प्रतिशत रहा है। यह अनुदान वर्ष 2019-20 की अवधि में बढ़कर लगभग 34 प्रतिशत आगणित होता है। यहाँ भी उल्लेख करना समीचीन होगा कि वर्ष 2021-22 में केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान मद पर लगभग 81000 करोड़ प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है, परन्तु केन्द्र ने बजट में राज्यों को सहायता अनुदान के मद में 363355 करोड़ रुपये का प्रविधान किया है सहायता अनुदान में 18.16 प्रतिशत की हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की होती है। इस प्रकार प्रदेश को लगभग 66000 करोड़ रुपय मिलने का अनुमान अनुमान है। विगत 9 वर्ष की तुलना में ब्याज प्रप्तियां, लाभांश और लाभ तथा सामान्य सामाजिक एवं आर्थिक सेवायें से प्राप्तियों का अंश वर्ष 2016-17 में अधिकतम 47 प्रतिशत रहा है, जो वर्ष 2019-20 की अवधि में यह अंश बढ़कर 65 प्रतिशत आँगणित होता है, जबकि केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान विगत वर्षों की तुलना में सबसे न्यूनतम 35 प्रतिशत रहा है। यह अनुदान वर्ष 2007-08 से 2019-20 की अवधि में लगभग पांच गुना बढ़ोतरी आगणित हुई है जबकि इसी अवधि में ब्याज प्राप्तियां, लाभांश तथा लाभ के परिमाण 1.19 गुना तथा सामान्य सामाजिक एवं आर्थिक सेवायें में वृद्धि का परिमाण लगभग 18 गुना परिलक्षित होता है। उक्त विश्लेषण के आधार पर ब्याज प्राप्तियां, लाभांश तथा लाभ के रूप में प्राप्त होने वाले राजस्व को बढ़ाने की आवश्यकता है।

प्रति व्यक्ति कर राजस्व

तीव्र आर्थिक विकास के निमित्त ससांधनों का जुटाया जाना अथवा आर्थिक अधिशेष (इकोनामिक सरप्लस) का उत्पादन कार्यों में विनियोजन एक जरूरी शर्त है। तदनुसार आय में वृद्धि होने के साथ, कुल आय में करों का अंश भी बढ़ना चाहिये। इस परिप्रेक्ष्य में, इस तथ्य की व्याख्या तर्कसंगत प्रतीत होती है कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति राज्य करों के भार की स्थिति विभिन्न समय बिन्दुओं तथा अन्य राज्यों की तुलना में कैसी रही है का विवरण तालिका-3.6 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका-3.6

विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय में प्रति व्यक्ति कर भार का प्रतिशत

वर्ष/राज्य	प्रति व्यक्ति कर भार (रु०)						प्रति व्यक्ति आय (रु०)					
	1990-91	2000-01	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	1990-91	2000-01	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1. आन्ध्र प्रदेश	415	1388.30	13123	13123	14407	15676	4731	17195	95689	108163	123664	143935
2. असम	170	526.20	7739	7739	11738	12689	3427	12803	54618	60526	67303	74204
3. बिहार	133	348.30	5710	5710	8191	8837	2539	6415	31380	31454	34409	38631
4. गुजरात	589	1764.60	13440	13440	15997	17782	6060	18392	124518	141504	156527	174652
5. हरियाणा	656	2014.90	14093	14093	18433	22642	6936	25583	150260	162034	180174	203340
6. कर्नाटक	518	1700.00	14652	14652	19233	20517	4737	18344	132749	142906	161936	187649
7. केरल	448	1836.30	15103	15103	20090	22303	4200	20094	139382	147190	163475	184000
8. मध्य	275	923.00	9786	9786	13684	14425	3614	11862	56516	62334	74590	82941
9. महाराष्ट्र	684	2017.10	12925	12925	16285	19736	7409	22777	134081	147399	165491	176102
10.उड़ीसा	214	590.70	10495	10495	14099	16092	3180	10452	63108	68293	74234	84854
11. पंजाब	655	1994.10	11969	11969	15599	16375	8281	27865	114561	119261	128890	142644
12. राजस्थान	276	924.50	10455	10455	13053	15068	3983	13020	76881	82325	92076	99487
13.तमिलनाडु	562	1967.80	14401	14401	16698	18252	4676	20972	130197	137837	150036	171583
14. उत्तर प्रदेश	234	652.40	8053	8053	11239	11930	3557	9828	43876	46253	50942	58821
15. पश्चिम बंगाल	316	732.60	7181	7181	10180	11505	4673	16583	NA	NA	83126	93711

तालिका-3.6

विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय में प्रति व्यक्ति कर भार का प्रतिशत

राज्य	प्रति व्यक्ति आय में प्रति व्यक्ति कर भार का प्रतिशत					
	1990-91	2000-01	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1. आन्ध्र प्रदेश	8.77 (5)	8.10 (6)	13.71 (6)	12.13 (7)	11.65 (11)	10.89 (14)
2. असम	4.30 (14)	4.10 (15)	14.17 (5)	12.79 (5)	17.44 (5)	17.10 (5)
3. बिहार	5.02 (13)	5.40 (13)	18.20 (2)	18.15 (1)	23.81 (1)	22.88 (1)
4. गुजरात	7.07 (8)	9.60 (1)	10.79 (11)	9.50 (12)	10.22 (14)	10.18 (15)
5. हरियाणा	8.73 (6)	7.90 (7)	9.38 (14)	8.70 (14)	10.23 (13)	11.13 (12)
6. कर्नाटक	11.19 (2)	9.30 (3)	11.04 (9)	10.25 (10)	11.88 (10)	10.93 (13)
7. केरल	11.00 (3)	9.10 (4)	10.84 (10)	10.26 (9)	12.29 (8)	12.12 (8)
8. मध्य प्रदेश	6.84 (9)	7.80 (8)	17.32 (3)	15.70 (3)	18.35 (4)	17.39 (4)
9. महाराष्ट्र	9.00 (4)	8.90 (5)	9.64 (13)	8.77 (13)	9.84 (15)	11.21 (11)
10. उड़ीसा	6.73 (11)	5.70 (12)	16.63 (4)	15.37 (4)	18.99 (3)	18.96 (3)
11. पंजाब	7.78 (7)	7.20 (9)	10.45 (12)	10.04 (11)	12.10 (9)	11.48 (9)
12. राजस्थान	6.84 (9)	7.10 (10)	13.60 (7)	12.70 (6)	14.18 (6)	15.15 (6)
13. तमिलनाडु	12.00 (1)	9.40 (2)	11.06 (8)	10.45 (8)	11.13 (12)	10.64 (13)
14. उत्तर प्रदेश	6.66 (12)	6.60 (11)	18.35 (1)	17.41 (2)	22.06 (2)	20.28 (2)
15. पश्चिम बंगाल	6.80 (10)	4.40 (14)	NA	NA	12.25 (7)	12.28 (7)

नोट:- कोष्ठक में दी गई संख्यायें रैंक को प्रदर्शित करती हैं।

स्रोत:- उत्तर प्रदेश बजट की रूप रेखा 2017-18, 2018-19 एवं वित्तीय सांख्यिकी पुस्तिका के विभिन्न अंक।

तालिका-3.6 से स्पष्ट है कि वर्ष 2014-15 में विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय में प्रति व्यक्ति कर भार उत्तर प्रदेश 18.35 प्रतिशत के साथ प्रथम स्थान पर है। तत्पश्चात वर्ष 2015-16 से 2017-18 की अवधि में प्रदेश का दूसरा स्थान है। कर प्रयासों की दृष्टि से वर्ष 2017-18 में प्रदेश का प्रयास सराहनीय है।

राज्य को अपने कर प्रयासों में और तेजी तथा बेहद लाने की बेहद जरूरत है जिससे अपनी विकास आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये वित्तीय संसाधनों के अन्य विकल्प यथा ऋण एवं केन्द्रीय सहायता पर निर्भरता कम हो सके क्योंकि इन स्रोतों के विगत संचरण को दृष्टिगत रखते हुए उन पर एकांगी भरोसा व्यवहारिक न होगा। वर्ष 2017-18 (वास्तविक), 2018-19 से (पुनरीक्षित) तथा 2019-20 से (अनुमानित) के प्रति व्यक्ति राजस्व की प्राप्तियाँ जिसका विवरण अनुलग्नक-2 में दिया गया है से भी यही तथ्य उजागर होता है। प्रदेश की स्थिति 28 राज्यों में बिहार पश्चिम बंगाल व झारखण्ड को छोड़कर सबसे निम्नतम स्थान पर आती है।

संक्षेप में, उपर्युक्त विश्लेषण से निम्नांकित महत्वपूर्ण तथ्य सामने आते हैं:-

1. राज्य की कुल आय में कर राजस्व, करेतर राजस्व तथा ऋण प्राप्तिओं का अंश वर्ष 2018-19 में क्रमशः लगभग 66.40 प्रतिशत, 20.27 प्रतिशत तथा 13.33 प्रतिशत है जबकि यह अंश वर्ष 2019-20 में क्रमशः 53.98 प्रतिशत, 29.47 प्रतिशत एवं 16.55 प्रतिशत हो गया। ऋणों से प्राप्तिओं के मद में विगत वर्ष की तुलना में लगभग 3.22 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है तथा कर राजस्व मद के अंश में भी 12.42 प्रतिशत की कमी आयी है। राज्य की कुल प्राप्तिओं में अपने करों द्वारा योगदान की प्रवृत्ति अनुकूल नहीं है। इस योगदान को प्रचुर रूप में बढ़ाना होगा क्योंकि राज्य द्वारा लगाये एवं वसूले गये करों से प्राप्तियाँ ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है, जहाँ राज्य सरकार अपने प्रयासों से इस स्रोत से अपनी राजस्व प्राप्तिओं में बढ़ोतरी ला सकती है। ऐसा इसलिये भी जरूरी हो जाता है क्योंकि राजस्व के अन्य स्रोत अपेक्षाकृत लचीले नहीं हैं। दो स्रोत यथा केन्द्रीय करों में अंश तथा केन्द्रीय सरकार से सहायक अनुदान किसी भी तरह राज्य के प्रयासों से व्यावहारिक रूप में लागू नहीं होते, क्योंकि उनका निर्धारण संवैधानिक प्राविधानों एवं वित्त आयोग के एवार्डस द्वारा होता है। अतः करेतर राजस्व के अन्तर्गत राज्य सरकार के प्रयास उसी अंश तक हो सकते हैं।

2. राज्य को करों के क्षेत्र में विस्तार लाने के लिये जहां अतिरेक (सरप्लस) की तलाश करनी होगी वहीं करापवंचन को रोकने तथा वर्तमान करों की वसूलियों में वृद्धि हेतु प्रभावी कदम उठाने होंगे, जिससे कर राजस्व की प्राप्तियां प्रचुरतः बढ़ाई जा सकती हैं।
3. करेतर राजस्व के अन्तर्गत ब्याज प्राप्तियां, लाभांश एवं लाभ से राज्य को हो रही आय के वर्तमान स्तर को प्रशासनिक क्षमता एवं आर्थिक कार्यकुशलता में चुस्ती लाकर ऊंचा करने की नितान्त आवश्यकता है। विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं स्वायत्त-शासी संस्थाओं में विवेकपूर्ण विनियोग किया जाना चाहिये तथा पूर्व विनियोजित पूँजी की उत्पादकता में वांछित सुधार लाना होगा।
5. उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश की वर्तमान वित्तीय स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए केन्द्र सरकार से और अधिक धनराशि प्राप्त करने की आवश्यकता है। अतः जहां एक ओर राज्य की राजकोषीय नीति को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यकतानुसार मोड़ने की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर राज्य को उनके प्रयासों में केन्द्रीय सरकार से अनुपूरक सहायता एवं सक्रिय सहयोग प्राप्त करना चाहिये क्योंकि इससे प्रदेश का पूरे देश के समग्र विकास में बहुत प्रभावी योगदान हो सकेगा।

प्रति व्यक्ति राजस्व प्राप्तियाँ

(रु० में)

राज्य	कुल राजस्व		
	2017-18	2018-19 पुनरीक्षित	2019-20 आय-व्ययक
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	20012	21845	34038
2. अरुणाचल प्रदेश	98390	141065	148985
3. असम	17350	28799	26650
4. बिहार	11315	15227	17028
5. छत्तीसगढ़	23391	29031	31273
6. गोवा	73690	79205	90625
7. गुजरात	20412	23267	25618
8. हरियाणा	24683	62563	32370
9. हिमाचल प्रदेश	39662	45202	48909
10. जम्मू-कश्मीर	38501	52508	56462
11. झारखण्ड	15987	21084	22533
12. कर्नाटक	24059	27152	29765
13. केरल	24856	29942	34537
14. मध्य प्रदेश	18578	20821	24704
15. महाराष्ट्र	21677	25489	27979
16. मणिपुर	38362	45179	48731
17. मेघालय	30912	41772	48127
18. मिजोरम	78002	78854	89518
19. नागालैण्ड	55096	59875	65868
20. ओडिशा	20287	24258	27444
21. पंजाब	19137	25415	28343
22. राजस्थान	18558	21601	23907

23. सिक्किम	86880	112946	123291
24. तमिलनाडु	20288	25051	27423
25. तेलंगाना	27585	36987	35124
26. त्रिपुरा	27211	39570	40807
27. उत्तराखण्ड	26836	34410	38570
28. उत्तर प्रदेश	13967	19039	19626
29. पश्चिम बंगाल	14362	16699	17979
30. दिल्ली	23016	26681	29772
31. पुडुचेरी	50022	56717	60875
योग			

स्रोत:- उत्तर प्रदेश बजट की रूपरेखा 2020-21

अध्याय-4 व्यय संरचना एवं प्रवृत्ति

अर्थव्यवस्था में राजस्व प्राप्ति की स्थिति को चित्रण के पश्चात् राज्य सरकार के स्तर पर व्ययों के आवंटन का विश्लेषण महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यय करने का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से राज्य सरकार का है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के अन्तर्गत लोक व्यय घाटे द्वारा अथवा उधार लेकर पोषित करने में बजट की समस्या आती है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राज्य के स्तर पर वर्तमान में किये जा रहे राजकोषीय सुधार एवं समेकन प्रक्रिया, व्यय की कीमत पर, विशेष कर विकास एवं सामाजिक क्षेत्रों के लिए निर्धारित व्यय की कीमत पर न किया जाए।

बजट का विभाजन सामान्यतः दो भागो यथा राजस्व बजट एवं पूंजी बजट में होता है। राजस्व बजट से व्यय आमतौर पर आवर्ती प्रकृति या चालू लेखा का होता है और पूंजी लेखा से भुगतान सामान्यतः पूंजी परिसम्पत्तियों के अर्जन अथवा निर्माण पर हुए व्यय, विभिन्न स्थानीय निकायों, स्वायत्त संस्थाओं, आदि को दिये गये ऋण तथा ऋण के भुगतान इंगित करते हैं।

कुल व्ययों में राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित होते हैं। राजस्व व्यय, सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाये रखने और पिछले वर्षों के दायित्वों के भुगतान हेतु किया जाता है जिससे कि राज्य सरकार की अवस्थापना एवं प्रदान की जा रही सेवाओं में कोई वृद्धि नहीं होती है। पूंजीगत व्ययों द्वारा राज्य सरकार की अवस्थापना एवं उसके द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं (मूर्त परिसम्पत्तियों) में वृद्धि होती है।

सम्पूर्ण व्यय की प्रवृत्ति

राजस्व व्यय

राज्य में विगत 14 वर्षों (2006-07 से 2019-20) की अवधि में राजस्व व्यय में बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति पायी जाती है इस अवधि में राजस्व व्यय में लगभग 5 गुना वृद्धि हुई है। वर्ष 2006-07 से वर्ष 2019-20 तक प्रत्येक चौथे वर्ष राजस्व व्यय लगभग दो गुने के बराबर है। राजस्व व्यय में वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016-17 अवधि में बढ़ोत्तरी पर अकुंश तथा पूंजी व्यय में बढ़ती प्रवृत्ति पायी जाती है। इस अवधि में राजस्व व्यय में लगभग दो गुना तथा पूंजी व्यय में 3 गुने की वृद्धि हुई है। विगत वर्ष के सापेक्ष में वर्ष 2017-18 में राजस्व व्यय में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि पूंजी व्यय में लगभग इतने ही अंश की गिरावट अंकित होती है। राजस्व व्यय की उच्च वृद्धि के फलस्वरूप राजस्व बचत के परिमाण में कमी अंकित होती है। वर्ष 2017-18 में राजस्व बचत ₹0 12552.00 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 28250.00 करोड़ रुपये थी जो वर्ष 2019-20 में यह बचत घटकर ₹0 62490.77 करोड़ हो गयी। परन्तु वर्ष 2020-21 के पुनराकृत अनुमान में समेकित निधि में यह घाटा 14246.92 करोड़ रुपये का लगाया गया है। राजस्व बचत में कमी का प्रभाव पूंजी परिसम्पत्तियों के अर्जन अथवा निर्माण तथा ऋण के भुगतान पर भी पड़ेगा।

तालिका-4.1
कुल व्यय की प्रवृत्ति

(रु० करोड़)

वर्ष	राजस्व	पूँजी व्यय	कुल व्यय
2006-07	55699 (73)	20784 (27)	76483 (100)
2007-08	65223 (74)	23061 (26)	88284 (100)
2008-09	75969 (72)	29929 (28)	105894 (100)
2009-10	89373 (73)	33702 (27)	123075 (100)
2010-11	107676 (79)	28624 (21)	136300(100)
2011-12	123885 (80)	30837 (20)	154722 (100)
2012-13	140723 (81)	33747 (19)	174470 (100)
2013-14	158147 (79)	42503 (21)	200650 (100)
2014-15	171027(73)	64581(27)	235608(100)
2015-16	212736(70)	91213(30)	303949(100)
2016-17	236592(71)	96833(29)	333425(100)
2017-18	266224(83)	55599(17)	321823(100)
2018-19	301727(77.13)	89482.26(22.87)	391210.62(100)
2019-20	298833.04(77.95)	84518.65(22.05)	383351.69(100)
2020-21(पुनरिक्षित)	319962.43(77.15)	94788.15(22.85)	414750.58(100)

स्रोत:- आय-व्ययक रूप रेखा के विभिन्न अंक।

यहाँ यह इंगित करना संगत प्रतीत होता है कि योजना व्यय वर्षानुवर्ष हो रही बढ़ोत्तरियों के साथ राजस्व व्यय में बढ़ोत्तरी होना स्वाभाविक है किन्तु इस व्यय का इस परिमाण में बढ़ना उचित नहीं होता क्योंकि यह व्यय मूलतः करों की वसूली, प्रशासनिक, आर्थिक तथा सामाजिक सेवायें आदि पर होता है जो आवर्ती स्वभाव की हैं जिनका भौतिक परिसम्पत्तियों के निर्माण से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। अतः इस तथ्य के बावजूद, उत्पादक कार्यकलापों के लिये अपरिहार्य पूँजी व्यय के अंश में बढ़ोत्तरी होना एक स्वस्थ प्रवृत्ति का परिचायक है।

पूँजी व्यय

सम्पूर्ण पूँजी लेखे के व्यय की प्रवृत्ति की गणना में पूँजीगत परिव्यय, ऋणों का प्रतिदान जिसमें राज्य द्वारा केन्द्र सरकार से लिये गये ऋण तथा उनके स्वयं आन्तरिक ऋण की वापसी तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण सम्मिलित होते हैं। तालिका 4.1 से विदित होता है कि पूँजी व्यय का कुल व्यय में अंश वर्ष 2006-07 में 27 प्रतिशत, वर्ष 2007-08 में 26 प्रतिशत, वर्ष 2008-09 में 28 प्रतिशत रहा है किन्तु उसके पश्चात् कुल व्यय में वर्ष 2012-13 तक (19 प्रतिशत) पूँजी व्यय का अंश तेजी से गिरा है। इसका मुख्य कारण है कि विश्लेषणाधीन अवधि में राजस्व व्यय में अपेक्षाकृत काफी बढ़ोत्तरी हुयी है तथा पूँजी व्यय घटा है। तत्पश्चात् आगामी वर्षों में पूँजी व्यय की वृद्धि हुयी है परन्तु यह व्यय वर्ष 2017-18 में घटकर 17 प्रतिशत हो गया है। वर्ष 2006-07 से 2019-20 की अवधि में पूँजी व्यय में चार गुना की वृद्धि हुयी है। वर्ष 2012-13 के पश्चात् व्यय स्वरूप में राजस्व व्यय के अंश में क्रमिक कमी तथा पूँजी व्यय में बढ़ोत्तरी से संरचनात्मक परिवर्तन का संकेत है। राज्य अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि करने सम्बन्धी लक्ष्य के संदर्भ में यह प्रवृत्ति उत्साह वर्धक रही है। अतः जहाँ राजस्व व्यय की गति को कम करने की जरूरत है वहीं पूँजी व्यय को और अधिक प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है जिससे राज्य अर्थव्यवस्था के विकास की गति को वांछित आयाम प्रदान किया जा सके।

राज्य कर्मचारियों पर व्यय

कुल राजस्व व्यय के अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों पर होने वाला व्यय एक प्रमुख मद है और इस मद पर व्यय की जा रही धनराशि के परिमाण की वृद्धिमान प्रवृत्ति रही है। इसका मुख्य कारण, कर्मचारियों की संख्या तथा उनके महँगाई भत्ते में उत्तरोत्तर वृद्धि पाई गई है। कर्मचारियों की संख्या: 1968-69 में लगभग 5 लाख थी जो 1993-94 में लगभग दो गुनी अर्थात् 10 लाख हो गई। तत्पश्चात् यह संख्या वर्ष 2018-19 में 7.01 लाख हो गई है। संगत विवरण तालिका 4.2 में संग्रहीत हैं।

तालिका-4.2

उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारियों पर व्यय

वर्ष	कर्मचारियों की संख्या (लाख में)	कर्मचारियों पर व्यय	
		धनराशि (करोड़ रु०)	कुल राजस्व व्यय से प्रतिशत
1	2	3	4
1968-69	5.08	123.59	34.87
1973-74	5.82	206.46	32.44
1978-79	-	356.87	29.23
1983-84	8.17	791.48	28.66
1988-89	9.65	1633.90	26.11
1993-94	9.95	3386.84	25.50
1998-99	-	6389.07	24.50
2003-04	6.75	7778.49	15.49
2008-09	6.73	13521.35	17.80
2013-14	6.97	29560.48	18.69
2014-15	7.01	32087.09	18.76
2015-16	7.02	73795.78	34.69
2016-17	7.05	84591.85	35.75
2017-18	6.99	85919.61	32.27
2018-19	7.01	90262.88	29.91

स्रोत: उत्तर प्रदेश आय व्यय की रूप रेखा के विभिन्न अंक।

कुल राजस्व व्यय में राज्य कर्मचारियों पर हो रहे व्यय का अंश वर्ष 2008-09 तक लगातार घटा है। कर्मचारियों की संख्या वर्ष 1968-69 के सापेक्ष वर्ष 2017-18 में 1.91 लाख बढ़ने के बावजूद राज्य कर्मचारियों पर राजस्व व्यय का अंश लगभग 30 प्रतिशत हो गया है। वर्ष 1968-69 में यह व्यय कुल राजस्व व्यय का लगभग 35 प्रतिशत था किन्तु बाद में उसका अंश क्रमिक रूप से घटकर वर्ष 2014-15 में लगभग 18.76 रह गया। इसके पश्चात वर्ष 2017-18 में 32.27 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2018-19 में यह 29.19 प्रतिशत तक पहुंच गया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2003-04 से कर्मचारियों की संख्या लगभग स्थिर (7.00) लाख बनी हुई है। यह वृद्धि पाँचवी योजना के बाद सुधार (रेश्रलाईजेशन) समिति एवं वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू करने से अधिक तीव्रता से अंकित हुई।

वचनबद्ध व्यय

राजस्व लेखा के अन्तर्गत वचनबद्ध व्ययों में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन पर व्यय, पेंशन तथा सब्सिडी मद सम्मिलित है। वचनबद्ध व्यय, राजस्व व्यय के मुख्य घटक है। वर्ष 2019-20 में राजस्व व्यय में वचनबद्ध व्यय मद पर व्यय लगभग 67 प्रतिशत तथा राजस्व प्राप्तियों का 55 प्रतिशत, वचनबद्ध व्यय में उपभोग किया गया है, जिसमें 51 प्रतिशत व्यय, वेतन, पेंशन तथा ब्याज का भुगतान तथा शेष 4 प्रतिशत सब्सिडी में किया गया है। प्रदेश के लाखों राज्य कर्मचारियों के वेतन, पेंशन व भत्तों पर भारी रकम खर्च करनी पड़ती है। ₹0 101781.00 करोड़ रुपये वेतन मद में तथा पेंशन मद में ₹0 49603.00 करोड़ खर्च हो रहे हैं जबकि वर्ष 2020-21 में वेतन पर व्यय ₹0 109914.00 करोड़ एवं पेंशन पर व्यय बढ़कर ₹0 52464.00 करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है।

तालिका-4.3 वचनबद्ध व्ययों के मदों की प्रवृत्ति

(₹0 करोड़ में)

वचनबद्ध व्ययों के मद	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
वेतन	2390 (30)	32861 (34)	39439 (36)	46922 (36)	52232 (36)	54363 (32)	61558 (32)	73796 (33)	84592 (33)	84160 (30)	90263 (27)	101781 (28)
ब्याज भुगतान	11375 (15)	11988 (13)	14216 (13)	15481 (12)	16921 (12)	17412 (10)	18864 (10)	21448 (9)	26936 (11)	29136 (11)	32042 (10)	34813 (10)
पेंशन पर व्यय	6926 (9)	11074 (12)	12618 (11)	14127 (11)	17921 (12)	19521 (12)	22305 (12)	24150 (11)	28227 (11)	38476 (14)	44024 (13)	49603 (13)
सब्सिडी	3819 (5)	4275 (4)	4437 (4)	5601 (4)	5964 (4)	6608 (4)	7661 (4)	7691 (3)	8045 (3)	9251 (3)	14053 (4)	14092 (4)
वचनबद्ध व्यय का योग	45510 (59)	60198 (63)	70710 (64)	82131 (63)	93038 (64)	97904 (58)	110388 (58)	127085 (56)	147800 (58)	161056 (58)	180382 (54)	200289 (55)

नोट- राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत कोष्ठक में अंकित किये गये हैं।

स्रोत- 30प्र0 बजट की रूपरेखा के विभिन्न अंक।

उपरोक्त तालिका से यह भी स्पष्ट है कि इन मदों पर किये गये व्यय का परिमाण तो बढ़ा है परन्तु वचनबद्ध व्यय के राजस्व प्राप्ति के अंश में विगत 8 वर्षों की तुलना में कमी आयी है। वर्ष 2012-13 में यह व्यय, राजस्व प्राप्ति का 64 प्रतिशत था वही वर्ष 2019-20 तक उच्चावचन के साथ घटकर 55 प्रतिशत के स्तर पर आ गया है। यह दर्शाता है कि राजस्व प्राप्ति की वृद्धि दर, वचनबद्ध व्यय की तुलना में काफी अधिक रही है। इन मदों पर किये गये व्यय का परिमाण तो बढ़ा है परन्तु वर्ष 2017-18 के सापेक्ष वर्ष 2019-20 में 3 प्रतिशत की गिरावट अंकित होती है।

ऋणों की शुद्ध उपलब्धता

विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की त्वरित विकास के प्रति बढ़ती प्रतिबद्धताओं तदुसार समाजार्थिक क्रियाओं के फैलते दायरे के अनुरूप, वॉछित वित्तीय संसाधनों की पूर्ति में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त ऋणों की भूमिका लगभग अपरिहार्य हो गई है। ऋणों के माध्यम से प्राप्त वित्तीय संसाधनों का उपयोग पूँजी निर्माण के निमित्त पूँजीगत व्यय वहन में होता है। ऋण संसाधनों से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि ऋणों का उद्देश्य सहित एवं पूर्ण उपयोग न हो पाने की स्थिति में इनका प्रतिदान दुष्कर हो जाता है। फलस्वरूप, ऋणग्रस्तता बढ़ती है।

राज्य सरकार के ऋण संसाधनों के अन्तर्गत, बाजार ऋण, भारत सरकार से ऋण तथा स्वशासित निकायों से ऋण आते हैं। राज्य अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित संदर्भित पक्षों का विश्लेषण करने का प्रयास इस परिच्छेद में किया गया है। वर्ष 2006-07 से 2019-20 की अवधि में, विभिन्न समय बिन्दुओं पर, राज्य सरकार द्वारा प्राप्त ऋणों तथा उनकी शुद्ध उपलब्धता का विवरण तालिका-4.4 में दिया गया है।

तालिका-4.4

राज्य सरकार द्वारा प्राप्त ऋण तथा उनकी शुद्ध उपलब्धता

वर्ष	ऋण प्राप्तियाँ	ऋण सेवार्ये	शुद्ध उपलब्धता	राजस्व प्राप्तियों से ऋण सेवा का प्रतिशत
1	2	3	4	5
2006-07	11711.50	16388.86	(-) 4677.36	36.1
2007-08	9078.70	16189.92	(-) 7111.22	23.6
2008-09	16760.03	18151.55	(-) 1391.52	23.3
2009-10	22489.06	18697.08	3791.98	19.4
2010-11	21394.08	21598.65	(-) 204.57	19.4
2011-12	19652.30	23768.56	(-) 4116.26	18.2
2012-13	15819.95	25829.63	(-) 10009.68	17.7
2013-14	14900.45	25579.18	(-) 10678.73	15.2
2014-15	35520.28	28275.65	7244.63	14.6
2015-16	74513.58	32890.13	41623.45	14.5
2016-17	67685.07	38543.29	29141.78	15.0
2017-18	47416.57	44137.93	3278.64	14.8
2018-19	51595.26	52758.70	(-) 1163.44	16.0
2019-20	73808.69	57213.63	16595.06	15.6
2020-21 (पुनरीक्षित)	91502.00	63276.81	28225.19	20.6

स्रोत: उत्तर प्रदेश आय-व्ययक की रूपरेखा के विभिन्न अंक।

विभिन्न स्रोतों से प्राप्त ऋण उच्चावचन की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। वर्ष 2006-07 में, ऋण धनराशि का आकार लगभग 11712 करोड़ रुपये था जो वर्ष 2019-20 में लगभग 73809 करोड़ रुपये तक पहुँच गया, ऋणों के प्रतिदान में यदि ऋण सेवाओं के अन्तर्गत दी गई धनराशि को सम्मिलित कर लिया जाय तो ऋण की प्राप्ति से वर्ष 2006-07 से वर्ष 2013-14 तक ऋणों की शुद्ध उपलब्धता में गिरावट अंकित होती है। ऋणात्मक शुद्ध उपलब्धता का अर्थ यह हुआ कि राज्य सरकार को भुगतान अपनी अन्य प्राप्ति से करना पड़ रहा है। यह स्थिति, प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर बढ़ते ऋण भार का प्रतीक है। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक (वर्ष 2018-19 को छोड़कर) ऋणों की प्राप्ति धनात्मक है। कुल राजस्व प्राप्ति में ऋण सेवाओं पर भुगतान वर्ष 2006-07 में लगभग 36 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019-20 में 16 प्रतिशत हो गया। यह प्रवृत्ति इस तथ्य को इंगित करता है कि राजस्व बचत के बड़े अंश का उपयोग भी पूँजीगत कार्यों के लिये किया जा रहा है, जो स्वस्थ अर्थव्यवस्था को द्योतक है।

ऋणों का प्रतिदान

ऋणों का प्रतिदान पूँजी लेखा के अन्तर्गत पूँजीगत परिव्यय के बाद, दूसरा बड़ा मद है जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार एवं अन्य स्रोतों से लिए गये ऋण का भुगतान शामिल होता है। इससे सम्बन्धित व्यय अधिकांशतः आयोजनेतर एवं विकासेतर व्यय होते हैं। अतः कुल पूँजीगत व्यय में से पूँजीगत परिव्यय, जो मूलतः विकासगत कार्यों के लिये होते हैं, के लिए कितनी धनराशि बचती है, बहुत हद तक ऋणों के प्रतिदान पर व्यय की गई धनराशि पर निर्भर करती है। तालिका-4.5 में प्रदत्त आंकड़े इस पहलू पर वांछित प्रकाश डालते हैं।


तालिका-4.5 ऋणों का प्रतिदान

वर्ष	ऋणों का प्रतिदान	कुल पूँजीगत व्यय	कुल पूँजीगत व्यय में ऋणों के प्रतिदान का अंश
1	2	3	4
1968-69	107.31	195.40	54.9
1973-74	270.04	454.55	57.4
1978-79	910.36	1199.00	13.2
1983-84	1174.96	1716.34	68.5
1988-89	567.57	1501.71	37.8
1993-94	3243.23	4192.35	77.36
1998-99	9582.16	11679.12	82.05
2005-06	8333.49	8711.23	95.66
2008-09	6776.49	22345.72	30.33
2013-14	8166.74	32862.65	24.85

2014-15	9411.21	53297.28	17.66
2015-16	17672.76	64422.72	27.43
2016-17	20302.67	69789.12	29.09
2017-18	15002.10	39087.97	38.38
2018-19	20716.61	62463.41	33.17
2019-20	22400.61	59998.02	37.34
2020-21 (पुनरीक्षित)	24897.43	68253.87	36.48

स्रोत:- उत्तर प्रदेश के आय-व्ययक की रूपरेखा के विभिन्न अंक।

ऋणों का प्रतिदान



तालिका-4.5 से स्पष्ट है कि वर्ष 2005-06 तक पूँजीगत व्यय का एक बड़ा भाग पुराने ऋणों के भुगतान में चला जाता है। परिणामस्वरूप, विकास कार्यों हेतु पूँजी व्यय का अंश कम होता गया है। कुल पूँजीगत व्यय में ऋणों के प्रतिदान पर, वर्ष 2018-19 में लगभग 33.17 प्रतिशत की धनराशि व्यय की गयी तथा वर्ष 2019-20 में यह बढ़कर लगभग 37.34 प्रतिशत हो गयी तथा वर्ष 2020-21 के पुनरीक्षित अनुमान में यह धनराशि घटकर 36.48 प्रतिशत हो जायेगी। अर्थात् विकास मदों पर पूँजी व्यय का अंश विगत वर्ष की तुलना में 67 प्रतिशत से

घटकर 63 प्रतिशत हो गया तथा वर्ष 2020-21 के पुनरीक्षित अनुमान में यह लगभग बढ़कर 64 प्रतिशत हो जायेगा जो सकल घरेलू उत्पाद का क्रमशः 4.2 प्रतिशत, 3.6 प्रतिशत तथा 4.5 प्रतिशत आगणित होता है।

राज्य की कुल ऋणग्रस्तता

विकासात्मक योजनाओं एवं सामाजिक उत्थान के अनेक कार्यों हेतु राज्य सरकार को अपने सीमित संसाधनों के दृष्टिगत ऋण लेने की आवश्यकता होती है। लोक ऋण के सिद्धान्त के अन्तर्गत विकासात्मक एवं पूँजीगत निवेश जैसे कार्यों हेतु ऋण लिया जाना पूर्णतः उचित है। स्पष्ट है कि विकासशील अर्थव्यवस्था में विकास हेतु ऋण लिया जाना अपरिहार्य है। बशर्ते कि प्राप्त ऋण का उचित प्रबन्धन किया जाय जिसके अभाव में पूरी अर्थव्यवस्था ऋण के जाल में फँस सकती है। ऋणों के प्रतिदान के फलस्वरूप विकास कार्यों हेतु पूँजीगत परिव्यय का अंश कम हो जाता है जिस कारण विकासशील अर्थ व्यवस्था के लिये राज्य विभिन्न स्रोतों से ऋण लेती है। इससे सम्बन्धित आंकड़े तालिका-4.6 में प्रदत्त हैं।

तालिका:- 4.6 राज्य की ऋण ग्रस्तता

(रु० करोड़ में)

मद	31 मार्च को शेष						
	वास्तविक						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
(क) लोक ऋण-स्थायी ऋण							
1. बाजार ऋण	84103.42 (51.53)	89157.44 (52.32)	102666.91 (53.52)	127967.87 (58.26)	164872.26 (65.36)	202050.26 (71.35)	235356.93 (74.94)
2. स्व-शासित निकायों से ऋण	6349.90 (3.89)	6817.74 (4.00)	9280.93 (4.83)	8270.25 (3.76)	8910.12 (3.53)	7727.43 (2.73)	11003.27 (3.50)
3. भारत सरकार से ऋण	72751.82 (44.58)	74444.20 (43.68)	79894.50 (41.65)	83419.57 (37.98)	78479.40 (31.11)	73398.55 (25.92)	67694.69 (21.56)
योग (क)	163205.14 (72.50)	170419.38 (70.51)	191842.34 (71.90)	219657.69 (67.81)	252261.78 (67.55)	283176.24 (69.28)	314054.89 (70.54)
(ख) अन्य दायित्व							
1. बन्ध	1785.59	1197.38	5880.33	34895.85	49674.02	49674.02	49674.02
2. अनिधिबद्ध ऋण	41935.55	44297.81	45480.38	47014.66	48733.64	51263.76	54907.14
3. जमा और अग्रिम	18197.31	25771.30	23617.64	22367.46	22747.89	24602.47	26567.19

योग (ख)	61918.45 (27.50)	71266.49 (29.49)	74978.35 (28.10)	104277.97 (32.19)	121155.55 (32.45)	125540.25 (30.72)	131148.35 (29.46)
कुल (क+ख)	225123.59	241685.87	266820.69	323935.66	373417.33	408716.49	445203.24
(ग) राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रिम की अदत्त धमराशियाँ	11791.12	10907.35	14066.36	22458.64	28940.94	27667.43	28656.68
(घ) सकल घरेलू राज्य आय के सापेक्ष ऋणग्रस्तता (प्रतिशत)	30.9	28.3	27.9	29.5	29.9	29.6	30.2

तालिका:- 4.6 राज्य की ऋण ग्रस्तता

(रु० करोड़ में)

मद	31 मार्च को शेष		
	वास्तविक		
	2020	2021	2022
1	8	9	10
(क) लोक ऋण-स्थायी ऋण			
1. बाजार ऋण	289383.00 (79.56)	363987.00 (83.74)	418307.00 (86.14)
2. स्व-शासित निकायों से ऋण	12228.47 (3.36)	13612.63 (3.13)	15017.64 (3.09)
3. भारत सरकार से ऋण	62121.77 (17.08)	57053.29 (13.13)	52284.84 (10.77)
योग (क)	363733.24 (72.75)	434652.92 (76.81)	485609.48 (97.46)
(ख) अन्य दायित्व			
1. बन्ध	49674.02 (36.46)	45358.86 (34.55)	41043.71 (32.69)
2. अनिधिबद्ध ऋण	58220.80 (42.74)	59978.66 (45.70)	61682.26 (49.13)
3. जमा और अग्रिम	28339.49 (20.80)	25919.15 (19.75)	22826.40 (18.18)
योग (ख)	136234.31 (27.25)	116046.58 (24.48)	125552.37 (20.54)
कुल (क+ख)	499967.55	565909.59	611161.85

(ग) राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रिम की अदत्त धमराशियाँ	25136.11	24572.96	24745.15
(घ) सकल घरेलू राज्य आय के सापेक्ष ऋणग्रस्तता (प्रतिशत)	29.6	29.2	28.1

स्रोत: उत्तर प्रदेश बजट की रूपरेखा के विभिन्न अंक ।

तालिका 4.6 से विदित होता है कि राज्य सरकार पर ऋण का भार लगातार बढ़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2013 के अन्त में, लोक ऋण लगभग 1632 अरब रुपये था। इसके अतिरिक्त, बन्ध, अनिधिबद्ध ऋण तथा जमा एवं अग्रिम के रूप में 619 अरब रुपये के अन्य दायित्व थे। इस प्रकार, उस वर्ष राज्य सरकार की ऋणग्रस्तता लगभग 2251 अरब (1632+619) रुपये की थी, जो बढ़कर अगले सात वर्षों में क्रमशः 2417 अरब रुपये, 2668 अरब रुपये, 3239 अरब रुपये, 3734 अरब रुपये तथा 4087 अरब रुपये, 4452 अरब रुपये तथा 5000 अरब रुपये हो गयी। यदि राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रिम की अदत्त शेष धमराशियाँ भी जोड़ दी जाये तो राज्य सरकार की देनदारी इन वर्षों में (वर्ष 2013-2020 तक की अवधि में) क्रमशः 2369 अरब रुपये, 2526 अरब रुपये, 2809 अरब रुपये, 3464 अरब रुपये, 4023 अरब रुपये, 4364 अरब रुपये, 4739 अरब रुपये तथा 5251 अरब रुपये तक पहुँच जाती है। राज्य सरकार की समग्र देयता में, इस तरह वर्ष 2020 तक की अवधि में, प्रतिवर्ष 512 अरब रुपये की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2021 एवं 2022 के अनुमानों से भी राज्य अर्थव्यवस्था की ऋणग्रस्तता के और प्रगाढ़ होने के संकेत मिलते हैं। एक और महत्वपूर्ण तथ्य का उल्लेख आवश्यक प्रतीत होता है कि प्रश्नगत वर्षों में राज्य सरकार पर कुल लोक ऋण में बाजार ऋण की निर्भरता में उत्तरोत्तर वृद्धि (52 से 80 प्रतिशत) हुयी है जबकि भारत सरकार से लिए गये ऋण में कमी (45 से 17 प्रतिशत) आयी है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य की ऋणग्रस्तता का परिमाण का आकार तो बढ़ा परन्तु राज्य कि ऋणग्रस्तता का आंकलन उसकी कुल ऋणग्रस्तता से नहीं अपितु सकल घरेलू उत्पाद के रूप में किये जाने पर ही राज्य की वास्तविक स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। वर्ष 2013 से वर्ष 2015 तक राज्य की ऋणग्रस्तता, सकल घरेलू राज्य आय के सापेक्ष घटते प्रतिशत (30.9 से 27.9 प्रतिशत) के रूप दिखायी देती है। वर्ष 2016 से वर्ष 2020 तक सकल घरेलू राज्य आय के सापेक्ष ऋणग्रस्तता लगभग 30 प्रतिशत स्थिर बनी हुयी है। वर्ष 2021 के पुनरिक्षित अनुमान एवं वर्ष 2022 के बजट में यह घटकर क्रमशः 29.2 तथा 28.2 प्रतिशत के स्तर पर सुधार इंगित करता है। बेहतर वित्तीय प्रबन्धन के द्वारा इस प्रवृत्ति में सुधार करने की आवश्यकता ध्वनित होती है।

राज्य अर्थव्यवस्था की विकास अपेक्षाओं के परिप्रेक्ष्य में भारी होती ऋणग्रस्तता के बावजूद, ऋण लेने की अपरिहार्यता के पक्ष में तर्क दिये जा सकते हैं तथा ऋण एवं ब्याज की अदायगी में ही उसकी कुल प्राप्तियों के लगभग चुक जाने की विवशता को भी समझा जा

सकता है किन्तु साथ ही उसके उत्तरदायी कारकों पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिया जाना भी उतना ही तार्किक प्रतीत होता है। प्रथम लोक-ऋण, प्रमुखतः केन्द्रीय ऋण का पूँजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण में उपयोग अथवा उनका उत्पादक कार्यक्रमों में विनियोजन करने सम्बन्धी उद्देश्य की प्रतिबद्धता का पालन किस सीमा तक होता है। द्वितीय, उन कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं का अभिज्ञान किया जाना, जिनमें लगायी गयी ऋण धनराशि का भुगतान उनके प्रतिलाभों (रिटर्न) से न होकर, कर-प्राप्तियों से किया जाता हो तथा इससे सम्बन्धित आवश्यक उपाय। इस प्रकार के प्रभावी अनुश्रवण एवं कारगर उपायों से न केवल विभिन्न कार्यक्रमों/परियोजनाओं में ऋणों से पोषित विनियोग की वापसी (फीड-बैक) सुनिश्चित हो सकेगी बल्कि, राजस्व बजट के घाटे को भी नियंत्रित/बचाया जा सकेगा।

प्रदेश पर कर्ज बढ़ने की गति तो कम हुयी है, फिर भी 10 साल में प्रदेश पर कर्ज करीब लगभग 2.7 गुना हो गया है। विकास के साथ ही राज्य की ऋणग्रस्तता भी बढ़ रही है। चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य की कुल ऋणग्रस्तता ₹0 565909.69 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ऋणग्रस्तता ₹0 611161.85 करोड़ हो जान का अनुमान बजट में किया गया है 30प्र0 की 23 करोड़ की जनसंख्या में इन कर्जों को बाँटा जाए तो वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति व्यय कर्ज ₹0 26572.00 होगा। वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति कर्ज ₹0 24604.00 है। यानी विकास के साथ प्रति व्यक्ति कर्ज के आंकड़ों में ₹0 1968.00 की वृद्धि होगी।

तमाम आर्थिक बाधाओं के बाद भी अगले तीन वर्ष में राज्य की आर्थिक आंकड़ों में वित्तीय प्रावधान में जो पूर्वानुमान किया गया है उसमें कर्ज के बोझ में कमी नहीं आई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य का बजट ₹0 छः लाख करोड़ पार कर जाएगा। यह धनराशि वर्ष 2020-21 के बजट से करीब ₹0 दो लाख करोड़ अधिक है, वहीं राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद लगभग ₹0 आठ लाख करोड़ हो जाएगा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रदेश में राज्य सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले कर्जदारी वर्ष 2010 में 38.6 प्रतिशत थी जबकि यह वित्तीय वर्ष 2024 तक गिरकर लगभग 29 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह आंकड़े इस तथ्य को इंगित करते हैं राज्य में विकास की गति तो बनी रहेगी, राज्य की आय व्यय परम्परागत तरीके से चलते नजर आएंगे। कर्ज के बोझ भी बजट के मुकाबले अधिक हो जाएगा। संगत आर्थिक विवरण आंकड़े का तालिका निम्न संग्रहीत है।

आर्थिक आंकड़े एक नजर में

(रु० करोड़ में)

क्र०सं०	मद	वर्ष 2020-21	वर्ष 2023-24
01.	कुल प्राप्तियाँ	400503.66	644638.14
02.	कुल व्यय	414750.85	667474.27
03.	ऋणग्रस्तता	565909.59	7775601.36
04.	एस०जी०डी०पी०	194052.70	272630.00

तीन साल के अन्दर ही राज्य की अनुमानित वार्षिक व्यय (बजट) से अनुमानित कर्ज का ग्राफ उपर चला जाएगा। अभी कर्ज का आंकड़ा राज्य के कुल व्यय से अधिक है। वित्तीय वर्ष-2020-21 में राज्य सरकार का कुल व्यय रु० 4.14 लाख करोड़ है जबकि कर्ज रु० 5.65 लाख करोड़ अनुमानित है। वर्ष 2020-21 में कुल वार्षिक व्यय रु० 5.50 करोड़ और कुल कर्ज में रु० 6.61 लाख करोड़ के करीब होगा। वर्ष 2023-24 के अनुमान में भी खर्च से कुल कर्ज का ग्राफ उपर चला जाएगा।

वित्तीय स्थिति के प्रमुख संकेत

1. ऋण सेवाओं के भार में वर्ष 2011-12 से वर्ष 2017-18 तक की अवधि में कमी अंकित होती है। वर्ष 2011-12 में ऋण सेवाओं का राजस्व व्यय से प्रतिशत 19.2 था, जोकि वर्ष 2017-18 में घटकर लगभग 16.0 प्रतिशत हो गया। यह घटने की प्रवृत्ति स्थिर नहीं रही जो पुनः वर्ष 2018-19 से इस अंश में वृद्धि हो कर वर्ष 2011-12 के स्तर पर आ गया। वर्ष 2020-21 के अनुमान में भी राजस्व व्यय में ऋण सेवा का अंश बढ़कर लगभग 20 प्रतिशत हो जाएगा।

तालिका-4.7
राजस्व व्यय में ऋण सेवा की स्थिति

(करोड़ ₹0 में)

वर्ष	राजस्व व्यय	ऋण सेवायें	प्रतिशत
2011-12	123885	23768.56	19.2
2012-13	140723	25829.63	18.4
2013-14	158147	25579.18	16.2
2014-15	171027	28275.65	16.5
2015-16	212735.95	32890.13	15.46
2016-17	236592.26	38543.29	16.29
2017-18	266223.52	41204.98	15.48
2018-19	301727.96	52758.70	17.49
2019-20	298833.04	57213.63	19.15
2020-21 (पुनरीक्षित)	319962.43	63276.81	19.78

- 2- राज्य की ऋणग्रस्तता के परिमाण का आकार तो बढ़ा है किन्तु राज्य की ऋणग्रस्तता, सकल घरेलू राज्य आय के सापेक्ष अंश वर्ष 2016 से 2019 के अवधि तक स्थिर आंकलित होती है। वर्ष 2012 में सकल घरेलू आय के सापेक्ष ऋणग्रस्तता लगभग 33 प्रतिशत थी जो वर्ष 2020 में घटकर लगभग 30 प्रतिशत हो गयी। बेहतर वित्तीय प्रबन्धन के द्वारा इस प्रवृत्ति को नियंत्रण करने की आवश्यकता ध्वनित होती है।
- 3- राजस्व घाटा/बचत - राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय के अन्तर को राजस्व घाटा/राजस्व बचत की संज्ञा दी जाती है। वर्ष 1988-89 से 2005-06 तक राज्य में राजस्व घाटे की स्थिति बनी रही। वर्ष 2004 में एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम पारित किये जाने के उपरान्त वर्ष 2006-07 में राजस्व अधिशेष (सरप्लस) की स्थिति प्राप्त की जा सकी। धनात्मक राजस्व अधिशेष यह प्रदर्शित करता है कि राज्य सरकार के पास राजस्व व्यय पूरा करने के लिए न केवल राज्य की पर्याप्त धनराशि है बल् उसके अधिशेष का पोषण पूजीगत कार्यों में किया जा रहा है, वर्ष 2006-07 में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किये गये राजस्व अधिशेष की स्थिति को बाद के वर्षों में लगातार बनाये रखा गया है तथा साथ ही लगातार प्रयास किया जाता रहा है कि राजस्व बचत के कुल आकार में भी वृद्धि की जाय

जिसके कारण पूंजीगत परिव्यय के बेहतर मार्ग बनते हैं इससे प्रदेश के उत्पादन आधार को बढ़ने में सहायता मिलती है। यह अधिशेष वर्ष 2006-07 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.6 प्रतिशत था जो वर्ष 2015-16 में घटकर 1.30 प्रतिशत हो गया तथा वर्ष 2019-20 में सकल राज्य आय में इसका अंश लगभग 4 प्रतिशत आंकलित किया गया है।

तालिका-4.8
राजस्व घाटा (-) / बचत (+)
(करोड़ ₹0 में)

वर्ष	राजस्व घाटा (-)/बचत (+)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत
2006-07	(+) 4900.62	1.58
2007-08	(+) 3449.26	1.00
2008-09	(+) 1861.84	0.46
2009-10	(+) 7047.34	1.56
2010-11	(+) 3508.15	0.61
2011-12	(+) 6984.53	1.10
2012-13	(+) 5180.34	0.71
2013-14	(+) 10066.88	1.18
2014-15	(+) 22394.27	2.34
2015-16	(+) 14339.99	1.30
2016-17	(+) 20282.89	1.63
2017-18	(+) 12551.93	0.91
2018-19	(+) 28249.56	1.91
2019-20	(+) 67560.13	4.00

प्राथमिक घाटा-

राजकोषीय घाटे की राशि में से ब्याज अदायगियों का कुल व्ययभार घटाने से जो राशि निकलती है वह प्राथमिक घाटा दर्शाती है।

तालिका-4.9 प्राथमिक घाटा

(करोड़ ₹0 में)

वर्ष	प्राथमिक घाटा	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत
2006-07	(-) 861.36	(-) 0.28
2007-08	2973.42	0.86
2008-09	9137.74	2.28
2009-10	6704.2	1.48
2010-11	3032.13	0.53
2011-12	(-) 49.12	(-) 0.01
2012-13	2317.8	0.32
2013-14	6267.1	0.73
2014-15	13648.73	1.43
2015-16	37027-14	3.37
2016-17	29052.86	2.33
2017-18	(-) 1326.27	0.10
2018-19	3116.02	0.21
2019-20	(-)45895.70	(-)2.72

राज्य सरकार का प्राथमिक घाटा उच्चावचन के साथ वर्ष 2007-08 से वर्ष 2019-20 की अवधि में 2973 करोड़ ₹0 से (-)45895.70 करोड़ ₹0 के मध्य में रहा क्योंकि गैर ऋण प्राप्तियां प्राथमिक राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, एवं ऋणों के अग्रिम की पूर्ति करने हेतु पर्याप्त नहीं थी। प्राथमिक घाटे में विभाजन उस सीमा की ओर इंगित करता है जिस सीमा तक पूंजीगत व्यय बढ़ जाने के कारण प्राथमिक घाटा हुआ। पूंजीगत व्यय में वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में सुधार हेतु वांछित हो सकती है। राज्य का प्राथमिक घाटा वर्ष 2018-19 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद से 0.21 प्रतिशत के स्तर पर आंकलित किया गया है। वर्ष 2019-20 में प्राथमिक घाटा ₹0 (-)45895.70 करोड़ आंकलित किया गया। इसका तात्पर्य है कि ब्याज की अदायगी में अधिक व्यय किया गया न की उत्पादक कार्यों हेतु पूंजीगत व्यय में कियी गयी। प्राथमिक घाटा स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाता है क्योंकि ऐसे ऋण जो परिसम्पत्तियों के निर्माण या लाइबिलिटीज को घटाने में सहायक नहीं है, वह दीर्घकालीन अवधि में अच्छी अर्थव्यवस्था के लिए सहायक नहीं होगा।

राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटा का तात्पर्य किसी वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण प्राप्तियों को छोड़कर कुल प्राप्तियों से अधिक राज्य की समेकित निधि से कुल संवितरण (ऋण के प्रतिसंदाय को छोड़कर) से है।

तालिका-4.10 राजकोषीय घाटा

(करोड़ ₹0 में)

वर्ष	प्राथमिक घाटा	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत
2006-07	9615.42	3.10
2007-08	13794.47	4.01
2008-09	20512.80	5.12
2009-10	18692.66	4.13
2010-11	17247.70	3.00
2011-12	15431.83	2.42
2012-13	19238.39	2.64
2013-14	23679.54	2.77
2014-15	32513.17	3.40
2015-16**	28872.41	2-63
2016-17*	41187.24	3.30
2017-18	27809.56	2.02
2018-19	35203.11	2.38
2019-20	-11082.68	- 0.66
2020-21 (पुनरीक्षित)	80851.49	4.17

नोट

- * एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान का प्रतिशत संबंधी शर्त पूर्ण करने के कारण वर्ष 2016-17 के लिये राज्य सरकार को 3.25 प्रतिशत की सीमा अनुमन्य है।
- ** उदय योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की वित्तीय पूर्णसरचना के लिये वर्ष 2015-16 में ₹0. 29602.60 करोड़ को केन्द्र के दिशा निर्देशों के अनुसार ऋण सीमा में शामिल नहीं किया गया है। अतः राजकोषीय घाटे की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत आंकलन में इसे शामिल नहीं किया गया है।

30प्र0 फाइनेन्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एण्ड मैनेजमेंट एक्ट, 2004 (F.R.B.M.) के अनुसार राज्य सरकार अपना राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत से नीचे बनाया रखा जाय। वर्ष 2007-08 से वर्ष 2009-10 तक राजकोषीय घाटा 4-5 प्रतिशत के मध्य था जो वर्ष 2010-11 से वर्ष 2016-17 की अवधि में वित्तीय अनुशासन का अनुपालन करते हुए राजकोषीय घाटा लगभग 3 प्रतिशत के स्तर पर बनाये रखा गया है जो निर्धारित सीमा के अन्दर है। वर्ष 2019-20 में राजकोषीय बचत (रू0 11082.68 करोड़) की स्थिति बनी रही।

अध्याय-5

विकासगत व्यय एवं विकासेतर व्यय

विकासशील अर्थव्यवस्था में योजना व्यय प्रमुख रूप से राजस्व व्यवस्था द्वारा सरकार को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराये जाने की सामर्थ्य पर निर्भर करता है तदनुसार सरकार के विकास कार्यक्रमों का आकार काफी हद तक, आवश्यक संसाधनों को जुटाने की आर्थिक एवं प्रशासनिक क्षमता पर आश्रित होता है। सरकार द्वारा व्यय की गई धनराशि का हिसाब उसकी प्रकृति के अनुसार राजस्व लेखा एवं पूँजी लेखा में रखा जाता है। राजस्व लेखा तथा पूँजी लेखा में अंकित व्यय धनराशि को पुनः आयोजनागत व्यय एवं आयोजनेतर व्यय में विभाजित किया जाता है जिसके अन्तर्गत विकासगत व्यय एवं विकासेतर व्यय को सुनिश्चित किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि व्यय की गई धनराशि को विभिन्न श्रेणियों में विशिष्ट प्रयोजनों के तहत वर्गीकृत किया जाता है। वर्तमान संदर्भ में अधिक महत्व का बिन्दु यह परीक्षण का है कि व्यय चाहे राजस्व लेखा से हुआ हो अथवा सामान्य एवं दस्तूरी कार्यों क्योंकि प्रदेश की आर्थिक प्रगति एवं जनकल्याण की समबद्धता विकासगत कार्य-कलापों पर हुए व्यय से है। वर्तमान अध्याय में इसी उद्देश्य से विकासगत एवं विकासेतर व्यय की राजस्व एवं पूँजी लेखा हेतु अलग-अलग हाल के वर्षों में विद्यमान स्थिति की समीक्षा करने का प्रयास किया गया है।

विकास एवं विकासेतर व्यय-राजस्व लेखा

राजस्व व्यय के फॉट, विकास एवं विकासेतर मदों में विश्लेषणाधीन सभी वर्षों के लिए उपलब्ध नहीं है। अद्यतन वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 (वास्तविक), वर्ष 2020-21 पुनरीक्षित अनुमान तथा वर्ष 2021-22 (आय-व्ययक अनुमान) हेतु उपलब्ध वांछित आंकड़े तालिका-5.1 में दिये गये हैं।

तालिका-5.1

विकास एवं विकासेतर व्यय-राजस्व व्यय

(प्रतिशत)

मद	2015-16 (वास्तविक)	2016-17 (वास्तविक)	2017-18 (वास्तविक)	2018-19 (वास्तविक)	2019-20 (वास्तविक)	2020-21 (पुनरीक्षित अनुमान)	2021-22 (पुनरीक्षित अनुमान)
विकासगत व्यय	61.29	58.21	55.93	52.55	55.76	55.38	54.67
क-समाजिक सेवाएं	38.77	38.83	31.65	30.26	34.75	35.18	36.41
ख-आर्थिक सेवाएं	22.52	19.38	24.28	22.29	21.01	20.20	18.26
विकासेतर व्यय (सामान्य सेवायें)	33.96	37.31	39.73	43.44	39.38	39.77	41.15
स्थानीय निकायों और पंचायती राज्य संस्थाओं को क्षति पूर्ति एवं समानुदेश	4.75	4.48	4.34	4.00	4.86	4.85	4.18
कुल योग	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

स्रोत:- 30प्र0 बजट की रूपरेखा के विभिन्न अंक।

तालिका 5.1 को देखने से विदित होता है कि वर्ष 2015-16 में हुए कुल राजस्व व्यय में विकासगत व्यय तथा विकासेतर व्यय का अंश क्रमशः लगभग 61.29 प्रतिशत तथा 33.96 प्रतिशत था किन्तु वर्ष 2018-19 तक में विकासेतर व्यय पर विकासगत व्यय के अंश में कमी तथा वर्ष 2019-20 में विकासगत व्यय पर प्रति व्यक्ति विकासेतर व्यय की कमी अंकित होती है। वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 के अनुमान के अनुसार भी विकासेतर व्यय पर विकासगत व्यय की कमी दृष्टिगोचर होती है। विकासगत व्यय का अंश उत्तरोत्तर बढ़ने तथा विकासेतर व्यय के बढ़ने की प्रवृत्ति सम्भावित है। इसका मूल कारण यह है कि विकासगत व्यय के दोनों घटकों, आर्थिक सेवाओं एवं सामाजिक सेवाओं, पर व्यय का प्रतिशत अंश घटा है। एक उल्लेखनीय बिन्दु यह भी है कि आर्थिक सेवाओं पर प्रतिशत व्यय सामाजिक सेवाओं की तुलना में अपेक्षाकृत कम होता गया है। इसके विपरीत विकासेतर व्यय के अन्तर्गत सामान्य सेवाओं पर प्रतिशत व्यय बढ़ता गया है जो एक विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए स्वस्थ संकेत नहीं कहे जा सकते क्योंकि सामान्य सेवाओं से सम्बन्धित व्यय के हावी होने का अर्थ है, पूंजी निर्माण एवं सृजनात्मक तथा उत्पादक कार्यों में कमी।

विकास एवं विकासेतर व्यय-पूँजी लेखा

पूँजी निर्माण एवं विकास की गति दोनों में धनात्मक सह-सम्बन्ध होता है। इस कारण पूँजी व्यय की महत्ता सुस्पष्ट है। नियोजित विकास प्रक्रिया के शुभारम्भ के साथ इसका महत्व और भी बढ़ गया है। पूँजी लेखा व्यय में विकास एवं विकासेतर व्यय से संबंधित तालिका-5.2 में प्रस्तुत संगत विवरण से पूँजीगत व्यय की संरचना का अनुमान लगाया जा सकता है।

तालिका-5.2

विकास एवं विकासेतर व्यय-पूँजी लेखा*

क्र. सं.	मद	2015-16 (वास्तविक)	2016-17 (वास्तविक)	2017-18 (वास्तविक)	2018-19 (वास्तविक)	2019-20 (वास्तविक)	2020-21 (पुनरिक्षित अनुमान)	2021-22 (पुनरिक्षित अनुमान)
1	विकासगत व्यय	92.72	92.37	93.06	94.91	95.84	93.91	94.97
	क-सामाजिक सेवाएं	16.90	24.17	29.42	16.07	17.52	29.07	34.25
	ख-आर्थिक सेवाएं	75.82	68.20	63.64	78.84	78.32	64.84	60.72
2	विकासेतर व्यय (सामान्य सेवायें)	7.28	7.63	6.94	5.09	4.16	6.09	5.03
	योग (1+2) करोड़ ₹0 में	100 (73540.63)	100 (76530.21)	100 (40597.26)	100 (68766.05)	100 (59998.03)	100 (68253.87)	100 (113767.70)
	कुल पूँजीलेखा-व्यय (करोड़ ₹0)	91213.39	96832.88	55599.36	89482.66	84518.65	94788.15	155140.43

नोट:- विस्तृत विवरण अनुलग्नक-4 में दिये गये हैं।

स्रोत:- 30प्र0 बजट की रूपरेखा-2017-18,2018-19 एवं वर्ष 2019-20 का वार्षिक वित्तीय विवरण। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त उधार एवं अग्रिम की धनराशि भी सम्मिलित है।

तालिका 5.2 से स्पष्ट है कि पूँजी लेखा में विकासेतर व्यय का अंश लगभग नगण्य है किन्तु यहाँ उल्लेखनीय बिन्दु है कि पूँजी लेखा में हुए कुल व्यय से ऋणों की प्रतिदान वाली धनराशि निकाल देने के पश्चात ही विकासगत एवं विकासेतर व्यय की गणना की जाती है। विश्लेषणाधीन वर्षों में ऋणों के प्रतिदान में व्यय की गयी धनराशि का अंश क्रमशः 19.4 प्रतिशत, 21.0 प्रतिशत, 27 प्रतिशत एवं 23 प्रतिशत निकलता है। स्पष्ट है कि विकास कार्यकलापों पर पूँजी लेखा व्यय से लगभग वर्ष 2015-16 में 81 प्रतिशत, वर्ष 2017-18 में यह धनराशि घटकर 77 प्रतिशत तथा वर्ष 2019-20 के बजट में यह धनराशि 69 प्रतिशत ही व्यय हो पायेगी जो राज्य की ऋणग्रस्तता का द्योतक है।

समग्र विकास एवं विकासेतर व्यय

सभी प्रकार के व्ययों का अन्तिम उद्देश्य अर्थ-व्यवस्था के विकास का मार्ग प्रशस्त करना है। समग्र रूप से यह देखने की आवश्यकता है कि विभिन्न वर्षों में सम्पूर्ण विकास एवं विकासेतर व्यय की क्या प्रवृत्ति रही है तथा राज्य में प्रति व्यक्ति विकास व्यय की अन्य प्रदेशों की तुलना में क्या स्थिति रही है। यहाँ इन्हीं दो पक्षों का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

वर्ष 1997-98 से वर्ष 2018-19 पर विकास एवं विकासेतर व्यय की स्थिति तालिका-5.3 में प्रस्तुत है।

तालिका-5.3 विकासगत एवं विकासेतर व्यय

वर्ष	विकासगत व्यय	प्रतिशत वृद्धि	विकासेतर व्यय	प्रतिशत वृद्धि	योग
1	2	3	4	5	6
1997-98	1496815 (59.73)	-	1009037 (40.27)	-	2505852 (100)
2002-03	2080320 (52.65)	38.98	1871234 (47.35)	85.45	3951554 (100)
2007-08	5211587 (64.14)	150.52	2913540 (35.86)	55.70	8125127 (100)
2011-12	8980047 (64.0)	72.31	5066582 (36.0)	73.90	14046629 (100)
2012-13	10054540 (63.64)	11.97	5745718 (36.36)	13.40	15800258 (100)
2013-14	11093550 (62.3)	10.33	6728369 (37.7)	17.10	17821919 (100)
2014-15	14367922 (66.0)	29.52	7405827 (34.0)	10.06	21773749 (100)
2015-16	18689979 (67.6)	30.08	8940410 (32.4)	20.72	27630389 (100)
2016-17	19119556 (64.0)	27.08	10753269 (36.0)	24.72	29872825 (100)
2017-18	18816773 (62.3)	27.08	11381459 (37.7)	24.72	30198232 (100)
2018-19	22168779 (62.09)	17.81	13537351 (37.91)	18.94	35706130 (100)

स्रोत:- 30प्र0 के आय-व्ययक का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण के विभिन्न अंक।

नोट:- कोष्ठक में प्रतिशत को प्रदर्शित करता है।

तालिका से स्पष्ट है कि विभिन्न वर्षों में विकासगत एवं विकासेतर व्ययों के परिमाण में वृद्धिमान प्रवृत्ति रही है और यह एक अच्छी प्रवृत्ति है। वर्ष 1997-98 में, विकासगत व्यय ₹0 1496815 लाख से वर्ष 2018-19 में 22168779 लाख ₹0 तथा विकासेतर व्यय 1009037 लाख ₹0 से 13537351 लाख ₹0 हो गया जो क्रमशः लगभग 15 गुना व 13 गुना बढ़ोत्तरी दर्शाते हैं। विकासगत व्यय का अंश वर्ष 2015-16 में लगभग 68 प्रतिशत था जो घटकर वर्ष 2018-19 के में लगभग 62 प्रतिशत हो गया। जबकि वर्णित वर्ष में विकासेतर व्यय 32 से घटकर 38 प्रतिशत गया है।

प्रति व्यक्ति विकासगत एवं अविकासगत व्यय

किसी भी अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति व्यय, विकास प्रयासों की सामर्थ्य निर्धारित करता है। राज्य में प्रतिव्यक्ति विकासगत एवं अविकासगत व्यय का विवरण निम्न तालिका में संग्रहित है।

तालिका-5.4 विभिन्न समय बिन्दुओं पर प्रति व्यक्ति विकासगत एवं अविकासगत व्यय

वर्ष	प्रति व्यक्ति (₹0 में)					
	विकासगत व्यय	प्रतिशत व्यय	अविकासगत व्यय	प्रतिशत वृद्धि	योग (1+3)	प्रतिशत वृद्धि
	1	2	3	4	5	6
1997-98	953	-	642	-	1595	-
2002-03	1235	29.59	1111	73.05	2346	47.08
2007-08	3094	150.53	1730	55.72	4824	150.63
2012-13	5032	62.64	2876	66.24	7908	63.93
2017-18	9418	87.16	5696	98.05	15114	91.12
2018-19	11095	17.80	6775	18.94	17870	18.23

स्रोत:- उ0प्र0 का आय-व्ययक का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण के विभिन्न अंक।
नोट:- वर्ष 1998 की प्रक्षेपित जनसंख्या व 2001 और 2011 की जनसंख्या पर आधारित।

तालिका 5.4 से विदित होता है कि वर्ष 1997-98 से 2018-19 की अवधि में प्रति व्यक्ति विकासगत व्यय जहाँ लगभग ₹0 953 से बढ़कर ₹0 11095 हो गया वहीं अविकासगत व्यय का संगत परिमाण क्रमशः लगभग ₹0 642 एवं ₹0 6775 रहा। स्पष्ट है कि दोनों के बीच अंतराल कालान्तर में बढ़ा है। यहाँ यह भी उल्लेख करना समीचीन प्रतीत होता है कि वर्ष 2012-13 से वर्ष 2017-18 की अवधि में प्रति व्यक्ति विकासगत व्यय एवं अविकासगत व्यय दोनों ही व्ययों में लगभग दुगुनी वृद्धि हुयी है। विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2018-19 में प्रतिव्यक्ति विकासगत व्यय में लगभग 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इसी अवधि में प्रति व्यक्ति विकासगत व्यय लगभग 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति विकासगत व्यय के सापेक्ष प्रति व्यक्ति अविकासगत व्यय में बराबर वृद्धि या अधिक वृद्धि होना विकास जन्य प्रक्रिया को बाधित करता है। इस प्रवृत्ति पर अंकुश रखने की आवश्यकता ध्वनित होती है।

उपर्युक्त अविकासगत व्यय में हुई वृद्धि की तुलना में प्रति व्यक्ति विकासगत व्यय में हुई बढ़ोतरी काफी दबी प्रतीत होती है। अतिशय गरीबी एवं बेरोजगारी से ग्रस्त इस राज्य के लोगों के रहन-सहन के स्तर में गुणात्मक सुधार लाने के परिप्रेक्ष्य में प्रति व्यक्ति विकासगत व्यय में जहाँ पर्याप्त वृद्धि करने की आवश्यकता है वहीं अविकासगत व्यय पर प्रभावी अंकुश अपेक्षित है।

राज्यवार प्रति व्यक्ति विकासगत व्यय

किसी भी अर्थव्यवस्था की विकासदर को वांछित गति प्रदान करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका उसके प्रति व्यक्ति विकासगत व्यय की होती है। दूसरे शब्दों में, इसी से उसके विकास प्रयासों की सामर्थ्य भी निर्धारित होती है। विभिन्न राज्यों के सापेक्ष 30प्र0 का ब्योरा तालिका-5.5 में संग्रहित है।

तालिका-5.5 विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति विकासगत व्यय

राज्य	प्रति व्यक्ति विकासगत व्यय (रूपये में)				प्रतिशत वृद्धि	
	2013-14	2014-15	2018-19	2019-20	2013-14 से 2018-19	2014-15 से 2019-20
	1	2	3	4	5	6
1 आन्ध्र प्रदेश	13165 (3)	14341 (6)	26140 (6)	31362 (5)	98.56	118.69
2 असम	10332 (7)	12523 (11)	19717 (11)	21577 (8)	90.83	72.30
3 बिहार	5963 (16)	7982 (16)	12194 (16)	13723 (16)	104.49	71.92
4 गुजरात	12268 (6)	15002 (4)	18722 (4)	21377 (11)	52.61	42.49
5 हरियाणा	14924 (2)	16573 (2)	28242 (2)	29516 (2)	89-24	78-09
6 हिमाचल	18939	20249	36332	38510	91-84	90-18

राज्य	प्रति व्यक्ति विकासगत व्यय (रूपये में)				प्रतिशत वृद्धि	
	2013-14	2014-15	2018-19	2019-20	2013-14 से 2018-19	2014-15 से 2019-20
	1	2	3	4	5	6
7 कर्नाटक	13646 (5)	15407 (3)	25301 (3)	27143 (3)	85.41	76.17
8 केरल	12172 (12)	12875 (10)	20093 (10)	22422 (6)	65.08	74.15
9 मध्य प्रदेश	8925 (13)	12050 (12)	19000 (12)	22047 (10)	112.89	82.96
10 महाराष्ट्र	10853 (4)	13005 (9)	19280 (9)	21842 (12)	77.65	67.95
11 उड़ीसा	9063 (11)	13619 (7)	20647 (7)	24233 (9)	127.82	77.93
12 पंजाब	11152 (9)	11681 (13)	18381 (13)	24321 (13)	64.82	108.21
13 राजस्थान	9683 (10)	14393 (5)	20604 (5)	22424 (4)	108.90	22.80
14 तमिलनाडु	12244 (8)	13325 (8)	19098 (8)	20244 (7)	55.98	51.92
15 उत्तर प्रदेश	6141 (15)	8291 (15)	12275 (15)	13776 (14)	99.89	66.16
16 प० बंगाल	6912 (14)	8358 (14)	12810 (14)	14203 (15)	85.33	69.93
भारत	10127	7199	19327	21309	90.84	196.00

स्रोत:- 30प्र0 के आय-व्ययक की रूप रेखा के विभिन्न अंक।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2013-14 से वर्ष 2018-19 तक विचाराधीन 16 राज्यों में उत्तर प्रदेश 15 वें स्थान पर व बिहार 16 वें स्थान पर था। इसके पश्चात् वर्ष 2014-15 तक 30प्र0 का स्थान 15 वें पर बना रहा। वर्ष 2019-20 में 30प्र0 की रैंक में धीमी गति से सुधार होकर 14वें स्थान पर आ गया, जिसे बहुत उत्साहवर्धक नहीं कहा जा सकता है। वर्ष 2014-15 से वर्ष 2019-20 की अवधि में प्रति व्यक्ति विकास व्यय में लगभग 34 प्रतिशत की गिरावट अंकित होती है। प्रदेश की शोचनीय स्थिति का दूसरा आयाम यह भी है कि प्रति व्यक्ति विकासगत व्यय राष्ट्रीय औसत से दूरी वर्षानुवर्ष बढ़ी है। राज्य तथा राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति विकासगत व्यय का अन्तराल 2008-09 में मात्र रु0 1643 था, जो वर्ष 2019-20 में बढ़ कर रु0 7533 हो गया। स्पष्ट है कि इस सन्दर्भ में पहले से अग्रणीय राज्य हरियाणा,

प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की स्थिति और अधिक बेहतर हुई है। सतत् प्रयासों के बावजूद उत्तर प्रदेश का प्रति व्यक्ति विकास व्यय का परिणाम अन्य राज्यों के समक्ष सम्मानजनक नहीं ठहरता। इसके दो कारण हैं, प्रथम राज्य का न्यून आधार तथा द्वितीय राज्य के प्रति व्यक्ति अपने राजस्व की अपेक्षा बहुत कम है। दूसरे राज्य जो इन मामलों में लाभकर स्थिति में है, अपनी प्रति व्यक्ति आय की धनराशि अपेक्षाकृत कम अनुपात में लगाकर भी अपनी ऊँचाईयाँ बनाये रखने में सफल रहे हैं।

उपरोक्त व्याख्या इस निष्कर्ष की ओर ले जाती है कि उत्तर प्रदेश में विकास प्रक्रिया को और दृढ़ता एवं तीव्रता प्रदान करने के लिए प्रति व्यक्ति विकासगत व्यय को पर्याप्त रूप से बढ़ाने एवं कम से कम राष्ट्रीय औसत के सापेक्ष प्रदेश का प्रति व्यक्ति विकासगत व्यय का स्तर लाने की नितान्त आवश्यकता है और इसके लिए केन्द्र सरकार को अर्थ पूर्ण ढंग से सहायता उपलब्ध करानी होगी साथ ही प्रदेश को वास्तविक रूप में अपने अनुत्पादक कार्यों में क्रमिक कटौती कर संसाधन जुटाने के वर्तमान प्रयासों को और तेज करना होगा।

राज्यवार प्रति व्यक्ति अविकासगत व्यय

प्रदेश की अविकासगत व्यय की स्थिति निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाती है। प्रदेश अविकासगत व्यय के क्षेत्र में अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ा हुआ है।

तालिका- 5.6

विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति अविकासगत व्यय

राज्य	प्रति व्यक्ति अविकासगत व्यय (रूपये में)				प्रतिशत वृद्धि	
	2013-14	2014-15	2018-19	2019-20	2013-14 से 2018-19	2014-15 से 2019-20
1 आन्ध्र प्रदेश	4830 (11)	5843 (6)	8172 (6)	9500 (6)	69.19	62.59
2 असम	3524 (3)	4113 (12)	7911 (12)	8815 (9)	124.49	114.32
3 बिहार	2595 (16)	2935 (16)	4196 (16)	4895 (16)	61.70	66.78
4 गुजरात	5330 (9)	5828 (7)	8785 (7)	9389 (7)	64.82	61.10
5 हरियाणा	5900 (5)	6757 (4)	12084 (4)	14542 (4)	104.81	115.21
6 हिमाचल प्रदेश	10119 (1)	11778 (1)	19096 (1)	21077 (1)	88.71	78.95

राज्य	प्रति व्यक्ति अविकासगत व्यय (रूपये में)				प्रतिशत वृद्धि	
	2013-14	2014-15	2018-19	2019-20	2013-14 से 2018-19	2014-15 से 2019-20
7 कर्नाटक	4311 (12)	4982 (9)	7626 (9)	8427 (10)	76.90	69.15
8 केरल	7253 (4)	9034 (2)	15226 (2)	17109 (2)	109.93	89.38
9 मध्य प्रदेश	3116 (15)	3399 (15)	5730 (15)	6411 (15)	83.89	88.61
10 महाराष्ट्र	5105 (7)	5696 (8)	9029 (8)	9736 (8)	76.87	70.93
11 उड़ीसा	4411 (10)	4539 (11)	6615 (11)	7399 (13)	49.97	63.01
12 पंजाब	7404 (2)	8099 (3)	13865 (3)	14892 (3)	87.26	83.87
13 राजस्थान	3445 (13)	4031 (13)	7886 (13)	8611 (11)	128.91	113.62
14 तमिलनाडु	5919 (6)	6276 (5)	10075 (5)	11438 (5)	70.21	82.25
15 उत्तर प्रदेश	3521 (14)	3934 (14)	7046 (14)	7758 (14)	100.11	97.20
16 प० बंगाल	4178 (8)	4886 (10)	6101 (10)	6739 (12)	46.03	37.92
भारत	3210	3537	8262	9084	157.38	156.83

तालिका-5.6 से स्पष्ट है कि विचाराधीन 16 राज्यों में वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 में क्रमशः रु0 3521 तथा रु0 3934 प्रति व्यक्ति अविकासगत व्यय के साथ 14 वें स्थान पर था किन्तु उक्त उल्लिखित पाँच वर्षों के बाद भी प्रदेश की रैंक में कोई परिवर्तन नहीं आया और 14वें स्थान पर ही बना रहा।

इसके विपरीत सर्वाधिक सुधार असम राज्य ने किया है जो वर्ष 2014-15 में 12वें स्थान पर था जो वर्ष 2019-20 में प्रगति कर 9वें स्थान पर आ गया। उपर्युक्त के सम्बन्ध में एक उल्लेखनीय बिन्दु यह है कि संदर्भित अवधि में उभरी उत्तर प्रदेश की तुलनात्मक स्थिति बहुत उत्साहवर्धक नहीं कही जा सकती है किन्तु राज्य द्वारा प्रति व्यक्ति अविकासगत व्यय हेतु किये गये प्रयास सराहनीय प्रतीत होते हैं। प्रदेश के प्रति व्यक्ति अविकासगत व्यय (वर्ष 2013-14 में रु0 3521) की तुलना में (वर्ष 2019-20 में रु0 7758) में लगभग 7.20 की वृद्धि हुयी जो संदर्भित 16 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश (प्रथम स्थान 78.95 केरल (द्वितीय स्थान 89.38), एवं पंजाब (तृतीय स्थान 83.87) से कहीं अधिक है यही कारण है इन सभी राज्यों का विकास स्तर उत्तर प्रदेश से ऊँचा है। विकास की अपेक्षाओं से यही संकेत उभरते हैं कि अविकासगत व्यय में वृद्धि नियंत्रित ढंग से होनी चाहिये।

विकास एवं विकासेतर व्यय-राजस्व लेखा

मद	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22	
	वास्तविक व्यय	प्रतिशत व्यय								
1.विकास व्यय (क+ख)	14886.44	55.93	158570.31	52.55	190895.26	63.88	209900.97	65.60	216033.56	54.67
क-सामाजिक सेवायें	84251.68	31.65	91311.73	30.26	103848.76	34.76	112573.07	35.18	143863.77	36.41
ख-आर्थिक सेवायें	64634.76	24.28	67258.58	22.29	62809.42	21.02	64624.41	20.20	72169.65	18.26
कृषि और सम्बद्ध क्रिया-कलाप	27265.39	10.24	12128.99	4.02	8582.07	2.87	9884.42	3.09	12340.23	3.12
ग्रामिण विकास	17086.30	6.42	25908.70	8.59	19449.83	6.51	21303.56	6.66	19265.04	4.88
विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	72.61	0.03	45.72	0.02	70.32	0.02	106.77	0.03	77.00	0.02
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, उर्जा	41412.15	5.31	22121.88	7.33	8738.19	2.92	9960.49	3.11	12111.85	3.06
उद्योग तथा खनिज	1308.40	0.49	2024.90	0.67	2683.19	0.90	2545.95	0.80	4717.88	1.19
परिवहन	4125.24	1.55	4532.35	1.50	5237.12	1.75	8354.66	2.61	5266.51	1.33
विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	56.17	0.02	65.67	0.02	55.25	0.02	70.77	0.02	85.05	0.02
सामान्य आर्थिक सेवायें	578.50	0.22	430.37	0.14	391.78	0.13	446.90	0.14	6017.02	1.52
2.विकासेतर व्यय	105781.67	39.73	131057.25	43.44	117674.86	39.38	127264.93	39.77	162596.91	41.15
सामान्य सेवायें										
राज्य के अंग	2547.37	0.96	2977.82	0.99	3410.00	1.14	4239.91	1.33	4852.03	1.23
राजकोषीय सेवायें	4009.56	1.50	4296.29	1.42	4485.90	1.50	4216.94	1.32	5929.97	1.50
ब्याज संदाय और ऋण परिशोधन	41368.06	15.54	58446.04	19.37	38813.02	12.99	39059.37	12.21	45529.81	11.52
प्रशासनिक सेवायें	19338.33	7.26	21658.13	7.18	25431.98	8.51	27244.67	8.51	36918.59	9.34
पेंशन और विविध सामान्य सेवायें	38518.35	14.47	43678.97	14.48	49533.96	16.58	52504.03	16.41	69346.52	17.55
योग (1+2)	254668.11	95.66	289627.56	95.99	284333.04	95.15	304462.41	95.16	378630.30	95.82
3.स्थानिय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समन्वय	11555.41	4.34	12100.39	4.00	14500.02	4.85	15500.02	4.84	16500.02	4.18
कुल व्यय (1+2+3)	266223.52	100.00	301727.95	100.00	298833.04	100.00	319962.43	100.00	395130.35	100.00

स्रोत:- उ0प्र0 आय-व्यय की रूप रेखा के विभिन्न अंक

विकास एवं विकासेतर व्यय-पूँजी लेखा

मद	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22	
	वास्तविक व्यय	प्रतिशत व्यय								
1	2	3	4	5	6	7				
1- विकास व्यय (क+ख)	37780.26	93.06	65268.69	94.91	57492.73	95.82	76567.58	94.28	108047.23	94.97
समाजिक सेवार्ये	11943.60	29.42	11050.05	16.07	10514.70	17.53	23486.55	28.92	38969.98	34.25
आर्थिक सेवार्ये	25836.66	63.64	54218.64	78.84	46988.03	78.32	53081.03	65.36	69077.25	60.72
कृषि और सम्बद्ध क्रिया- कलाप	1819.24	4.48	2977.53	4.33	5148.58	8.58	1346.45	1.66	1216.28	1.07
ग्रामिण विकास	2313.12	5.70	3406.72	4.95	3706.35	6.18	6574.40	8.10	8189.51	7.20
विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	591.16	1.46	698.31	1.02	750.39	1.25	908.70	1.12	8130.00	7.15
सिंचाई और बाढ नियंत्रण,	3107.33	7.65	5530.79	8.04	5933.14	9.89	7865.67	9.69	8306.39	7.30
ऊर्जा	8312.88	20.48	14027.32	20.40	8248.82	13.75	11166.71	13.75	9543.83	8.39
उद्योग तथा खनिज	925.76	2.28	5060.68	7.36	30.77	0.05	65.48	0.08	55.47	0.05
परिवहन	8324.75	20.51	21999.90	31.99	22743.22	37.91	24221.39	29.83	38988.19	34.27
अन्य	442.42	1.08	517.39	0.75	426.72	0.71	922.20	1.14	1954.54	1.72
2. विकासेतर व्यय	2817.00	6.94	3497.36	5.09	2495.30	4.16	4641.91	5.72	5720.47	5.03
योग (1+2)	40597.26	100.00	68766.05	100.00	59998.03	100.00	81209.49	100.00	113767.70	100.00

स्रोत:- 30प्र0 आय-व्यय की रूप रेखा के विभिन्न अंक

अध्याय-6

आय-व्ययक की समग्र स्थिति

राज्य आय-व्ययक के विभिन्न अवयवों का गहन विश्लेषण करने के पश्चात उसकी समग्र स्थिति का लेखा-जोखा प्रस्तुत करना समीचीन प्रतीत होता है। विगत वर्ष 2005-06 से अब तक की स्थिति का विवरण तालिका-6.1 में दिया गया है।

तालिका-6.1


राज्य अर्थव्यवस्था की समग्र बचत (+) / घाटा (-)

(रु0 करोड़ में)

वर्ष	समेकित निधि			आकस्मिकता निधि	लोक लेखा	समग्र बचत
	प्रप्तियाँ	व्यय	बचत(+) घाटा (-)			
1	2	3	4	5	6	7
2005-06	63272.80	64345.70	(-)1072.89	115.75	1205.24	248.10
2006-07	72666.66	76482.66	(-)3816.00	635.22	3043.44	(-)137.34
2007-08	78199.78	88284.42	(-)10084.64	487.06	9822.60	(-)225.02
2008-09	95368.85	105898.11	(-)10529.26	170.92	10215.08	(-)143.26
2009-10	119203.09	123075.28	(-)3872.19	82.82	3892.63	103.26
2010-11	133063.01	136299.71	(-)3236.70	(-)39.90	3493.00	216.40
2011-12	150655.17	154722.31	(-)4067.14	(-)269.75	3302.92	(-)1033.97
2012-13	162142.73	174470.21	(-)12327.48	47.19	12860.11	579.82
2013-14	183703.77	200649.60	(-)16945.83	175.76	15653.28	(-) 1116.79
2014-15	229204.37	235608.46	(-)6404.09	(-)202.60	6753.73	147.04
2015-16	302315.15	303949.34	(-)1634.19	157.21	1076.92	(-) 400.06
2016-17	324819.01	333425.14	(-)8606.13	(-)176.04	8910.85	128.63
2017-18	326427.79	321822.88	4604.91	(-)154.96	(-)2904.09	1545.86
2018-19	386886.15	391210.62	(-) 4324.46	(-) 166.65	4396.99	(-) 94.12
2019-20	445842.46	383351.69	(+)62490.77	629.72	(-) 63055.54	64.95

स्रोत:- उत्तर प्रदेश की आय-व्ययक की रूप रेखा के विभिन्न अंक।

राज्य अर्थव्यवस्था की समग्र बचत (+) घाटा (-)



वर्ष 2005-06 से 2016-17 तक एवं वर्ष 2018-19 में समेकित निधि में घाटे की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। वर्ष 2005-06 में यह घाटा 1072.89 करोड़ रुपये था जो लगातार प्रति वर्ष घट-बढ़ के क्रम में वर्ष 2019-20 में यह घाटा बढ़कर 624.90 करोड़ रुपये हो गया। घाटे का आकार वर्ष 2005-06 से वर्ष 2016-17 तक की अवधि में रुपये

7533.24 करोड़ का हो गया। इसका मुख्य कारण वास्तविक प्राप्तियों का अनुमानित प्राप्तियों से कम होना तथा व्यय का अनुमान से अधिक होना रहा है परन्तु वर्ष 2017-18 में उल्लिखित प्रवृत्ति के विपरीत बचत की स्थिति ₹0 1545.00 करोड़ रही है जो वर्ष 2019-20 में घटकर 64.95 करोड़ अंकित होता है।

जहाँ तक समग्र घाटे की स्थिति जिसमें आकस्मिकता निधि (शुद्ध) एवं लोक लेखा (शुद्ध) का भी लेखा-जोखा शामिल किया जाता है, का सम्बन्ध है उससे भी वही प्रवृत्ति प्रतीत होती है। वास्तव में समेकित निधि का घाटा ही वास्तविक स्थिति परिलक्षित करता है क्योंकि आकस्मिकता निधि एक तरह उचन्त (इम्प्रेस्ट) लेखा होता है जिससे सरकार आकस्मिक खर्चों यथा-बाढ़, सूखा, महामारी आदि का वहन करती है, जिसका अनुमोदन बाद में विधान मण्डल द्वारा होता है। इसी प्रकार जो प्राप्तियाँ एवं संवितरण जैसे जमा, आरक्षित निधि, भेजी गयी रकम (रेमिटेन्सेज) आदि जो समेकित निधि के अन्तर्गत नहीं आते, उन्हें लोक लेखा में रखा जाता है। लोक लेखा के अन्तर्गत की धनराशि चूँकि समेकित निधि से निर्गत नहीं होती, इसलिए इस पर विधान मण्डल का अनुमोदन भी आवश्यक नहीं होता। लोक लेखा के अन्तर्गत सृजित ऋण शोधन निधियों विभिन्न निकायों के निक्षेपों, अन्य निक्षेपों भविष्य एवं पेंशन निधियों आदि में होने वाले संव्यवहारों से अनुमानित शुद्ध प्राप्ति ₹0 9500 करोड़ की तुलना में वर्ष 2019-20 में हुये लेन देनों के फलस्वरूप शुद्ध लोक लेखे की स्थिति ₹0 (-) 63055.54 करोड़ रही है। इस प्रकार विगत (वर्ष 2005-06 से वर्ष 2017-18 तक) की अवधि में राज्य अर्थव्यवस्था की समग्र बचत की स्थिति वर्ष 2005-06, 2009-10, 2010-11, 2012-13, 2014-15, 2016-17 तथा वर्ष 2017-18 में ही रही है जबकि विगत अन्य वर्षों में घाटा ही अंकित हुआ है। घाटे की उपर्युक्त प्रवृत्ति, राज्य सरकार की उत्तरोत्तर दयनीय होती वित्तीय स्थिति का रेखांकन करती है।

अध्याय-7

आय-व्ययक प्राविधान एवं वास्तविक व्यय

आय-व्ययक (बजट) किसी अर्थव्यवस्था में सम्पादित किये जाने वाले कार्य-कलापों का "ब्लू प्रिंट" होता है तथा तत्संबंधी सरकार की व्यय-नीति का दर्पण भी। स्पष्टतया, प्रस्तावित विभिन्न समाजार्थिक गतिविधियों के लिए आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि और अन्ततः उन पर हुए वास्तविक व्यय के बीच संतुलित समीकरण की आवश्यकता स्वस्थ व्यय-नीति हेतु एक अन्तर्निहित अपेक्षा उभरती है। दोनों के मध्य जितना अधिक विचलन (डेवियेशन) होगा अर्थात् वास्तविक व्यय, प्रस्तावित व्यय से जितने अधिक परिमाण से कम अथवा ज्यादा होगा कार्यक्रमों का सम्पादन भी उसी सीमा तक प्रभावित होगा क्योंकि दोनों ही स्थितियों में, अन्तर्क्षेत्रकीय पूरकतायें एवं सहलग्नतायें (इंटरसेक्टरल काम्प्लीमेंटेरिटीज एण्ड लिंकेजेज) अतृप्त रह जायेंगी। अतः आय-व्ययक तैयार करते समय तथा वर्ष के मध्य उसके पुनरीक्षित अनुमान बनाते समय विभिन्न क्षेत्रकों की संदर्भित अपेक्षाओं को ध्यान में रखा जाना जरूरी होता है, तभी आय-व्ययक संतुलित हो सकता है। उत्तर प्रदेश जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था हेतु जहाँ संसाधनों की निपट बाध्यता हो, इस पहलू का अनुपालन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस अध्याय में इसी बिन्दु का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। संगत विवरण तालिका- 7.1 में संग्रहीत है।

तालिका-7.1

प्राविधानित व्यय से वास्तविक व्यय के विचलन का परीक्षण

(रु० करोड़ में)

वर्ष	आय-व्ययक अनुमान	पुनरीक्षित अनुमान	वास्तविक आंकड़े व्यय	आय-व्ययक से वास्तविक व्यय	पुनरीक्षित अनुमान से वास्तविक व्यय
2001-02	38618.78	39692.20	47542.36	(+)8923.58 (18.77)	(+)7850.16 (16.51)
2002-03	40747.96	56277.41	55180.44	(-)14432.48 (26.16)	(+)1096.97 (1.99)
2003-04	71223.24	90003.08	86202.32	(-)14978.08 (17.38)	(+)3800.76 (4.41)

वर्ष	आय-व्ययक अनुमान	पुनरिक्षित अनुमान	वास्तविक आंकड़े व्यय	आय-व्ययक से वास्तविक व्यय	पुनरीक्षित अनुमान से वास्तविक व्यय
2004-05	63983.63	81227.57	80274.90	(-)16291.27 (20.29)	(+)952.67 (1.19)
2005-06	69295.19	73469.34	64345.70	(+) 4949.49 (7.69)	(+)9123.64 (14.18)
2006-07	82849.96	75113.96	76482.66	(+)6367.30 (8.33)	(+)1368.70 (1.79)
2007-08	100911.41	91174.53	88284.42	(+)12626.99 (14.30)	(+)2890.11 (3.27)
2008-09	112472.72	110684.59	105898.11	(+)6574.61 (6.21)	(+)4786.48 (4.52)
2009-10	133596.98	131539.27	123075.28	(+)10521.70 (8.55)	(+)8463.99 (6.88)
2010-11	153199.38	146084.16	136299.71	(+)16899.67 (12.40)	(+)9784.45 (7.18)
2011-12	169416.38	165243.30	154722.31	(+) 14694.07 (9.50)	(+)10520.99 (6.80)
2012-13	200110.61	187278.06	174470.21	(+)25640.4 (14.70)	(+)12807.85 (7.34)
2013-14	221201.19	206547.97	200649.60	(+)20551.59 (10.24)	(+)5898.37 (2.94)
2014-15	274704.59	263302.83	235608.46	(-) 39096-13 (14.23)	(+)27694.37 (10.52)
2015-16	*302687.32	330430.01	303949.34	(+)1262.02 (0.42)	(+)26480.67 (8.01)

वर्ष	आय-व्ययक अनुमान	पुनरीक्षित अनुमान	वास्तविक आंकड़े व्यय	आय-व्ययक से वास्तविक व्यय	पुनरीक्षित अनुमान से वास्तविक व्यय
2016-17	346934.78	340255.24	333425.14	(+)13509.64 (3.89)	(+)6830.01 (2.01)
2017-18	384659.21	368401.04	321822.88	(+)62836.83 (16.34)	(+)46578.16 (12.64)
2018-19	428384.52	449573.29	391210.62	(+) 37173.90 (8.68)	(+)58362.67 (12.98)
2019-20	479701.10	451828.03	383351.69	(+)96349.41 (20.08)	(+)68476.34 (15.16)

स्रोत:- उत्तर प्रदेश आय-व्ययक की रूपरेखा के विभिन्न अंक।

नोट:-

- यदि वास्तविक व्यय आय-व्ययक अनुमान/पुनरीक्षित अनुमान से अधिक है तो धनात्मक चिन्ह से दर्शाया गया है। यदि वास्तविक व्यय, आय व्ययक से कम है तो उसे ऋणात्मक चिन्ह से दर्शाया गया है।
- कोष्ठक में संख्याएं प्रतिशत दर्शाती हैं।

तालिका में निहित विषय-सामग्री की व्याख्या करने के पूर्व इस प्रसंग में यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा परिव्यय सीमा के निर्धारण के पश्चात उसी के अनुसार राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु पंचवर्षीय योजनाओं एवं वार्षिक योजनाओं की संरचना की जाती है। विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक वर्ष राज्य के आय-व्ययक में वांछित धनराशि के व्यय हेतु प्राविधान किया जाता है। वर्ष के मध्य कार्यक्रमों की प्रगति समीक्षा के बाद आय-व्ययक का पुनरीक्षण कर उसमें यथोचित संशोधन किया जाता है। जिससे प्राविधानित धनराशि का समुचित एवं पूर्णरूपेण उपयोग किया जा सके।

उक्त परिप्रेक्ष्य में उन्नीस वर्षीय प्राप्त पर्यवेक्षण काफी रुचिकर प्रतीत होते हैं। वर्ष 2001-02 से 2004-05 तक तथा वर्ष 2015-16 में आय-व्ययक से वास्तविक व्यय का विचलन ऋणात्मक रहा है अर्थात् आय-व्ययक के बजट अनुमान वास्तविक व्यय से कम रहे हैं। उक्त अवधि (वर्ष 2001-02 से 2004-05) के अन्तर्गत इनका विचलन 17 प्रतिशत से लेकर 26 प्रतिशत के मध्य तथा वर्ष 2015-16 में मूल आय-व्ययक अनुमान से वास्तविक व्यय का विचलन की स्थिति 0.42 प्रतिशत कम रही है किन्तु उसके बाद विचलन (धनात्मक)

परिमाण एवं गति दोनों दृष्टियों से बढ़ता गया और यह विचलन वर्ष 2019-20 में मूल आय व्ययक से वास्तविक व्यय का विचलन लगभग 20 प्रतिशत तक पहुँच गया।

वर्ष 2001-02 में आय व्ययक का यौगिक मूल अनुमान लगभग ₹0 38619 करोड़ का था जो पुनरीक्षित होकर ₹0 39692 करोड़ हुआ अर्थात् वास्तविक व्यय मूल अनुमान से लगभग ₹0 8924 करोड़ (18.77 प्रतिशत) तथा पुनरीक्षित अनुमान ₹0 7850 करोड़ (16.51 प्रतिशत) कम रहा, इस प्रकार पुनरीक्षित अनुमान से वास्तविक व्यय का विचलन अधिक रहा है किन्तु इसके बाद विचलन वर्ष 2006-07 को छोड़कर धनात्मक परिमाण एवं गति दोनों दृष्टियों से बढ़ता गया, वर्ष 2019-20 में मूल आय-व्ययक के सापेक्ष ₹0 96349 करोड़ (20.08 प्रतिशत) तथा पुनरीक्षित अनुमान से लगभग ₹0 68476 करोड़ (15.16 प्रतिशत) तक पहुँच गया है।

इस प्रकार यदि विश्लेषणाधीन अवधि विशेष रूप से इधर हाल के तीन वर्षों अर्थात् 2017-18, 2018-19 व 2019-20 की स्थिति का अवलोकन किया जाय तो प्राप्त पर्यवेक्षण आय-व्ययक को पुनरीक्षित करने की प्रक्रिया को प्रत्यक्षतः निष्प्रभावी (सुपरफ्लुअस) ठहराते हैं क्योंकि यह प्रक्रिया वर्ष के मध्य सम्पादित की जाती है जब विभिन्न कार्यक्रमों में हुई प्रगति तथा उन पर हुए व्यय का काफी कुछ विवरण सामने आ जाता है जिससे प्राप्त सूचना, ज्ञान एवं प्रवृत्ति से, वस्तुस्थिति से भिन्नता प्रारम्भिक आय-व्ययक तैयार करने की तुलना में निश्चित रूप से बेहतर एवं कहीं अधिक परिमार्जित होती है। अतः उपलक्षित अपेक्षाओं के अनुसार पुनरीक्षित अनुमान वास्तविकताओं के समीप होने चाहिए। किन्तु परिणाम इसके ठीक विपरीत पर्यवेक्षित होते हैं। वर्ष 2010-11 में वास्तविक व्यय मूल अनुमानों से लगभग ₹0 16900 करोड़ कम और पुनरीक्षित अनुमानों से लगभग ₹0 9784 करोड़ कम निकलता है। इसी प्रकार वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में वास्तविक व्यय, मूल आय-व्ययक अनुमानों के सापेक्ष क्रमशः लगभग (+) ₹0 62837 करोड़ तथा (+) ₹0 37174 करोड़, (+) ₹0 96349 करोड़ तथा पुनरीक्षित अनुमान से क्रमशः (+) ₹0 46578 करोड़, (+) ₹0 58363 करोड़ एवं (+) ₹0 68476 करोड़ व्यय अधिक आंगणित होता है।

उपर्युक्त विश्लेषित तथ्यों से मूल आय-व्ययक प्राविधान करने के पूर्व आय-व्ययक प्रस्तावों की प्रशासनिक, नियोजन एवं वित्त विभाग द्वारा वस्तुनिष्ठ परिनिरीक्षा करने तथा पुनरीक्षित अनुमान तैयार करते समय वस्तुस्थिति के अनुसार मूल आय-व्ययक में संशोधन, परिवर्द्धन एवं परिमार्जन करने की प्रक्रिया को कड़ाई से अनुपालन की भी अपरिहार्यता रेखांकित होती है जिससे प्राविधानित धनराशि का पूर्णरूपेण एवं अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके और इस प्रकार प्रदेश की प्रगति का पथ उत्तरोत्तर प्रशस्त हो सके।

अध्याय-8

निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ

विकासशील अर्थव्यवस्था में योजना व्यय, प्रमुख रूप से राजस्व व्यवस्था द्वारा सरकार को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराये जाने की सामर्थ्य पर निर्भर करता है। यद्यपि अर्थव्यवस्था के समुचित विकास में अनेक कारकों का योगदान होता है, किन्तु उसके विभिन्न सेक्टरों के मध्य वित्तीय संसाधनों के आवंटन की प्राथमिकताओं एवं वास्तविक व्यय का परिमाण एवं व्यय के स्वरूप की निर्णायक भूमिका होती है।

अतः प्रदेश के वर्ष 2019-20 की आय-व्ययक की संरचना में राजस्व के विभिन्न स्रोतों की संरचना, स्वरूप एवं विगत वर्ष के सापेक्ष प्रवृत्ति तथा आय-व्ययक में प्राविधानों के सापेक्ष वास्तविक व्यय, व्यय की गयी धनराशि में राजस्व एवं पूंजी व्ययों का अंश, विकासगत एवं विकासेतर व्ययों का प्रतिशत आदि का उपलब्ध आकड़ों का उपयोग करते हुए वर्तमान अध्ययन में उक्त स्थिति का विस्तृत परीक्षण एवं विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। अध्ययन से उभरे निष्कर्ष एवं उन पर आधारित एक संतुलित आय एवं व्यय के फ्रेमवर्क हेतु संस्तुतियाँ निम्नवत हैं-

1. वित्तीय संसाधनों के अभाव को दृष्टिगत रखते हुये, प्रदेश के आर्थिक विकास गतिशील बनाने के उद्देश्य से विकास मदों की प्राथमिकतायें निर्धारित करनी चाहिये विकास की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले मद सिंचाई, ऊर्जा, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य मद पर पर्याप्त बजट की धनराशि सुनिश्चित करनी चाहिये तथा उसी के अनुरूप सम्पूर्ण व्यय को सुनिश्चित करना चाहिये जिससे आर्थिक विकास की वृद्धि दर को गति प्रदान किया जा सकेगा।
2. आर्थिक विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान करने में आने वाले अवरोधों को दूर करने हेतु विनियोजन एक आवश्यक शर्त है। तदुसार प्रदेश की आय में वृद्धि दर बढ़ने के साथ प्रति व्यक्ति आय भी बढ़नी चाहिये। प्रचलित भावों पर यद्यपि प्रति व्यक्ति राज्य आय में निरन्तर वृद्धि परिलक्षित होती है। वर्ष 2015-16 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय का अन्तराल 50 प्रतिशत रहा। यह अन्तराल वर्ष 2019-20 में लगभग 51 प्रतिशत हो गया। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय (रु0 65704) राष्ट्रीय स्तर की प्रति व्यक्ति आय से लगभग (रु0 134226) आधे से कम है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रमुख राज्यों में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय औसत के सापेक्ष उत्तर प्रदेश (रु 65704), बिहार को छोड़कर (रु0 46664) अन्य राज्यों यथा आन्ध्र प्रदेश (रु0 169519), कर्नाटक (रु0 231246), पंजाब (रु0 166830) एवं तमिलनाडु (रु0 218599) राज्यों की प्रति व्यक्ति आय एक लाख से अधिक आंकलित होती है।

3. राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय, उच्च आय वाले प्रमुख राज्यों की तुलना में प्रदेश का स्थान न्यूनतम आंकलित होता है, परन्तु औद्योगीकरण, बुनयादी ढांचे में सुधारों के चलते उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत तेजी के साथ बेहतर हुयी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद रू0 21 लाख 73 हजार 390 करोड़ के करीब पहुँच जाने का अनुमान बजट में किया गया है। राज्य की जनसंख्या 23 करोड़ मानी जाये तो इस जी0एस0डी0पी0 से प्रति व्यक्ति आय करीब रू0 94445 हो जायेगी। छः वर्ष पूर्व वर्ष 2015-16 में राज्य में प्रति व्यक्ति आय (रू0 47118), इन आंकड़ों के लगभग अर्थ-व्यवस्था दो गुना के करीब पहुँच जायेगी। यह आँकड़े लोगों के जीवन में हो रहे सुधार का संकेत दे रहे हैं।

प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर के मध्य प्रति व्यक्ति आय में बढ़ता अन्तराल क्षेत्रीय विषमता को उत्पन्न करता है इसलिए यह आवश्यक है कि बढ़ते हुए अन्तराल को कम करने हेतु प्रति वर्ष विकास की दर को प्रभावित करने वाले उन कारको को चिन्हित किया जाय जिससे बढ़ते हुए अन्तराल को कम किया जा सके।

4. राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद में राज्य के निबल घरेलू उत्पाद की भागीदारी वर्ष 2011-12 में 8.3 प्रतिशत थी जो वर्ष 2019-20 में घटकर 8.0 प्रतिशत हो गयी। यह प्रवृत्ति संतोषजनक नहीं है। इस प्रवृत्ति को बदलने के लिये विकास पर जोर, संसाधनों को दोहन एवं निर्धारित बजट का उचित विनियोग तथा वित्तीय अनुशासन द्वारा किया जा सकता है।

5. वर्ष 2019-20 में प्रदेश की निबल प्रति व्यक्ति आय की वार्षिक वृद्धि दर 2.2 प्रतिशत, जो राष्ट्रीय स्तर (3.1 प्रतिशत) से कम है। संदर्भित वर्ष में प्रदेश के आर्थिक विकास की दर 4.0 प्रतिशत, राष्ट्रीय स्तर की विकासदर 3.9 प्रतिशत से अधिक है। संदर्भित वर्ष में Covid-19 के कारण आर्थिक गतिविधियाँ सुचारू रूप से न होने के कारण अर्थव्यवस्था प्रभावित हुयी है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था हेतु उच्च विकास दर को प्राप्त करने के लिये, प्रभावित करने वाले उन कारकों को चिन्हित करने की आवश्यकता ध्वनित होती है, जिसको दूर कर उच्च आर्थिक विकास दर को प्राप्त किया जा सके।

6. विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2017-18 की अवधि में राजस्व प्राप्ति में लगभग 6.0 प्रतिशत की वृद्धि हुयी परन्तु वर्ष 2018-19 में 0.11 प्रतिशत, एवं वर्ष 2019-20 में 3.11 की गिरावट की प्रवृत्ति पायी गयी है। वर्ष 2019-20 में रू0 366393.18 करोड़ की राजस्व प्राप्ति, पुनरीक्षित अनुमान की प्राप्ति (रू0 370265.45 करोड़) से कम थी। कर राजस्व, जोकि राजस्व प्राप्ति का मुख्य घटक है, वर्ष 2019-20 में रू0 240644.13 करोड़ कर राजस्व पुनरीक्षित अनुमान द्वारा निर्धारित लक्ष्य (रू0 269351.13 करोड़ से(10.66 प्रतिशत) कम है।

7. पूंजी लेखे से प्राप्तियाँ वर्ष 2015-16 से वर्ष 2018-19 तक लगातार गिरावट की प्रवृत्ति पायी गयी है। इसका मुख्य कारण ऋणों की प्राप्तियों के मद में आय का कम होना रहा है। वर्ष 2019-20 में पूंजी लेखे में मूल आय- व्यय के अनुमान से कुल प्राप्तियाँ ₹0 78950.08 करोड़ के सापेक्ष ₹0 79449.20 करोड़ की वास्तविक प्राप्ति हुई जोकि अनुमानित प्राप्ति से लगभग 0.63 प्रतिशत से अधिक हुई है। इस मद में अधिक होने का मुख्य कारण, राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण में अनुमान से लगभग 1.09 प्रतिशत की धनराशि अधिक प्राप्त होने से है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आलोच्य वर्ष में केन्द्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम मद में 16.36 प्रतिशत, ऋण एवं अग्रिम की वसूलियों के मद में अनुमान से 0.72 प्रतिशत की गिरावट तथा राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण से लगभग 1.09 प्रतिशत की धनराशि अधिक प्राप्त हुयी।

8. राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत राज्य के अपने करों के शुल्कों का अंश वर्ष 2011-12 से वर्ष 2013-14 तक का योगदान लगभग 40 प्रतिशत का रहा, तत्पश्चात वर्ष 2014-15 से घटकर वर्ष 2019-20 में लगभग 34 प्रतिशत हो गया जबकि वर्ष 2016-17 से केन्द्रीय करों के अंश 43 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019-20 में 32 प्रतिशत हो गया। अतः राज्य की समस्याओं एवं विकास की प्रतिबद्धताओं के परिप्रेक्ष्य में पर्याप्त संसाधनों हेतु अपने करों तथा शुल्कों से हो रही आय के आकार को बढ़ाना तार्किक भी है और आवश्यक भी।

राज्य के अपने करों में बिक्री कर (व्यापार कर) का योगदान सर्वाधिक है। राज्य के अपने करों से हो रही आय का आधे से अधिक भाग बिक्रीकर द्वारा प्राप्त होता है। वर्ष 2011-12 में अधिकतम 63 प्रतिशत बिक्री कर से प्राप्तियां हुई किन्तु वर्ष 2019-20 में गिरावट के साथ लगभग 17 प्रतिशत ही रह गया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि माह जुलाई, 2017 से जी0एस0टी0 व्यवस्था लागू हो जाने से वर्ष 2019-20 में 38 प्रतिशत की धनराशि वस्तु एवं सेवा कर से प्राप्त हुयी है। यदि दोनों की धनराशि को संयुक्त रूप से देखा जाय तो आलोच्य अवधि में लगभग 55 प्रतिशत की धनराशि प्राप्त हुयी है। यह राजस्व की कमी माह जुलाई में जी0एस0टी0 व्यवस्था लागू होने से एवं कोविड प्रभाव के कारण कारोबारी गतिविधियां प्रभावित होने से परिलक्षित होती है।

9. भू-राजस्व के अंश में कमी हुई है। वर्ष 2012-13 में 1.39 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019-20 में मात्र 0.41 प्रतिशत की उपलब्धि अंकित की गई है। राज्य उत्पाद शुल्क में वर्ष 2012-13 में लगभग 17 प्रतिशत का योगदान था जो बढ़कर वर्ष 2019-20 में लगभग 22 प्रतिशत हो गया। अन्य करों और शुल्कों (वाहन कर, माल एवं यात्रियों पर कर, बिजली कर एवं शुल्क, भू राजस्व कर, आय एवं व्यय पर अन्य कर (वृत्त कर) सम्मिलित है) का योगदान वर्ष 2019-20 में 9.51 प्रतिशत अंकित होता है।

इस प्रकार राज्य के अपने करों से प्राप्त होने वाली आय में बिक्रीकर, स्टाम्प कर तथा राज्य उत्पाद कर का योगदान वर्ष 2006-07 में लगभग 93 प्रतिशत था जो वर्ष 2019-20 में वस्तु सेवा एवं सेवा कर को सम्मिलित करते हुए प्राप्ति की धनराशि घट कर लगभग 91 प्रतिशत हो गया। राज्य के वित्तीय संसाधनों की ह्रासोन्मुख प्रवृत्ति की स्थिति को देखते हुए समीचीन नहीं प्रतीत होती है। अतः इस प्रवृत्ति को उल्टी दिशा में मोड़ने के ठोस प्रयास किये जाने चाहिये। उपरोक्त तीनों मदों की आय में वृद्धि किये जाने की अपार सम्भावनाएँ हैं। इन मदों पर विशेष ध्यान देकर तथा कार्यान्वयन के कारणों का पता लगाकर निदान करना आवश्यक है।

10. करेतर राजस्व के अन्तर्गत राज्य के अपने स्रोत यथा ब्याज प्राप्ति, लाभांश एवं लाभ तथा सामान्य सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं से अधिकतम प्राप्ति वर्ष 2016-17 में 47 प्रतिशत था जो वर्ष 2019-20 में बढ़ने की प्रवृत्ति के साथ 65 प्रतिशत अंकित हुई है जबकि केन्द्रीय सरकार से सहायक अनुदान में गिरावट की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई है। वर्ष 2016-17 में इसका योगदान 53 प्रतिशत का था जो वर्ष 2019-20 में घटकर 35 प्रतिशत हो गया।

करेतर राजस्व के अन्तर्गत ब्याज प्राप्ति, लाभांश तथा लाभ से राज्य को हो रही आय के वर्तमान स्तर को, प्रशासनिक क्षमता एवं आर्थिक कार्यकुशलता में चुस्ती लाकर, ऊँचा करने की नितान्त आवश्यकता है। विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में विवेकपूर्ण विनियोग किया जाना तथा पूर्व नियोजित पूँजी की उत्पादकता में वांछित सुधार लाना होगा।

11. उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं के लिये केन्द्र सरकार को सहानुभूतिपूर्ण एवं उदार दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। अतः जहाँ राज्य की राजकोषीय नीति को वर्तमान परिपेक्ष्य में, नये आयाम की आवश्यकता है, वहीं राज्य सरकार को उनके प्रयासों में केन्द्र सरकार से अनुपूरक सहायता एवं सक्रिय सहयोग प्राप्त होना चाहिये। यही मूल समस्या है और समय की मांग भी।

12. राज्य में प्रति व्यक्ति आय में प्रति व्यक्ति कर भार का अनुपात यद्यपि वर्ष 1990-91 में 6.66 प्रतिशत, वर्ष 2000-01 में 6.60 प्रतिशत, वर्ष 2014-15 में 18.35 था जो वर्ष 2017-18 में बढ़कर 20.28 हो गया। अन्य राज्यों की तुलना में प्रदेश के "कर"प्रयासों में सुधार के संकेत मिलते हैं क्योंकि 15 प्रमुख राज्यों में इस दृष्टि से इन वर्षों में राज्य का स्थान क्रमशः 12,11,1 तथा 02 हो गया। परन्तु वर्ष 2017-18 में प्रति व्यक्ति राजस्व प्राप्ति से यह तथ्य उभरता है कि अभी भी सम्पूर्ण 31 राज्यों में बिहार को छोड़कर, उत्तर प्रदेश की रैंक अन्तिम स्थान पर आता है।

विश्लेषण से इस तथ्य की ओर संकेत मिलता है कि राज्य को अपने कर प्रयासों में और तेजी तथा बेहतरी लाने की बेहद जरूरत है जिसमें अपनी विकास आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये वित्तीय संसाधनों के अन्य विकल्प यथा ऋण एवं केन्द्रीय अनुदान पर निर्भरता कम हो सके क्योंकि इन स्रोतों के विगत संचरण को दृष्टिगत रखते हुए उन पर एकांगी भरोसा व्यवहारिक न होगा। वैसे भी राज्य द्वारा लगाये गये एवं वसूले गये करों से प्राप्तियां ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं जहाँ राज्य सरकार स्वयं के प्रयासों द्वारा इस स्रोतों के माध्यम से अपनी राजस्व प्राप्तियों में बढ़ोतरी ला सकती है क्योंकि राजस्व के अन्य स्रोत यथा केन्द्रीय करों में अंश तथा केन्द्रीय सरकार से सहायक अनुदान दोनों ही, व्यवहारिक रूप से राज्य के प्रयासों से परे लगते हैं क्योंकि उनका निर्धारण संवैधानिक प्राविधानों एवं वित्त आयोग के एवार्डस द्वारा होता है।

राज्य को करों के क्षेत्र में विस्तार लाने के लिये जहाँ अतिरेक (सरप्लस) की तलाश करनी होगी वहीं करापवंचन को रोकने तथा वर्तमान करों की वसूलियों में वृद्धि हेतु प्रभावी कदम उठाने होंगे जिससे कर राजस्व की प्राप्तियां प्रचुरता से बढ़ायी जा सके।

13. विश्लेषणाधीन अवधि (2006-07 से 2019-20) में कुल व्यय में राजस्व व्यय एवं पूंजी व्यय के अंशों की व्याख्या से विदित होता है कि राजस्व व्यय में पांच गुना तथा पूंजी व्यय में लगभग चार गुना की वृद्धि हुई है कुल व्यय में पूंजी व्यय का अंश वर्ष 2015-16 में 30 प्रतिशत था यह व्यय वर्ष 2019-20 में घटकर 22 प्रतिशत आंकलित होता है।

वर्ष 2017-18 में कुल व्यय में राजस्व व्यय 83 प्रतिशत एवं वर्ष 2019-20 में 78 प्रतिशत हो गया। स्पष्ट है कि पूंजी व्यय का अंश तदुसार अधिक हुआ है। ज्ञातव्य है कि योजना व्यय वर्षानुवर्ष हो रही बढ़ोत्तरियों के साथ राजस्व व्यय में बढ़ोतरी होना स्वभाविक है किन्तु इस व्यय का इस परिमाण में बढ़ना उचित नहीं होता क्योंकि यह व्यय मूलतः करों की वसूली, प्रशासनिक, आर्थिक तथा सामाजिक सेवायें आदि पर होता है जो आवर्ती स्वभाव के मद हैं और जिनका भौतिक परिसम्पत्तियों के निर्माण से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। अतः उत्पादक कार्य-कलापों के लिये अपरिहार्य पूंजी व्यय के अंश में बढ़ोतरी होना निःसन्देह स्वस्थ प्रवृत्ति का परिचायक है।

14. वर्ष 2019-20 में पुनरीक्षित अनुमान एवं वास्तविक आंकड़ों में व्यापक भिन्नता थी। राजस्व प्राप्तियां ₹0 366393.18 करोड़ एवं राजस्व व्यय ₹0 298833.04 करोड़ एवं पुनरीक्षित राजस्व प्राप्तियां ₹0 370265.45 करोड़ एवं राजस्व व्यय ₹0 343983.28 करोड़ से कम है। ब्याज भुगतान और ऋणों के प्रतिदान (ऋण सेवा) की सेवाओं पर व्यय ₹0 57213.63 करोड़, पुनरीक्षित अनुमान ₹0 60038.45 करोड़ से कम है। वर्ष 2019-20 में

राजस्व प्राप्तियों में ऋण सेवा का अंश पुनरीक्षित अनुमान 16.2 के सापेक्ष वास्तविक अंश 16.0 आंकलित होता है।

15. राज्य सरकार द्वारा ऋणों की प्राप्तियां वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 की अवधि में बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है वर्ष 2017-18 (रु0 47417 करोड़) से वर्ष 2019-20 में (रु0 73809 करोड़) प्राप्त ऋण की धनराशि में 56 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुयी है। ऋणों के प्रतिदान एवं व्याज के भुगतान के साथ ऋण की धनराशि की प्रवृत्ति का अवलोकन किया जाये, तो आलोच्य अवधि में (वर्ष 2018-19 को छोड़कर) ऋण की शुद्ध उपलब्धता धनात्मक हो जाती है। यह स्थिति, राज्य सरकार पर घटते ऋण-भार का प्रतीक है। धनात्मक ऋण की शुद्ध उपलब्धता का अर्थ यह हुआ कि राज्य सरकार को भुगतान अपनी अन्य प्राप्तियों से नहीं करना पड़ रहा है। यह स्थिति प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर घटते ऋण भार का प्रतीक है तथा राजस्व बचत के बड़े अंश का उपयोग भी पूँजीगत कार्यों के लिये किया जा रहा है। जो स्वस्थ अर्थव्यवस्था का द्योतक है।

16. ऋणों का प्रतिदान पूँजी लेखा के अन्तर्गत पूँजीगत परिव्यय के बाद दूसरा बड़ा मद है जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार एवं अन्य स्रोतों से लिये गये ऋण का भुगतान शामिल होता है, इससे सम्बन्धित व्यय विकासेतर व्यय होते हैं। अतः कुल पूँजीगत व्यय में से पूँजीगत परिव्यय जो मूलतः विकासगत कार्यों के लिये होते हैं, के लिये कितनी धनराशि बचती है, बहुत हद तक ऋणों के प्रतिदान पर व्यय की गयी धनराशि पर निर्भर करती है वर्ष 2018-19 में कुल पूँजीगत व्यय में ऋणों के प्रतिदान का अंश लगभग 33 प्रतिशत एवं वर्ष 2019-20 में 37 प्रतिशत था। स्पष्ट है कि विगत वर्ष की तुलना में विकास मदों पर पूँजी व्यय का अंश 67 प्रतिशत से घटकर 63 प्रतिशत ही व्यय हो पाया है। परिमाणस्वरूप विकास कार्यों हेतु पूँजी व्यय का अंश कम होना एक अस्वस्थ प्रवृत्ति का द्योतक है।

17. वर्ष 2019 में राज्य सरकार की ऋणग्रस्तता रु. 4452.03 अरब थी, जो वर्ष 2020 में रु. 4999.68 अरब हो गई। यदि राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रिम की अदत्त धनराशियाँ भी जोड़ दिया जाये तो इनकी देनदारी रु0 4738.60 अरब से बढ़कर रु0 5251.04 अरब तक पहुँच जाती है। राज्य सरकार की समग्र देयता में, इस तरह वर्ष 2020 तक की अवधि में, प्रति वर्ष 512.44 अरब की बढ़ोत्तरी हुई है। वर्ष 2021 एवं 2022 के अनुमानों से भी राज्य अर्थ व्यवस्था की ऋणग्रस्तता के और प्रगाढ़ होने के संकेत मिलते हैं। वर्ष 2013 में राज्य सरकार पर कुल लोक ऋण में बाजार ऋण की निर्भरता 52 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2020 में लगभग 80 प्रतिशत तथा भारत सरकार से लिये गये ऋण की प्रवृत्ति में गिरावट (45 से 17 प्रतिशत) आयी है। वर्ष 2021 के पुनरीक्षित अनुमान से बाजार ऋण की धनराशि

लगभग 84 प्रतिशत हो जायेगी जबकि भारत सरकार से लिये गये ऋण पर निर्भरता में कमी (45 से 13 प्रतिशत) आयेगी, परन्तु यह देयता राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन, 2004 और द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2011 में निहित है।

राज्य की ऋणग्रस्तता का परिमाण का आकार तो बढ़ा है परन्तु विकास कार्यों के निमित्त ऋण अपरिहार्यता अविवादित है विशेष रूप से राज्य अर्थव्यवस्था के समक्ष अपने वित्तीय संसाधनों की निपट बाध्यता के संदर्भ में ऋणों के उत्तरोत्तर वृद्धि की उसकी विवशता बखूबी समझी जा सकती है किन्तु राज्य सरकार द्वारा वित्तीय अनुशासन का दृढ़ता से पालन भी उतना ही जरूरी हो जाता है। विभिन्न स्रोतों से लिया गया ऋण तथा उनके द्वारा दिये गये ऋण का पूंजी परिसम्पत्तियों के निर्माण से उपयोग अथवा उनका उत्पादक कार्यों में विनियोजन तथा विनियोजित पूंजी के प्रति लाभों से लिया गया ऋण का भुगतान जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रभावी अनुश्रवण द्वारा सुनिश्चित करना होगा।

यहाँ भी उल्लेखनीय है कि एफ0आर0बी0एम0 2004 के खण्ड -4 (डी) में वर्णित बाजार ऋण का उपयोग अनिवार्य रूप से स्वपोषित विकास कार्य कलापों एवं पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन एवं सम्वर्धन में किया जाना चाहिये। उत्तरदायी कारकों पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिया जाना भी तार्किक प्रतीत होता है।

प्रथम, लोक ऋण, प्रमुखतः केन्द्रीय ऋण, का पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण में उपयोग अथवा उनका उत्पादक कार्यक्रमों में विनियोजन करने संबंधी उद्देश्य की प्रतिबद्धता का पालन किस सीमा तक होता है।

द्वितीय उन कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं का अभिज्ञान किया जाना, जिनमें लगाई गई ऋण धनराशि का भुगतान उनके प्रतिलाभों (रिटर्न) से न होकर, कर प्राप्तियों से किया जाता हो, तथा इससे संबंधित आवश्यक उपाय। इस प्रकार के प्रभावी अनुश्रवण कारगर उपायों से न केवल विभिन्न कार्यक्रमों/परियोजनाओं में ऋणों से पोषित विनियोग की वापसी (फीड बैक) सुनिश्चित हो सकेगी, बल्कि राजस्व बजट के घाटे को भी नियंत्रित/बचाया जा सकेगा।

18. राज्य की कुल ऋणग्रस्तता लगातार बढ़ती जा रही है, परन्तु किसी भी राज्य की ऋणग्रस्तता का आंकलन उसकी कुल ऋणग्रस्तता से नहीं अपितु सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत के रूप में किये जाने पर ही राज्य के ऋणग्रस्तता का सही आंकलन किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में कतिपय केन्द्रीय वित्त आयोगों द्वारा राज्य एवं संघ के लिये कुल ऋणग्रस्तता एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिये निर्धारित अनुपात की संस्तुति की जाती रही है यदि राज्य अपने निर्धारित प्रतिशत अनुपात सीमा के अन्दर है तो राज्य की ऋण स्थिति नियंत्रित मानी जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य का ऋण/स0रा0ध0अ0 (G.S.D.P.) अनुपात अधिनियम (F.R.B.M) में निर्धारित अनुपात से प्रत्येक वर्ष कम रहा है। वर्ष 2015-16

में एफ0आर0बी0एम0 एक्ट में निर्धारित 31.0 प्रतिशत के सापेक्ष सकल राज्य आय की ऋणग्रस्तता 29.5 प्रतिशत आंकलित होती है जबकि वर्ष 2019-20 में यह आंकलन 30.0 प्रतिशत के सापेक्ष 29.6 प्रतिशत निर्धारित होती है जो इस तथ्य का द्योतक है कि राज्य के सकल ऋण उत्तरदायित्व की स्थिति पूर्णतया नियन्त्रण में है।

19. वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक ऋण सेवाओं पर खर्च में वृद्धि हुई है। वर्ष 2017-18 में यह कुल राजस्व व्यय का 16.6 प्रतिशत था, जो वर्ष 2019-20 में बढ़कर 19.15 प्रतिशत आंकलित होता है। वर्ष 2020-21 के पुनरीक्षित अनुमान में इसका अंश बढ़कर लगभग 20 प्रतिशत हो जायेगा। इससे स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार ऋणों की वसूली के उचित प्रबन्धन के साथ-साथ अपनी प्रतिदान क्षमता को भी बढ़ाने हेतु संसाधनों की प्राप्ति के लिये लगातार प्रयास कर रही है।

20. वर्ष 2018-19 में राजस्व प्राप्ति से वचनबद्ध व्यय का अंश 54 प्रतिशत था। वर्ष 2018-19 में ₹0 180382 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2019-20 में इस मद पर व्यय ₹0 200289 करोड़ हो गया। वर्ष 2019-20 में कुल राजस्व प्राप्ति का 28 प्रतिशत वेतन, 10 प्रतिशत ब्याज भुगतान, 13 प्रतिशत पेंशन तथा 4 प्रतिशत सब्सिडी पर व्यय हुआ है। वर्ष 2019-20 में कुल राजस्व प्राप्ति का 55 प्रतिशत वचनबद्ध व्यय पर हुआ है। विगत वर्ष की तुलना में वचनबद्ध व्यय पर वर्ष 2018-19 में 4 प्रतिशत गिरावट तथा वर्ष 2019-20 में 01 प्रतिशत वृद्धि की प्रवृत्ति पायी गयी है।

21. राज्य में कर्मचारियों की संख्या वर्ष 2003-04 (6.75 लाख) से वर्ष 2018-19 (7.01 लाख) तक की अवधि में लगभग 3.9 प्रतिशत की वृद्धि हुयी जबकि इस अवधि में उन पर होने वाला व्यय 12 गुना (₹0 7779 करोड़ से 90263 करोड़) हो गया। तथापि, कुल राजस्व व्यय में संदर्भित अवधि में कर्मचारियों पर हुए व्यय का प्रतिशत (16 प्रतिशत से 30 प्रतिशत) बढ़ा है। वर्ष 2018-19 में कुल राजस्व व्यय के सापेक्ष कर्मचारियों पर व्यय 30 प्रतिशत आंकलित होता है।

22. अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक कार्यक्रमों को वांछित बढ़ावा देने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि विकासगत व्यय बढ़ता रहे क्योंकि प्रदेश की आर्थिक प्रगति एवं जन कल्याण की सम्बद्धता विकास कार्यक्रमों पर हुए व्यय से ही है। वर्ष 2019-20 में हुए कुल राजस्व व्यय में विकासगत व्यय तथा विकासेतर व्यय का अंश क्रमशः लगभग 56 प्रतिशत तथा 39 प्रतिशत था, किन्तु वर्ष 2020-21 के पुनरीक्षित अनुमान में विकासगत व्यय एवं विकासेतर व्यय का अंश 55 प्रतिशत तथा 40 प्रतिशत होने का लगाया गया है। इसका मूल कारण यह है कि वर्ष 2017-18 से विकास व्यय के घटक आर्थिक सेवाओं पर होने

वाला व्यय का प्रतिशत अंश लगातार घटा है। वर्ष 2019-20 में आर्थिक सेवाओं पर यह अंश 21 प्रतिशत था जो वर्ष 2020-21 के पुनरीक्षित अनुमान में घटकर 20 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। विशेष रूप से आर्थिक सेवाओं पर प्रतिशत व्यय की तुलना में सामाजिक सेवाओं पर व्यय अपेक्षाकृत तेजी से बढ़ता गया है। वर्ष 2019-20 में विकासगत व्यय का अंश वर्ष 2018-19 की तुलना में (52 प्रतिशत से 56 प्रतिशत) बढ़ा है। इसका मूल कारण सामाजिक सेवाओं के अंश (30 प्रतिशत से 35 प्रतिशत) में वृद्धि हुयी है। विकासेतर व्यय के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक इसके अंश में बढ़ोत्तरी 34 प्रतिशत से 39 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2020-21 के अनुमान के अनुसार सामान्य सेवाओं के अंश 40 प्रतिशत बढ़ोत्तरी होने के अनुमान है, जो एक विकासशील अर्थव्यवस्था के लिये स्वस्थ संकेत नहीं कहे जा सकते हैं क्योंकि सामान्य सेवाओं से संबंधित व्यय में वृद्धि होने का अर्थ है पूँजी निर्माण एवं सृजनात्मक तथा उत्पादक कार्यों की कमी। पूँजी लेखा के अंतर्गत इन दो मदों अर्थात् विकासगत एवं विकासेतर व्यय को देखने से विदित होता है कि पूँजी लेखा में विकासेतर व्यय का अंश बढ़ता गया है। किन्तु, यहाँ ध्यान देने योग्य बिन्दु यह है कि पूँजी लेखे में हुए कुल व्यय में ऋणों की प्रतिदान वाली धनराशि निकाल देने के पश्चात ही विकास एवं विकासेतर व्यय की गणना की जाती है। विश्लेषणाधीन वर्षों (2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21) में ऋणों के प्रतिदान में व्यय की गयी धनराशि का अंश क्रमशः लगभग 27 प्रतिशत, 23 प्रतिशत, 27 प्रतिशत एवं 26 प्रतिशत आंकलित होता है। स्पष्ट है कि संदर्भित अवधि में विकास कार्य-कलापो पर औसत रूप से 74 प्रतिशत धनराशि ही व्यय हो पाती है जो राज्य की बढ़ती ऋणग्रस्तता का प्रतीक है। विकासगत व्यय का अंश वर्ष 1997-98 में लगभग 60 प्रतिशत था किन्तु उसके पश्चात वर्ष 2007-08 से वर्ष 2012-13 तक इसका अंश लगभग (64 प्रतिशत) स्थिर बना हुआ है। यह स्थिरता वर्ष 2018-19 में गिर कर लगभग 62 प्रतिशत एवं वर्ष 2017-18 में यह बढ़ कर 64 प्रतिशत हो गया। प्रदेश की विकासजन्य प्रतिबद्धताओं के संदर्भ में, इस प्रवृत्ति पर अंकुश रखने की आवश्यकता ध्वनित होती है जिससे विकास की गति को सुदृढ़ किया जा सकेगा साथ ही विकासेतर व्यय पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाय जिससे योजनाओं हेतु अधिक धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

23. किसी भी अर्थ व्यवस्था में प्रति व्यक्ति विकासगत व्यय, विकास प्रयासों की सामर्थ्य निर्धारित करता है और अर्थव्यवस्था की विकास दर को वांछित गति प्रदान करने में इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस संदर्भ में 16 प्रमुख राज्यों में वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 के वर्षों में उनकी प्रति व्यक्ति विकासगत व्यय के विश्लेषण से विदित होता है कि संदर्भित अवधि में प्रति व्यक्ति विकासगत व्यय क्रमशः ₹0 6141, ₹0 8291, एवं ₹0 12275 के साथ 15वें स्थान एवं वर्ष 2019-20 में ₹0 13776 के

साथ 14 वें रैंक की प्रवृत्ति पायी गयी है। वर्ष 2019-20 में हिमाचल प्रदेश का प्रति व्यक्ति विकास व्यय ₹0 38510, केरल का ₹0 22422 पंजाब का ₹0 24321 महाराष्ट्र का ₹0 21842 था। जो प्रदेश में होने वाले प्रति व्यक्ति विकास व्यय की तुलना में डेढ़ गुना से भी कहीं अधिक है। उल्लेखनीय बिन्दु यह है कि संदर्भित अवधि में उभरी उत्तर प्रदेश की तुलनात्मक स्थिति (पंद्रहवे से चौदहवां स्थान) तो बहुत उत्साहवर्धक नहीं कही जा सकती किन्तु राज्य द्वारा प्रति व्यक्ति विकास व्यय बढ़ाने हेतु किये गये प्रयास अवश्य सरहानीय प्रतीत होते हैं। बिहार छोड़ कर उत्तर प्रदेश की तुलना में अन्य सभी प्रमुख राज्यों का प्रति व्यक्ति विकासगत व्यय अधिक है। इसके अतिरिक्त प्रदेश की शोचनीय स्थिति का दूसरा आयाम यह भी है कि प्रति व्यक्ति विकासगत व्यय के राष्ट्रीय औसत से राज्य की दूरी वर्षानुवर्ष बढ़ी है। राज्य तथा राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति विकासगत व्यय का अंतराल वर्ष 2013-14 में ₹0 3986 था, वर्ष 2019-20 में बढ़कर ₹0 7533 हो गया अर्थात् राष्ट्रीय औसत से दूरी लगभग दो गुना हो गया।

उक्त व्याख्या इस निरूपवाद निष्कर्ष की ओर ले जाती है कि उत्तर प्रदेश में विकास प्रक्रिया को दृढ़ता एवं तीव्रता प्रदान करने के लिये प्रति व्यक्ति विकास व्यय को पर्याप्त रूप से बढ़ाने की नितान्त आवश्यकता है और इसके लिए केन्द्र सरकार को लकीर से हटकर अर्थपूर्ण ढंग से सहायता उपलब्ध करानी होगी साथ ही राज्य को भी वास्तविक रूप में अपने अनुत्पादक खर्चों में क्रमिक कटौती कर संसाधन जुटाने के वर्तमान प्रयासों को और तेज करना होगा।

24. वर्ष 1997-98 से वर्ष 2018-19 की अवधि में प्रति व्यक्ति विकासगत व्यय जहां लगभग ₹0 953 से बढ़कर ₹0 11095 हो गया, वहीं प्रति व्यक्ति अविकासगत व्यय का संगत परिमाण क्रमशः लगभग ₹0 642 एवं ₹0 6775 रहा। स्पष्ट है कि दोनों के बीच अन्तराल कालांतर में बढ़ा है। वर्ष 2013-14 से वर्ष 2018-19 की अवधि में प्रति व्यक्ति विकासगत व्यय तथा प्रति व्यक्ति अविकासगत व्यय दोनों ही व्ययों में लगभग दो गुने की वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति विकासगत व्यय के सापेक्ष प्रति व्यक्ति अविकासगत व्यय में बराबर वृद्धि होना विकास जन्य प्रक्रिया को बाधित करता है। इस प्रवृत्ति पर अंकुश रखने की आवश्यकता प्रतीत होती है।

25. राज्य आय-व्ययक की समग्र स्थिति का विश्लेषण 2005-06 से वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2018-19 के समेकित निधि में घाटे की प्रवृत्ति दर्शाती है। वर्ष 2005-06 में यह घाटा ₹0 1073 करोड़ था जो वर्ष 2016-17 में बढ़कर ₹0 8606.13 करोड़ हो गया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017-18 में समेकित निधि में प्रथम बार ₹0 4605 करोड़ एवं वर्ष 2019-20 में ₹0 62490 करोड़ की बचत का आंकलन किया गया है। घाटे की प्रवृत्ति से बचत की तरफ अग्रसर होने का मुख्य कारण वास्तविक प्राप्तियों का अनुमानित प्राप्तियों से अधिक

होने तथा व्यय का अनुमान से कम होना रहा है। यह राज्य अर्थव्यवस्था के वित्तीय प्रबन्धन में आवश्यक सुधार का संकेत है।

26. आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि का नियोजित व्यय एवं वास्तविक व्यय के मध्य संतुलन रखा जाना स्वस्थ व्यय नीति की अन्तर्निहित अपेक्षा मानी जाती है क्योंकि दोनों के बीच जितना अधिक विचलन होगा अर्थात् वास्तविक व्यय प्रस्तावित व्यय से जितना अधिक परिमाण से कम अथवा ज्यादा होगा, कार्यक्रमों का सम्पादन भी उसी सीमा तक प्रभावित होगा। इसका मुख्य कारण यह है कि दोनों ही स्थितियों में अन्तर्क्षेत्रकीय पूरकतायें एवं सहलग्नतायें (इन्टर सेक्टरल काम्पलीमेंटेरिटीज एण्ड लिकेजेज) अतृप्त रह जाती हैं। इसी दृष्टि से वर्ष के मध्य कार्यक्रमों की प्रगति समीक्षा के उपरान्त आय-व्ययक का पुनरीक्षण कर उसमें यथोचित संशोधन किया जाता है जिससे प्राविधानित धनराशि का समुचित एवं पूर्णरूपेण उपयोग किया जा सके।

प्रश्नगत बिन्दु का परीक्षण प्रदेश के आय-व्ययक के वर्ष 2001-02 से वर्ष 2017-18 तक की अवधि के संगत आँकड़ों के विश्लेषण से विदित होता है कि वर्ष 2001-02 से वर्ष 2004-05 तक आय-व्ययक से वास्तविक व्यय का विचलन (-) ऋणात्मक रहा किन्तु उसके बाद वर्ष 2005-06 से (वर्ष 2015-16 को छोड़कर) वर्ष 2019-20 तक विचलन (+) धनात्मक, परिमाण एवं गति दोनों दृष्टियों से बढ़ता गया। यह विचलन वर्ष 2019-20 में सबसे अधिक लगभग 20 प्रतिशत तक पहुँच गया।

वर्ष 2001-02 एवं वर्ष 2006-07 को छोड़कर शेष वर्षों में पुनरीक्षित अनुमान से वास्तविक व्यय का विचलन धनात्मक परिमाण एवं गति दोनों दृष्टियों से बढ़ता गया। वर्ष 2018-19 में पुनरीक्षित अनुमान के सापेक्ष वास्तविक व्यय लगभग 13 प्रतिशत आगणित होता है, जबकि यह विचलन वर्ष 2019-20 में बढ़कर लगभग 15 प्रतिशत हो गया। राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षित अनुमानों एवं वास्तविक व्ययों में व्यापक भिन्नता को कम करने के लिए राजकोषीय प्रबन्धन से सम्बन्धित पर्याप्त उपाय शुरू करना तथा उसका अनवरत अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

उपर्युक्त विश्लेषित तथ्यों से मूल आय-व्ययक प्राविधान करने के पूर्व आय-व्ययक प्रस्तावों की प्रशासनिक, नियोजन एवं वित्त विभाग द्वारा वस्तुनिष्ठ परिनिरीक्षा करने तथा पुनरीक्षित अनुमान तैयार करते समय वस्तुस्थिति के अनुसार मूल आय-व्ययक में संशोधन, परिवर्द्धन एवं परिमार्जन करने की प्रक्रिया को कड़ाई से अनुपालन की भी अपरिहार्यता रेखांकित

होती है जिससे प्राविधानित धनराशि का पूर्णरूपेण एवं अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके और इस प्रकार प्रदेश की प्रगति का पथ उत्तरोत्तर प्रशस्त हो सके।

27. राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम (F.R.B.M.) के दायरे में रहते हुए तीनों महत्वपूर्ण निम्न संकेतक नियंत्रण में हैं।

- राजस्व अधिशेष (सरप्लस) की स्थिति बनी हुयी है।
- राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत के अन्दर (-) 0.66 प्रतिशत अर्थात वर्ष 2019-20 के वास्तविक आंकड़ों के अनुसार राजकोषीय बचत रू0 11,082.68 करोड़ है।
- कुल ऋणग्रस्तता 30.0 प्रतिशत से कम (29.6 प्रतिशत) है।
